सामान्य

कानूनी पाठ

General

Lessons in Laws

Approved by:-

Executive Chairman
Hon'ble Mr. Justice Shiva Kirti Singh
Bihar State Legal Services Authority
PATNA

अनुमोदन प्राप्तः–

कार्यकारी अध्यक्ष
माननीय न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
पटना

Compiled by
Radha Krishna
Member Secretary
Bihar State Legal Services Authority
Patna

संकलनकर्त्ता
राधा कृष्ण
सदस्य सचिव
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
पटना

Proof reader:
Ram Vinod Singh
Joint Secretary
Bihar State Legal Services Authority

and
Vijay Anand Tiwary
Assistant Registrar
BSLSA

शुद्धिकर्त्ता
राम विनोद सिंह
संयुक्त सचिव
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

एवं
विजय आनंद तिवारी
सहायक निबंधक
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

संग्रह स्त्रोत

प्रदत्त अधिकार एवं कर्त्तव्य तथा अन्य विधियों की संक्षिप्त जानकारी के संग्रह का मुख्य स्त्रोत संविधान, अन्य विधि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रविन्द्रन, अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता एवं कन्सिलेएशन योजना समिति, एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सदाशिवम्, अध्यक्ष पारा लीगल भॉलेन्टियर्स योजना, उच्चतम न्यायालय द्वारा समय- समय पर दिये गये सम्बोधन इसके आधार है ।

Source of compilation

Conferred rights and duties under the constitution and law books, guideline as contained in schemes issued by National Legal Services Authority and time to time addresses made by their Lordships Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Executive Chairman, National Legal Services Authority, Judge Supreme Court of India, Hon'ble Mr. Justice R.V.Ravindran, Chairman of Supreme Court Mediation and Conciliation Committee, Judge Supreme Court of India and Hon'ble Mr. Justice P. Sathasivam, Pioneer of Para Legal Volunteers Scheme, Judge Supreme Court of India.

कमांक	अनुक्रमिका	पृष्ठ	Sl. No.	Index	Page
01	कानून क्या है?	01	01	What is Law	01
02	न्यायालय के प्रकार	02-03	02	Types of Courts	02-03
03	संवैधानिक विधि	04-10	03	Constitution Law	04-10
04	मानवाधिकार की रक्षा अधिनियम 1993	10-13	04	The Protection of Human Rights Act, 1993	10-13
05	नारी शक्तिकरण-महिलाओं से संबंधित कानून	13	05	Empowerment of Women-Law related to Women	13
	(क) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005	13-16		(a) The protection of Women from Domestic violence Act 2005	13-16
	(ख) बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 2006	16-18		(b) The Prohibition of Child Marriage Act 2006	16-18
	(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961	18-19		(c) The Dowry Prohibition Act, 1961	18-19
	(घ) डायन प्रथा (निवारण)अधिनियम 1999	20		(d) Prevention of Dain (Witchcraft) Act 1999	20
	(ङ) अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण)अधिनियम 1956	20-21		(e) The Immoral Traffic (prevention) Act 1956	20-21
	(च) महिलाओं की अशिष्ट प्रस्तुति(प्रतिषेध) अधिनियम 1986	22		(f) The Indecent Representation of Women (prohibition) Act 1986	22
	(छ) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971	22-23		(g) Medical Termination of pregnancy Act 1971	22-23
	(ज) जन्म पूर्व परीक्षण तकनीक (दुरूपयोग का विनियमन एवं निवारण) अधिनियम 1994	23		(h) Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and prevention of misuse) Act 1994	22
	(झ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961	23-25		(I) The Maternity Benefit Act, 1961	23-25
06	अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम, 1989	25-27	06	Scheduled Castes and Scheduled Tribes (prevention of Atrocities Act 1989	25-27
	(क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम, 1995	27-29		(a) The Scheduled Castes and the schedule tribes (prevention of atrocities) Rules, 1995	27-29
07	(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	29-30	07	(b) The National Commission for women Act 1990	29-30
08	किशोर न्याय (बालको की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000	30-34	08	The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000	30-34
09	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986	34-35	09	The Consumer Protection Act 1956	34-35
10	विवाह संबंधी विधियाँ	35	10	Laws relating to Marriage	35
	(क) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955	35-41		(a) The Hindu Marriage Act	35-41
	(ख) हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956	41-44		(b) The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956	41-44
	(ग) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	44-46		(c) The Hindu Succession Act, 1956	44-46
	(घ) हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956	46-47		(d) The Hindu Minority and Guardianship Act 1956	46-47
11	भारतीय इसाई विवाह अधिनियम 1872	48	11	Indian Christian Marriage Act	48

				1872	
	(क) विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 (संशोधित 2001)	48-49		(a) Divorce Act 1869 (As amended in 2001)	48-49
	(ख) आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 केवल सिखों पर लागू	50		(b) The Anand Marriage Act 1909 apply only to Sikhs	50
	(ग) पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936	50-51		(c) The Parsi Marriage & Divorce Act 1936	50-51
	(घ) विशेष विवाह अधिनियम, 1954	51-53		(d) The Special Marriage Act 1954	51-53
	(ङ) मुस्लिम विवाह एवं विवाह-विच्छेद	53		(e) Muslim marriage and dissolution	53
	(च) मुस्लिम विवाह- विच्छेद अधिनियम, 1939	53-54		(f) The Dissolution of Muslim marriage Act 1939	53-54
	(छ) मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1986	55		(g) The Muslim women (protection of right on divorce Act 1986)	55
12	भरण-पोषण तथा सम्पति का वितरण तथा व्यादेश के प्रावधान	55-56	12	Provision for maintenance and distribution of property and injunction	55-56
13	परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984	56-57	13	Family Court Act 1984	56-57
	(क) बच्चों के संबंध में कुछ विधियेां की जानकारी	58		(a) Knowledge about laws relating to the children	58
14	संविधान में दिये गये कुछ अन्य प्रावधान	58-60	14	Some other constitutional provision	58-60
15	औद्योगिक एवं कामगार विधियाँ	60-62	15	Industrial and Labour Laws	60-62
	(क) बंधुआ मजदूर प्रथा (समापन) अधिनियम, 1976	62-63		(a) The Bonded Labour system (Abolition) Act 1976	62-63
	(ख) बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933	63-64		(b) The Children (pledging of labour) Act 1933	63-64
	(ग) संविदा श्रम (नियमन एवं समापन) अधिनियम, 1970	64-65		(c) The Contract labour (Regulation & Abolition) Act 1970	64-65
16	कारखाना अधिनियम, 1948	65-67	16	The Factories Act 1948	65-67
अध्याय III			**CHAPTER III**		
	(क) अपराध के लिए सामान्य शास्ति	67		General Penalty for offences	67
17	भारतीय प्राणनाशक दुर्घटना अधिनियम, 1855	68	17	The Indian Fatal Accident Act, 1855	68
	(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	68-70		(a) The Industrial Dispute Act, 1947	68-70
18	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1979	70-71	18	The Inter State Migrant workmen (Regulation of Employment and conditions of service Act 1979	70-71
	(क) कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923	71-72		(a) The Workmen's Compensation Act, 1923	71-72
	(ख) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008	72		(b) The Unorganized worker's security Act, 2008	72
	(ग) असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनायें	72-73		(c) Social security schemes for the unorganized labours	72-73
	(घ) अधिकारों को प्राप्त करने का तरीका	73		(d) Way to access to rights	73
19	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005	73	19	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005	73

	(क) अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार	74		Rights available under the Act	74
	(ख) कैसे अधिकार प्राप्त किया जाये	74-75		(a) How access to right	74-75
20	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	75-78	20	The Minimum Wages Act 1948	75-78
21	बंदी से संबंधित विधियाँ	79-80	21	Law relating to prisoners	79-80
22	बंदी अधिनियम 1990	80	22	The Prisoners Act, 1990	80
	(क) बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955	80		(a) The Prisoners (Attendance in Court) Act, 1955	80
	(ख) बंदी अधिनियम, 1894	81		(b) The Prisoners Act, 1894	81
23	शहरी भूमि (हदबंदी एवं नियमन) अधिनियम, 1976	81-83	23	The Urban land (Ceiling and Regulation) Act, 1976	81-83
24	बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950	83-84	24	The Bihar Land Reforms Act, 1950	83-84
25	बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885	84-85	25	The Bihar Tenancy Act, 1885	84-85
	(क) बिहार असामी भूखण्ड (अभिलेख रखाव) अधिनियम, 1973	86		(a) The Bihar tenant's Holding (Maintenance of Records) Act, 1973	86
	(ख) शहरी क्षेत्र में दाखिल खारीज	86-87		(b) Mutation of a holding	86-87
26	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006	87-88	26	Bihar Panchayat Raj Act, 2006	87-88
	(क) ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य0	88-90		(a) Main functions of Gram Panchayat	88-90
27	माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007	90-92	27	The Maintenance and welfare of parents and senior citizens Act, 2007	90-92
28	बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र निर्धारण तथा अतिरिक्त भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961	92-93	28	The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling area and Acquisition of surplus land) Act, 1961	92-93
29	बिहार ऋणदाता अधिनियम, 1974	93-94	29	Bihar Money lenders Act 1947	93-94
30	निबंधन अधिनियम, 1908	94-95	30	The Registration Act, 1908	94-95
	(क) सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956	96		(a) Public Land Encroachment Act, 1956	96
31	तृतीय लिंग से संबंधित व्यक्ति	96-98	31	People Belonging to the third sex	96-98
32	मोटर वाहन अधिनिमय के अन्तर्गत मुआवजा	98-99	32	Compensation under Motor Vehicle Act	98-99
	(क) रेल से दुर्घटना या क्षति होने पर मुआवजा	99		(a) Claim against railways	99
33	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही कुछ योजनाओं की जानकारी	99-101	33	Information regarding some schemes launched by the Government Directorate of social security & social welfare department	99-101
34	एच.आई.वी. तथा एड्स के संबंध में कुछ जानकारी	101-103	34	Some information about HIV/AIDS	101-103
35	शिक्षण संस्थानों में रैगिंग	103-105	35	Ragging in educational institutions	103-105
36	लोक अदालत तथा लम्बित वादों को घटाने में उनके महत्त्व	105-110	36	Importance of Lok Adalat and Schemes in reduction of backlog of cases	105-110
37	लोक अदालत द्वारा अवार्ड का प्रारूप	111-112	37	Format of Award of Lok Adalat	111-112

38	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बनायी गयी कुछ सहायतार्थ योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी	113-115	38	Information about some schemes for legal aid and services made by the National Legal Services Authority	113-115
39	विधिक सेवा हेतु आवेदन प्रपत्र-1	116-117	39	The Form of Application of Legal Services	116-117
	(क) प्रपत्र- II	118-119		(a) Form II	118-119
40	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवा) योजना, 2010	120-121	40	National Legal Services Authority (Legal services to the workers in the unorganization sector	120-121
	(क) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (विधिक सहायता क्लिनीक) योजना, 2010	121-122		(a) National Legal Services Authority (Legal aid clinics) schemes, 2010	121-122
	(ख) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (मानसिक रूप से बिमार तथा मानसिक रूप से लाचार को विधिक सेवा) योजना, 2010	122-124		(b) National Legal Services Authority (Legal Services to the Mentally ill person and persons with mental disabilities) schemes, 2010	122-124
41	पारा लीगल भॉलेन्टियर्स योजना, 2009-10	124	41	Para Legal Volunteers Scheme 2009-10	124
	(क) कार्यक्रम को कैसे पूरा किया जायेगा	124-128		(a) How to implement the project	124-128
	(ख) पारा लीगल भॉलेन्टियर्स के कर्त्तव्य	128		(b) Duties of Para Legal Volunteers	128
42	ए.डी.आर. (वैकल्पिक विवाद- हल फोरम) की व्यवस्था	128-131	42	ADR (Alternative Dispute Resolution) Forum	128-131

मूलभूत आवश्यक कानूनी पाठ सभी के लिए

कानून क्या है ?

यह विभिन्न प्रकार के नियमों से बनाया गया ऐसा प्रावधान है जो सभ्य समाज की सभी व्यवस्थओं(प्राणलियों) को नियंत्रित व संचालित करते हुए अधिकार की रक्षा करता है तथा कर्त्तव्यों का पालन कराता है ।

अधिकार क्या है ?

यह ऐसा हित है जिसे व्यवहारिक नियम द्वारा संरक्षण प्राप्त है और यह वैधानिक या नैतिक हो सकता है ।

कर्त्तव्य क्या है ?

वह कार्य/व्यवहार जिसे नियमानुसार व्यक्ति को करना चाहिए और वह वैधानिक या नैतिक भी हो सकता है ।

दिवानी/व्यवहारिक तथा अपराधिक न्याय क्या है ?

दिवानी/व्यवहारिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा की गई क्षति के विरूद्व मुआवजा या क्षतिपूर्ति की कानूनी कार्रवाई की जाती है जबकि अपराधिक न्याय तब जन्म लेता है जब शरीर या सम्पति को ऐसी क्षति पहुँचायी जाती है जो कानून द्वारा दण्डनीय हो ।

Fundamental Essential Lesson in Law for all

What is Law ?

What is law?

Law consists of certain types of rules regulating system of a civilized society and human conduct and enforcing the rights and duties created by such rules.

What is right?

It is an interest protected by rules of conduct and it may be legal or moral.

What is duty?

It is an act which ought to be perfomed either being legal or moral

What are civil and criminal Justice?

Under Civil Proceeding action is taken for providing compensation/ relief for any wrong act whereas Criminal Justice consists in a proceeding for such injuries to person or property which is punishable under law.

न्यायालयों का वर्गीकरण तथा दिवानी प्रक्रिया संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता तथा बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट अधिनियम के अन्तर्गत उनकी शक्तियाँ

Classes of Courts, Civil Court and Criminal Courts and their power under Civil & Criminal procedure and Bengal, Agra & Assam Civil Court Act.

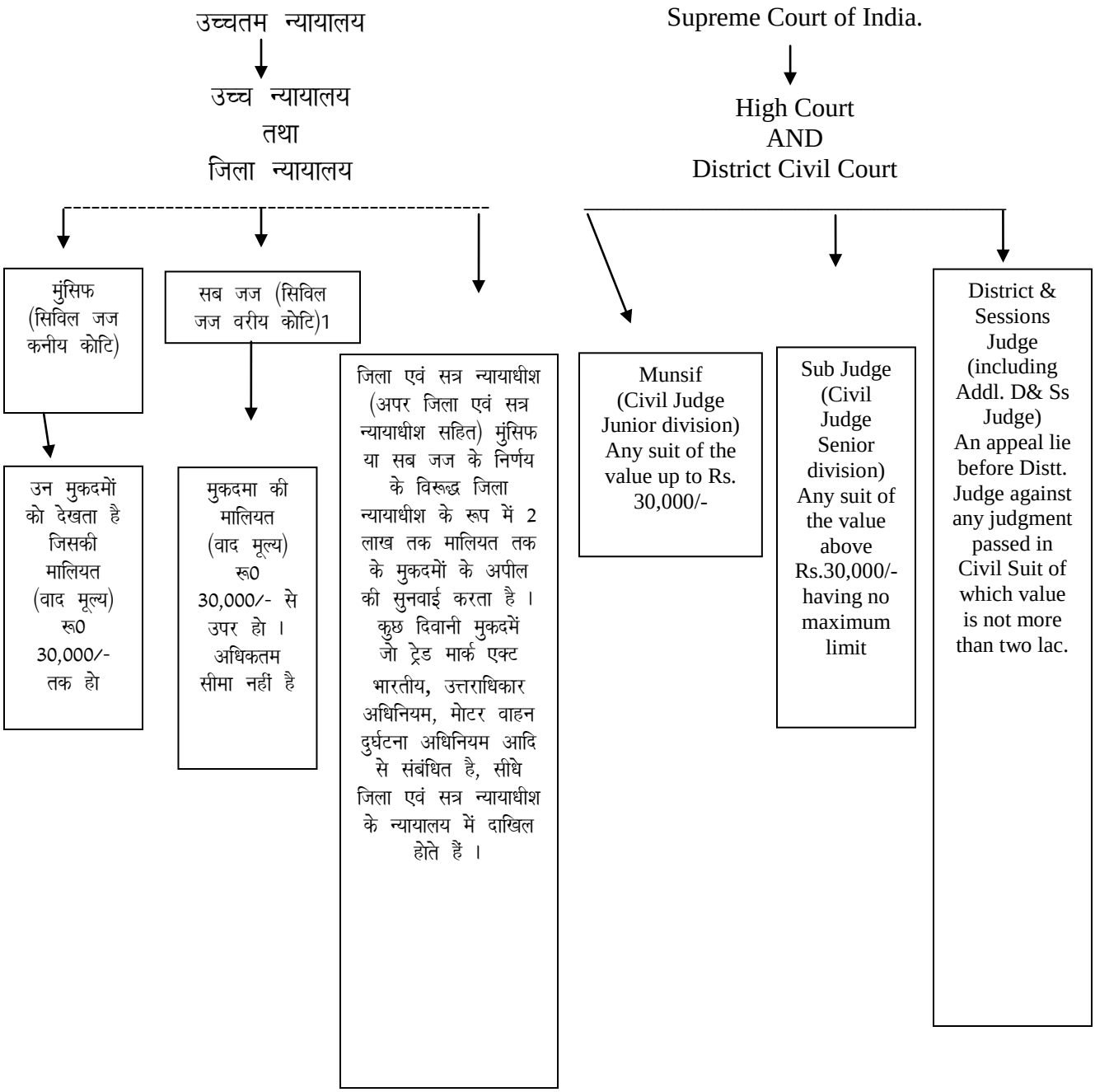

आपराधिक न्यायालय

न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी- एक वर्ष के कारावास की सजा तथा एक हजार रूपये तक का जुर्माना दे सकते हैं ।	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी- तीन वर्ष तक के कारावास की सजा तथा पाँच हजार रूपये तक का जुर्माना देसकते हैं ।	सहायक सत्र न्यायाधीश-केवल मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक कारावास के अतिरिक्त कोई सजा दे सकता है । मुख्य दण्डाधिकारी मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास एवं सात वर्ष से अधिक कारावास की सजा को छोड़कर कोई सजा दे सकते हैं ।	सत्र न्यायाधीश (अपर सत्र न्यायाधीश सहित) कोई भी सजा दे सकते हैं लेकिन मृत्युदण्ड उच्च न्यायालय से सम्पुष्ट होना आवश्यक है । सत्र न्यायाधीशके रूप में न्यायिक दण्डाधिकारी या सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गयी सजा जो सात वर्ष से कम है, के विरूद्व अपील सुन सकता है

District Criminal Courts

Magistrate of the 2nd class who can pass sentence of imprison ment up to one year and can award fine up to Rs. 1000/-	Magistrate or the 1st class can pass sentence of imprison ment up to three year and fine of Rs. 5000/-	Assistant Sessions Judge can pass any sentence of imprison ment except death, imprison ment for life or beyond ten years	Sessions Judge including Addl. Sessions Judge -any sentence but death sentence subject to confirmation by High Court and in criminal matter an appeal lie before Sessions Judge in which sentence passed by 2nd class or 1st class magistrate or Assistant Sess. Judge or u/s 325 or 360 Cr.P.C.

अपराध क्या है ?

कोई कार्य या लोप जो, कानून द्वारा दण्डनीय है और जिसके संबंध में परिवाद लाया जा सकता है

यहाँ यह जानना जरूरी है कि सम्मन वाद एवं वारण्ट केस क्या है ?

जो अपराध वारण्ट केस के अर्न्तगत नहीं आता है वह सम्मन केस है ।

वारण्ट केस उस अपराध के संबंध में होता है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दी जा सकती है

What is an offence?

An act or omission made punishable by Law and a complaint may be made in that respect.

Here it is necessary to know the meaning of Summon case and Warrant case.

Summon case means a case relating to an offence, and not being a Warrant case.

Warrant case means a case relating to an offence punishable with death, OR imprisonment for a term exceeding two years.

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार भारतीय संविधान की चर्चा करते समय करेगें ।

Establishment of Supreme Court and High Courts and their powers will be discussed in course of discussion of the constitution of India.

भारतीय दण्ड सहिता के अर्न्तगत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कोई कार्य या लोप अपराध नहीं है । (S.82)

Under Indian Penal Code an act or omission done by a child under the age of 7 years is not an offence (Sec.- 82)

दिवानी विधि (कानून)

Civil Law

इसके अन्तर्गत व्यक्ति के अधिकार या जबाबदेही के संबंध में निर्णय देते हुए अनुतोष (रिलिफ) प्रदान करना है ।

By it right and obligation of people is decided and relief is granted.

आपराधिक विधि (कानून)

Criminal Law

इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति की आपराधिक जबाबदेही का निर्धारण कर सजा दी जाती है ।

It determines criminal liability of people and punishes.

संवैधानिक कानून

Constitutional Law

दिनांक 26.11.1949 को भारतीय जनता ने सर्वसम्मति से भारतीय संविधान को अपनाया जिसके अन्तर्गत व्यक्ति के अधिकार, कर्त्तव्य, समानता, भाईचारा का प्रावधान किया गया , समाज को चलाने की व्यवस्था एवं पालन करके व कराने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालय का गठन किया गया तथा समयानुसार व्यक्तियों के हित की रक्षा के लिए नये प्रावधान (कानून)एवं अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रावधान बनाये गये है जिसकी विवेचना आगे की गयी है

On 26.11.1949 the people of India Unanimously gave to ourselves and adopted constitution of India providing provision for rights and duties of the people, equality fraternity and other provision to run the system of India and to enact wherever it necessitates and provision for enforcement of right by establishment of Supreme Court of India and High Court. Further discussion of constitution is made ahead.

भारतीय संविधान

संविधान की प्रस्तावना में भारत की जनता द्वारा यह स्पष्ट घोषण की गयी है कि हम भारतवासी शपथपूर्वक संप्रभुता सम्पन्न सामाजिक भेद रहित प्रजातांत्रिक गणतंत्र भारत वर्ष की स्थपना, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय दिलाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, पूजा की स्वतंत्रता वगैरह, सभी को समान अवसर प्रदान करने और सभी के बीच समानता एवं आपसी भाईचारा को बढ़ावा देते हुए व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं एकता और अखण्डता के लिए 26 नवम्बर, 1949 वर्ष में संविधान को अपनाते और बनाते हुए, करते हैं ।

संविधान के अन्तर्गत भारतीय जनता के मौलिक अधिकार

अनुच्छेद-14

राज्य किसी व्यक्ति को कानून के स्तर पर समान अवसर तथा समान रक्षा प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद 15

किसी भी नागरिक के साथ जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा और सभी को सार्वजनिक स्थानों तथा तालाब, घाट, सड़क, आश्रम, कुआँ, दुकान या होटल पर जाने से नहीं रोका जा सकेगा जिसे सरकारी खर्च से पूर्णतः या आंशिक रूप से बनाया गया हो । राज्य को विशेष व्यवस्था महिलाओं और बच्चों के लिए करने का अधिकार होगा तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूपसे पिछड़े वर्ग के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है ।

Constitution of India

We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular Democratic Republic and to secure to all its citizens:
Justice, Social, economic and political;
Liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship; Equality of status and of opportunity; and to promote among there all;
Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation.
In our constituent Assembly this twenty sixth day of November, 1949, do hereby adopt, enact and give to over selves this Constitution.

Under Constitution of India Fundamental Rights of the people of India

Article- 14

The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Article 15

The State shall not discriminate against any citizen, on grounds only of religion, race, Caste, Sex, Place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to
a) access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment; or
b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or party out of State funds or dedicated to the use of the general public.
The State may make any special provision for women, children or for advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled casts and the scheduled tribes.

अनुच्छेद 16
सार्वजनिक (सरकारी) नियुक्तियों में जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर अवसर प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है । सरकार नियुक्तियों एवं प्रोन्नति में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है ।

Article 16
No citizen can be denied opportunity in matter relating to employment or appointment to any office under the State on the basis of caste, religion, birth place etc. and the State may make provision for reservation of appointment in favour of backward class and promotion for scheduled castes and scheduled tribes.

अनुच्छेद 17
प्रचलित वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए छुआछूत को समाप्त करते हुए इसे दण्डनीय बनाया गया है ।

Article 17
Keeping in view the four castes system prevailing in the society, untouchability has been abolished and any person found practicing it will be punishable

अनुच्छेद 19
भारतीय नागरिकों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाने, बिना शस्त्र के एकत्र होने, बसने या संघ बनाने, व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता है ।

Article 19
Citizens of India have right to freedom of speech and expression, to assemble peaceably, to form associations or unions, to make freely throughout the India as to reside and settle on any part of the territory of India, to practice any profession or to carry on occupation

अनुच्छेछ 21
प्रत्येक नागरिक को अपने ढंग से जीने का अधिकार होगा और सिवाय कानूनी प्रावधान के दैहिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रा से वंचित नहीं किया जा सकेगा ।

Article 21
No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

अनुच्छेद 22
आपराधिक मामलों के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि गिरफ्तारी के आधार की सूचना उसे दी जायें और उसे अपने वकील से सलाह करने का भी अधिकार होगा ताकि वह अपना बचाव कर सके । गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है (कतिपय मामलों में, जैसे शत्रु अन्य देशीय या निरोधात्मक नियम के अन्तर्गत की गयी गिरफ्तारी आदि को छोड़कर)

Article 22
A person arrested on the criminal charges shall have right to consult his/her counsel and such arrested person should be produced within 24 hours of arrest before a Magistrate and the reason of arrest be also informed but the arrested person shall have no such right if arrested under preventive laws or such person is enemy alien etc.

अनुच्छेद 23
किसी मानव से बेगार या अन्य बलपूर्वक श्रम करवाना निषेध है तथा मानव व्यापार भी करना अपराध है । शोषण के विरूद्ध यह व्यवस्था की गयी है ।

Article 23
Traffic in human being and beggar and other similar forced labour and prohibited. It is right against exploitation.

अनुच्छेद 24
कोई भी बच्चा, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, से श्रम या मजदूरी नहीं करवायी जा सकती है और किसी भी कारखाना या खान या अन्य खतरनाक कार्य में कामगार के रूप में नहीं रखा जा सकता है ।

Article 24

No child shall be employed to work in a factory or mine or engaged in any hazardous employment of whose age is below 14 years.

अनुच्छेद 25
प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक शान्ति सदाचार एवं स्वास्थ्य आदि को बिना नुकसान पहुँचाए अपना धार्मिक कृत्य करने एवं धर्म अपनाने एवं धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है तथा कोई धार्मिक कार्य एवं पूजा करने के लिए स्वतंत्र है ।

Article 25

All persons are equally entitled to profess, practice and propagate religion but subject to public order, morality and health.

अनुच्छेद 26
प्रत्येक सम्प्रदाय को अपने धर्म के प्रचार-प्रसार करने, धार्मिक कृत्य आदि के लिए संस्था स्थापित करने एवं संपति अर्जित करने का अधिकार होगा परन्तु यह अधिकार लोक शान्ति आदि के अधीन होगा ।

Article 26
Every religious section shall have right to acquire property and manage it and to establish institution subject to public order.

अनुच्छेद 28
कोई शैक्षणिक संस्थान, जो पूर्णतः राज्य निधि से चलाया जाता है, वह धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा ।

Article 28

No religious instruction shall be imparted by any educational institution wholly maintained out of state fund.

अनुच्छेद 29
प्रत्येक वर्ग को, जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि आदि है और जो दूसरे वर्ग से भिन्न है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा । राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाला शिक्षण संस्थान जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी नागरिक का नामांकन करने से इन्कार नहीं करेगा ।

Article 29
Any section of citizens shall have right to conserve its distinct language, script or culture and no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by state fund on grounds only of religion, race, caste etc..

अनुच्छेद 30
भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी रूचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा ।

Article 30
All minorities shall have right to establish and administer educational institutions of their choice whether based on religion or language.

उपर्युक्त मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कोई भी नागरिक उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत आवेदन दे सकता है । दूसरा पर्याप्त उपचार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण या अधिकार पृच्छा रिट, आदेश या निदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है जो व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार की गयी प्रार्थना पर आधारित होगा ।

A Citizen of India has right to move either to Supreme Court or High Court for remedy (redressal) of his/her right, if right has been infringed, by filing an application under article 32 before the Supreme Court and under article 226 of the constitution before the High Court for issuance of order, direction or writ of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo-warrant or certiorari according to circumstance and grievances when no alternative efficacious remedy is available.

बंदी प्रत्यक्षीकरण
जब कोई व्यक्ति विधि विरूद्ध बंदी बनाया गया हो तो वैसी स्थिति में अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन दे सकता है ।

Habeas Corpus
If a person has been illegally detained, in such circumstance to secure personal liberty, he may move before the Supreme Court or High Court.

परमादेश
यह किसी व्यक्ति, निगम, निम्न न्यायालय या सरकार के विरूद्ध निर्गत किया जाता है जब वह लोक कर्त्तव्य जिसे करने के लिए कानून बाध्य है, उस कर्त्तव्य को करने में विफल रहता है तो उस विशेष कर्त्तव्य को करने के लिए यह आदेश या रिट जारी किया जाता है ।

Mandamus
It is issued to direct a person, corporation, inferior Court or Government requiring to do some Particular thing specified which appertains to office and is in the nature of a public duty to do that which is under a clear legal duty to do.

प्रतिषेध
यह अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही करने से रोकता है ।

Prohibition
It restrains the tribunal from proceeding further in excess of jurisdiction.

अधिकार पृच्छा
अवैध ढंग से किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध यह आदेश या रिट जारी किया जाता है औरे उसे यह बताने के लिए कहा जाता है कि वह किस अधिकार से पद धारण किया है या दावा कर रहा है ।

उत्प्रेषण
यह निम्न न्यायालय की कार्यवाही को समाप्त करने के लिए जारी किया जाता है जब निम्न न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बिना या उसके बाहर जाकर कार्यवाही की हो या विधि विरूद्ध कार्यवाही की हो ।

Quo- warrant
It lies against a person who has wrongfully usurped an office, franchise, writ calls upon the holder of the office to show and what authority he holders office of franchise.

Certiorari
It lies to quash or remove proceeding on the ground of want or excess of jurisdiction or order being had on its face.

संविधान के अन्तर्गत नागरिकों के कर्त्तव्य

अनुच्छेद 51(क)

- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें ।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें ।
- भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें ।
- देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ।
- भारत के सभी लोंगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं ।

Duties of Citizens under the Constitution

Article 51 (A)

- To abide by the constitution and respect its ideals and institution, the National Flag and the National Anthem
- To Cherish and follow the noble ideals which inspered our National Straggle for freedom
- To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.
- to defend the country and render national service when called upon to do so
- To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women.

- हमारी मिली-जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको बनाए रखें ।
- प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे ।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे ।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर नई उपलब्धियां प्राप्त करते हुए ऊँचा उठता जाय ।

- To value and preserve the rich heritage of our composite culture.
- To protect and improve the natural invironment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures
- to develop the scientific temper, humanism and the spirit of enquiry and reform
- To safeguard public property and to abjure violence
- To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.

मानवाधिकार की रक्षा अधिनियम, 1993

धारा 2 (d)

मानवाधिकार का मतलब उससे है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से संबंध रखता है जिसे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है या अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार (संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा 1966 में अपनाया गया) समाहित है और न्यायालय द्वारा उसका पालन करवाया जा सकता है।

धारा 3 एवं 21

के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है ।

धारा 2(e) धारा 30 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया मानवाधिकार न्यायालय यदि सत्र न्यायालय विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट है तो वह या विशेष न्यायालय गठित है उसे सम्बोधित है ।

The protection of Human Rights Act, 1993

Section 2 (d)

Human rights means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual by the constitution or embodied in the international covenants (adopted by G.A.D.U.N. in 1966) and enforceable by Courts in India.

Section 3 and 21

The National Human Rights Commission and the State Human Rights Commission are constituted.

Sec. 2(e) Human Rights Court as specified u/s 30 if (a) a Court of Session is specified as a special Court or (b) a special Court is already constituted.

अथवा राज्य सरकार मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा जिसे विचारण का क्षेत्राधिकार होगा ।

Otherwise by notification the State Government may specify in concurrence with the Chief Justice to try offences.

धारा-12 आयोग के कार्य एवं क्षेत्राधिकार
आयोग निम्न या उनमें से किसी कार्य को सम्पादित करेगाः-

Section 12 Function and power of the Commission:-

(क) स्वयं या प्रभावित व्यक्ति द्वारा आवेदन दिये जाने पर

(a) Enquire, suo moto or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf, into complaint of-

(i) मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके दुष्प्रेरण के संबंध में

(i) Violation of human rights or abetment thereof; or

(ii) सरकारी सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के रोकने में उपेक्षा किये जाने के शिकायत की जाँच करेगा ।

(ii) negligence in the prevention of such violation, by a public servant;

(ख) किसी कार्यवाही, जिसमें मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायत का मामला सन्निहित हो, हस्तक्षेप कर सकेगा ।

(b) intervene in any Proceeding involving any allegation of violation of human rights before a court.

(ग) राज्य सरकार को सूचना देकर जेल या अन्य बंदीगृह में जाकर कैदियों के रहने का स्तर, सुधार, सुरक्षा, चिकित्सा आदि पर अपनी सिफारिशें सरकार को देना ।

(c) Visit, under intimation to the State Government, any Jail or any other institution under the control of the State Govt. where persons are detained or lodged for the purpose of treatment reformation or protection and to study the living conditions of the inmates and make recommendation thereon.

(घ) मानव अधिकार के बचाव के लिए संविधान में प्रदत्त अधिकारों पर पुनर्विचार करना और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने संबंधी सुझाव देना ।

(d) Review the safeguards provided by or under the constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation.

(ङ) आतंकवादी कारनामें और उसके कारणों के तथ्य पर पुनर्विचार तथा मानव अधिकार के उपभोग में बन रहे बाध्यकारी बातों के संबंध में उपाय संबंधी सुझाव देना ।

(e) Review the factors, including acts of terrorism, that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures

(च) अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों, जो मानव अधिकार के संबंध में हों, का अध्ययन कर उसे प्रभावकारी ढंग से लागू करवाने का सुझाव देना ।

(f) Study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementations.

(छ) मानव अधिकार के संबंध में अनुसंधान करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना ।

(g) undertake and promote research in the field of human rights.

(ज) मानव अधिकार संबंधी जानकारियाँ समाज के विभिन्न वर्गो में फैलाना तथा मानव अधिकार की सुरक्षा, बचाव संबंधी जानकारियों को प्रकाशन, सेमिनार, प्रेस या टी0वी0 आदि के माध्यम से बढ़वा देना ।

(h) spread human rights literacy among various sections of society and promote occurrences of the safeguards available for the protection of those rights through publications, the media, seminars and other available means;

(झ) मानव अधिकार के लिए कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास को प्रोत्साहन देना ।

(i) encourage the efforts of non governmental organizations and institutions working in the field of human rights.

(ञ) मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना ।

(j) Such other functions as it may consider necessary for the promotion of human rights;

धारा-18 जाँच के बाद आयोग निम्न कदम उठाएगाः-

Section 18 After enquiry commission will take the following steps:

(1) जाँचोपरान्त मानव अधिकार के उल्लंघन या बचाव में किये गये उपेक्षा के संबंध में संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध सरकार या उपयुक्त पदाधिकारी को कार्यवाही हेतु सिफारिश करना ।

(1) on enquiry if violation or negligence in protection of human rights is found, then to recommend to the Govt. or an appropriate authority for initiation of proceeding against the erring officer.

(2) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष निदेश, आदेश या रिट जारी करनेके लिए प्रार्थना करना ।

(2) approach the Supreme Court or the High Court concerned for such direction, orders or writs as that court may deem necessary;

(3) पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार या पदाधिकारी से सिफारिश करना ।

(3) Recommend to the concerned Government or authority for the grant of such immediate interim relief to the victim or the members of his family as the commission may consider necessary.

(4) जाँच रिपोर्ट की प्रति आवेदक या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा ।

(4) Subject to the provisions of clause (5) provide a copy of the enquiry report to the petitioner or his representative.

(5) जाँच रिपोर्ट की प्रति के साथ सिफारिश को सरकार या पदाधिकारी को एक माह के अन्दर भेजेगा साथ ही की गयी कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई आयोग को अपनी टिप्पणी के साथ भेजेगा ।

(5) Copy of inquiry report with recommendation shall be sent to the govt. or authority within a period of one month and shall also forward action taken or proposed to be taken to the commission.

(6) मानवाधिकार आयोग जाँच प्रतिवेदन (टिप्पणी के साथ) एवं की गयी कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा ।

6) Human Rights Commission equiry report alongwith comment and action taekn or proposed action to be taken will publish.

धारा-29 राज्य मानवाधिकार आयोग को भी वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी एवं कार्य क्षेत्र रहेगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को है ।

Section 29 State Human Rights Commission shall have the same power and Jurisdicti0n which are enjoyed by the National Human Rights commission.

Empowerment of Women

नारी सशक्तिकरण

महिलाओं से संबंधित कानूनें

Law Related to Women

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

The Protection of Women from Domestic violence Act, 2005

घरेलू हिंसा क्या है?

What is domestic violence.

धारा 2 (छ) एवं 3 के अनुसार

शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैगिंग दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं ।

Section 2 (g) and 3

Domestic violence is physical abuse committed either by causing physical harm, danger to life or health or sexual abuse which includes humiliation or violates the dignity of women or by verbal or emotional abuse causing insult, ridicule with regard to not having child or male child or even by economic abuse by depriving economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled.

धारा- 4 घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला है या किया जा रहा है, की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकरी को दे सकता है जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी ।

Section 4 Any person may give information of Domestic violence already committed or is being committed or to be committed to protection officer for which the person who has given the informati0n shall not be held for the same.

धारा-5 यदि धरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गयी है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी किः-

Section 5 If any information about an act of Domestic violence is given to a Police Officer, protection officer or Magistrate then it shall be their duty to inform the victim that she has a rights:-

(क) उसे संरक्षण आदेश पाने का

(a) to apply for protection order

(ख) सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता

(b) availability of services of service provider

(ग) संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता

(c) availability of services of protection officer

(घ) मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का

(d) right to get free legal service

(ङ) परिवाद-पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है । पर संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्रवाई करने से यह प्रावधान नहीं रोकता है ।

(e) to file a complaint. But police shall also have jurisdiction in cognizable offence.

धारा 10 सेवा प्रदाता, जो नियमतः निबंधित हो, वह भी मजिस्ट्रेट या संरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है ।

Section 10 Services provider if registered under the law may furnish report about Domestic violence.

धारा 12 पीड़िता या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में या मुआवजा या नुकासान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है । इसकी सुनवाई तिथि तीन दिनों के अन्दर की निर्धारित होगी एवं निष्पादन 60 दिनों के अन्दर होगा ।

Section 12 An aggreived person or protection officer or any person may present an application about Demestic violence or for compensation or damage. Date for hearing shall be fixed not beyond three days and disposal shall be in 60 days.

धारा 14 मजिस्ट्रेट पीड़िता को सेवा प्रदात्ता से परामर्श लेने का निदेश दे सकेगा ।

Section 14 Magistrate may direct the aggreived person to undergo counselling with service provider.

धारा 16 पक्षकार ऐसी इच्छा करें तो कार्यवाही बंद कमरे मे हो सकेगी ।

Section 16 Proceeding may be conducted in camera if the parties desiere so.

धारा 17 तथा 18 पीड़िता को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसका निष्कासन नहीं किया जा सकेगा ।उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकेगा ।

Section 17 & 18 Every women shall have right to reside in a shared household and shall not be evicted except by process of law and protection order may be passed in her favour .

धारा 19 पीड़िता को और उसके संतान को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का स्थानीय थाना को निदेश देने के साथ निवास आदेश एवं किसी तरह के भुगतान के संबंध में भी आदेश पारित किया जा सकेगा और सम्पत्ति का कब्जा वापस करने का भी आदेश दिया जा सकेगा ।

Section 19 Residence order in favour of the victim and her child may be passed giving protection with direction to the Police Station to give protection and may order to return the property to the victim to which she is entitled.

धारा 20 तथा 22 वित्तीय अनुतोष- पीड़िता या उसके संतान को घरेलू हिंसा के बाद किये गये खर्च एवं हानि की पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट निदेश दे सकेगा तथा भरण-पोषण का भी आदेश दे सकेगा एवं प्रतिकर आदेश भी दिया जा सकता है ।

Section 20 and 22 Monetary reliefs Magistrate may pass direction for paying monetary relief to meet loss suffered or expenses incured by the victim or her child as a result of domestic violence and also for maintenance with sending copy to the Police Station and compensation order may be passed.

धारा 21 अभिरक्षा आदेश संतान के संबंध में दे सकेगा या संतान से भेंट करने का भी आदेश मैजिस्ट्रेट दे सकेगा ।

Section- 21 Magistrate may pass an order for custody of child or for arrangement for visit of the child.

धारा- 24 पक्षकारों को आदेश की प्रति निःशुल्क न्यायालय द्वारा दिया जाएगा ।

Section- 24 Copy of order passed by the court shall be given free of cost to the parties.

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम, 2006

The Protection of Women from Domestic violence Rules 2006

नियम-9 आपातकालीन मामलों में पुलिस की सेवा की मांग संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा की जा सकती है ।

Rule 9 In case of emergency Protection Officer or service provider shall seek immediate assistance of the Police.

नियम- 13 परामर्शदाताओं की नियुक्ति संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध सूची में से की जायेगी ।

Section 13 Protection Officer shall appoint counsellors out of the available list.

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

The Prohibition of child Marriage Act, 2006

यह अधिनियम, बाल-विवाह अधिनियम, 1929, जिसमें 1949 तथा 1978 में शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया था, और महिला मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर बनाया गया परन्तु उसके अन्तर्गत विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता था ।

The present Act has been enacted keeping in view the recommendation of the Human Right commission for women as under earlier Act. The child marriage Restraint Act, 1929 which amended twice in 1949 and 1978 to raise the age limit for the purpose of marriage but under that Act marriage could not have been declared void.

धारा 3 बाल विवाह, यदि पुरूष है और उसकी उम्र 21 वर्ष नहीं है एवं महिला है और उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं है, होने पर

Section 3 Marriage of child if male below the age of 21 years and Female below the age of 18 shall be voidable at the option of party under the above age.

उस पक्षकार की प्रार्थना पर जिसकी उम्र 21 वर्ष या 18 वर्ष से कम है शून्यकरणी होगा ।डिक्री जिला न्यायालय द्वारा पारित किया जाएगा । वाद नाबालिग के अविभावक या वाद मित्र द्वारा लाया जाएगा यदि पक्षकार नाबालिग है । मुकदमा किसी भी समय लेकिन नाबालिग के बालिग होने के 2 वर्ष तक दाखिल किया जा सकेगा ।

If the contracting party is minor, the case shall filed through grardian or next friend. A case may be filed any time but before the child filing the petition completes two years of attaining majority.

धारा 4 महिला पक्षकार के भरण-पोषण और रहने के लिए व्यवस्था का आदेश जिला न्यायालय करेगा और पुरूष द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा । यदि पुरूष पक्षकार नाबालिग है तो यह आदेश उसके अविभावक के विरूद्ध किया जायेगा ।

Section 4 The District Court may make order, interim or final, to pay maintenance and to make provision for residence of female. If the male is minor, the order will be made against his guardian.

धारा 5 बाल विवाह से उत्पन्न संतान के अभिरक्षा एवं भरण-पोषण के संबंध में जिला न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा सकेगा ।

Section 5 District Court shall make an order for custody and maintenance of children of child marriage.

धारा 8 जिला न्यायालय में अनुतोष के लिए आवेदन दाखिल किया जा सकेगा

Section 8 For grant of reliefs a petition may be filed in the District Court.

धारा 12 नाबालिग का विवाह यदि अविभावक के संरक्षण से निकालकर, या बलपूर्वक या धोखे से या विवाह वास्ते बेच देने पर की गयी है तो वह विवाह शून्य होगा ।

Section 12 If a child marriage is solemnised taking out of the custody of a guardian or by force or deceitful means or on sale for marriage purpose shall be null and void.

धारा 13 न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नाबालिग के विवाह को रोकने का आदेश, आवेदन या नाबालिग विवाह निषेध पदाधिकारी के आवेदन या अन्य माध्यम से शिकायत किये जाने पर पारित कर सकेगा एवं स्वयं भी जानकारी प्राप्त होने पर आदेश से विवाह रोक सकेगा ।

Section 13 A Judicial Magistrate of the 1st class may issue injuction prohibiting child marriage on filing petition by the child marriage prohibiting officer or by any person or suo moto.

धारा 16 नाबालिग विवाह निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी जो अधिनियम में की गयी व्यवस्थाओं के अनुपालन कराने के लिए जबाबदेह होगा ।

Section 16 Child Marriage prohibition officer shall be appointed by the State govt. who will be responsible for implementation of the provisions made under the Act.

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

The Dowry Prohibition Act, 1961

धारा 2 दहेज का मतलब है कोई सम्पति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप सेः

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को; या

(ख) विवाह के किसी पक्षकार के अविभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद देने या देने के लिए सहमत होना । लेकिन जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में महर दहेज में शामिल नहीं होगा ।

Section 2 Dowry - means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly:-

(a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or

(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person, party at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of said parties but does not include dower or mahr in the case of person to whom the Muslim Personal law (shariat) applies.

धारा-3 दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम पाँच वर्ष के कारावास साथ में कम से कम पन्द्रह हजार रूपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के जुर्माने की सजा दी जा सकती है ।

लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा ।

Section 3 If dowry is given or taken, it shall be punishable with imprisonment for a term not less than five years and with fine which shall be not less than rupees fifteen thousand or the amount of the value of such dowry whichever is more.

But by way of gift given at the time of marriage either to the bride or bridegroom and included in the list as per provision will not be covered by the definition of dowry.

धारा 4 दहेज की मांग के लिए जुर्माना- यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम छः मास और अधिकतम दो वर्षो के कारावास की सजा और दस हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है ।

Section 4 If the parents, guardian or relative of any party demands dowry will be punished with imprisonment which shall not be less than six months and with fine which may extend to ten thousand rupees.

धारा 4ए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मिडिया के माध्यम से पुत्र-पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है और उसे भी कम से कम छह मास और अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रन्द्रह हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है ।

Section- 4A Through advestisement if any person offers share in his property or in any buisiness or other interest as consideration for the marriage of his son or daughter will be an offence and shall be punishable notless than six month which may extend to five years imprisonment and fine which may extend to fifteen thousand

धारा 6 यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के तीन माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के एक वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा । यदि महिला की मृत्यु हो गयी हो और संतान नहीं हो तो अविभावक को दहेज अन्तरण किया जाएगा और यदि संतान है तो संतान को अन्तरण किया जाएगा ।

Section 6 If any property in dowry is received by any person than bride and it is received within three months or if bride was minor and has attained the age of 18 years or if dies leaving no children, then the property shall be transferred to her parents or if died leaving children then to the children.

धारा 8ए यदि घटना से एक वर्ष के अन्दर शिकायत की गयी हो तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या क्षुब्ध द्वारा शिकायत किये जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

Section 8A The court shall take cognizance on submission of report by the police or on a complaint made by an aggrieved person within one year of the commission of the offence.

धारा 8बी दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाये गये नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कारित करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा ।

Section 8B The State Govt. shall appoint Dowry prohibition officer to implement provisions of the Act or to prevent the taking or abetting or demanding dowry or collect evidence for prosection.

डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999

Prevention of Dain (writchcraft) Act 1999

धारा 2(2) डायन से अभिप्रेत उस औरत से है जिसकी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति को काला-जादू, बुरी नजर या मंत्रों से हानि पहुँचाने की शक्ति रखने वाले के रूप में की जाती है ।

Section 2(2) Dain (witch) means such a women who possesses power to cause harm to any other person by means of evil spirit, illusion, phantasm or witchery.

धारा-2(3) पहचानकर्त्ता से अभिप्रेत है उस व्यक्ति से है जो यदि किसी व्यक्ति को डायन के रूप में चिह्नित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को बहकाता अथवा सुविधा देता है जिससे चिह्नित व्यक्ति को हानि पहुँचे या पहुँचने की संभावना हो ।

Section 2(3) Identifer is a person who initially identities any other person as a witch or who otherwise abets, instigates or facilitate with instend to causing harm to safty, security and reputations of the person whom he identifies as witch (Daain)

धारा 2(4) ओझा से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जो यह दावा करता है कि वह डायन को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है । वह गुणी या शेखा या अन्य नाम से भी जाना जाता है ।

Section 2(4) Ojha is a person who claims to possess capacity to control Daain (witch) whether he is known in the name of "Guni" or “Sokha" or any other name.

धारा-6 यदि कोई व्यक्ति किसी महिला जिसकी डायन के रूप में पहचान की गयी हो, के उपचार के लिए झाड़-फूँक या टोटका कर मानसिक हानि या यातना पहुँचाता है या प्रताड़ित करता है तो उसे एक वर्ष तक के कारावास की सजा या दो हजार का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

Section 6 If a woman identified as a Daain (witch) and she in order to redress causes mental harm or torture incourse of exorcism, the person does exorcism on such woman shall be punished for imprisonment upto one year or fime of rupees two thousand or by both.

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956

The Immoral Traffic (prevention) Act 1956

धारा 2(क) वेश्यालय उस जगह को कहते है जिस कमरा, स्थान, गृह या किसी स्थान पर दैहिक शोषण या दुर्व्यवहार किया जाता है जो किसी के लाभ या आपसी लाभ के लिए व्यवहृत किया जाता हो ।

Section 2(a) Brothel includes any house, room (conveyance) or place which is used for purpose of sexual exploitation or abuse for the gain of other person or for the mutual gain of two or more prostitutes.

धारा 2(झ) वेश्यावृत्ति से मतलब है व्यवसायिक दृष्टि से दैहिक शोषण या दुर्व्यवहार किया जाना ।

Section 2(f)
Prostitution means the sexual exploitation or abuse of a person for commercial purpose.

धारा 3 जो कोई व्यक्ति वेश्यालय चलाता है या परिसर को उस रूप में व्यवहार करने की इजाजत देता है, उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सजा दी जाती है ।

Section 3 If any person keeps brothel or allows premises to be used as a brothel shall be punished under the provision.

धारा 4 कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है और वेश्यावृति पर अपनी जीविका चलाता है उसे भी प्रावधान के अन्तर्गत सजा मिलेगी ।

Section 4
Any person over the age of 18 years lives on earninings of the prostitution shall be punished under the provision.

धारा- 5 वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने या प्रवृत्त करने के लिए वह व्यक्ति सजा पाने का हकदार होगा और यदि वह नाबालिग को ऐसा करने के लिए उकसाता है तो वह अधिक सजा का भागी होगा ।

Section 5 Any person who procures or taking person for the sake of prostitution shall be puished under the provision and if a minor under the law is persuaded, the guilty person will get more severe punishment.

धारा 6 यदि कोई व्यक्ति दूसरे के साथ अनैतिक शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उसे अवरूद्ध करता है तो वह सजा पाने का हकदार होगा । नाबालिग के साथ ऐसा घटित होने पर अधिक गम्भीर सजा का प्रावधान किया गया है ।

Section 6 Any person who detains any other person to have sexeual intercourse shall be punished under the provision. If a minor is exploited shall be punished severally.

धारा 13 विशेष पुलिस पदाधिकारी, जो इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा, कि नियुक्ति और सलहाकार बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और केन्द्र सरकार ट्रैफिकिंग पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति अपराध की जाँच के लिए करेगी ।

Section 13 Special Police Officer not below the rank of Inspector shall be appointed and advisory body shall be associated by the State government and the Central Govt may appoint trafficking Police Officers for investigation of an offence.

धारा- 21 रक्षा गृह की स्थापना राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तथा राज्य सरकार किसी व्यक्ति या प्राधिकार को सुधार गृह की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति भी जारी कर सकेगा ।

Section 21 The State Govt. may establish protective house and may issue licence to a person or authority for establishing protective house or corrective house.

महिलाओं की अशिष्ट प्रस्तुति (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

धारा 3 कोई भी व्यक्ति महिलाओं की अशिष्ट प्रस्तुति करने वाला प्रकाशन, प्रदर्शन या विज्ञापन नहीं करेगा ।

धारा 4 कोई भी व्यक्ति महिलाओं की अमर्यादित छवि प्रस्तुत करने वाले पुस्तक, चित्र, स्लाइड, लेख, चित्रकारी इत्यादि का प्रकाशन या बिक्रय या वितरण या डाक द्वारा प्रेषण नहीं करेगा ।

धारा 6

शास्ति (दण्ड)

कोई व्यक्ति धारा 3 व 4 का उल्लंघन करता है तो प्रथम बार ऐसा करने पर दो वर्ष तक के कारावास की सजा तथा दस हजार रूपये तक का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर कम से कम छः माह और अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक के कारावास की सजा एवं कम से कम दस हजार रूपये और अधिक से अधिक एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्दित हो सकता है ।

The Indecent Representation of Women (prohibition) Act, 1986

Section3 No person shall publish or cause to be published or arrange or take part in the publication or exhibition or any advertisement which contains indecent representation of women in any form.

Section. 4 No person shall produce or cause to be produced, sell, let to hire, distribute, circulate or send by post any book, pamphalet, paper, writing, drawing painting, photograph or figure containing indecent representation of women.

Section 6

Penally

Any person contravens the provision of section 3 or 4 shall be punished on first conviction with improsionment of either description for a term which may extend to two years and with fine which may extend to ten thousand and in the event of a second or subsequent conviction for a term of not less than six months but may extend to five years and also with a fine not less than ten thousand but which may extend to one lac rupees.

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971

धारा 3 निबंधित चिकित्सक द्वारा गर्भ का समापन किया जा सकता है यदि गर्भ 12 सप्ताह से अधिक का न हो या 12 सप्ताह से ऊपर पर 20 सप्ताह से अधिक का न हों एवं दो चिकित्सक एकमत हो और चिकित्सक को समाधान हो जाए कि गर्भ के बने रहने से गर्भवती के जीवन को या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा है या संतान उत्पन्न होने पर संतान शारीरिक या मानसिक विसंगति या

Medical Termination of pregnancy Act 1971

Section 3 A registered medical proctitioner may terminate pregnancy of a women if the pregnancy length does not exceed 12 weeks and if exceeds 12 weeks but does not exceed 20 weeks and two medical practitioners form opinion that pregnancy would involve risk to the life or grave injury to women's physical or mental health or if the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalties as to be seriously

अपंगता का शिकार हो सकती है ।
स्पष्टीकरण:

बलात्कार, या संतान की संख्या सीमित करने के उपाय विफल होने पर या 18 वर्ष से कम की उम्र में गर्भ धारण करने पर या पागल अवस्था में गर्भ धारण करने पर अविभावक की लिखित सहमति से गर्भ समापन किया जा सकता है । (धारा-4)

handicapped.
Explanation:

If pregnancy has been caused by rape or pregnancy occurs in resect of failure of devise used by married women or husband for limiting the number of children, in this case also pregnancy may be terminated and also incase of pregnancy occurs before attaining 18 years or a lunatic, pregnancy may be terminated with consent in writing and of guardian.

जन्म पूर्व परीक्षण तकनीक (दुरूपयोग का विनियमन एवं निवारण) अधिनियम, 1994

Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and prevention of misuse) Act, 1994.

धारा-6 किसी भी कार्यशाला या सेन्टर या प्रयोगशाला द्वारा लिंग निर्धारण हेतु जाँच नहीं किया जायेगा । लेकिन संतानोत्पति पूर्व किसी विसंगति, जो वंशानुगत या अन्य बिमारी के संबंध में हो, की जाँच गर्भवती महिला की लिखित सहमति से और जाँच से होने वाले सभी असर को बता कर किया जा सकता है ।

Section 6 No person shall conduct pre-natal diagnostic technics for the purpose of determing the sex of a foetus as per section 4 such diagnostic technics may be conducted on obtaining consent in writing informing about side effects.
(Section 5) for abnormalities either chromosonal or congenital or disease if pregnant women is above 35 years or has undergone two or more spontaneous abortion or exposed to radiation infection or chemicals or woman has a family history of mental retardation or physical deformities.

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

The Maternity Benefit Act, 1961

धारा 2 व 3 के अनुसार फैक्ट्री, खान, जमीन जहाँ उत्पादन हो या संस्थान वगैरह में वहाँ कार्यरत, महिलाओं के संबंध में प्रदत्त सुविधाएँ दी जाने के लिए प्रावधान लागू होगा । यह सरकारी संस्थान एवं जहाँ 10 या अधिक कामगार कार्यरत है

As per section 2 & 3 the provision will be applicable to working women of Govt. establishment or an establishment where 10 or more women are working in a factory, mine, plantation etc or employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and

तथा कठिन कार्य, घुड़सवारी से संबंधित या अन्य कार्य करने वाली महिलाओं को (धारा 4) के अनुसार कोई भी नियोक्ता संतान के जन्म देने या गर्भापात हो जाने या करायेजाने से छः सप्ताह तक महिला से कार्य नहीं लिया जाएगा तथा कठिन कार्य गर्भावस्था के दरम्यान नहीं लिया जाएगा यदि निवेदन किया जाता है तथा धारा 5 के अनुसार औसत दैनिक मजदूरी अनुपस्थिति के दौरान पाने का हकदार होगी जोतीन माह तक कार्य की हो तथा कम से कम 80 दिनों तक बारह महीनों में कार्य की होऔर 12 सप्ताह तक लाभ मिल सकेगा ।

other performance of an establishment and maternity benefit to a pregnant women or in case of abortion or medical termination of pregnancy no work will be required to do (Sec. 4) if so requested and average daily wage shall be paid during absence of such period (section 5) but women should have worked for three months and not less than 80 days in the 12 months and benefit will be given for 12 weeks.

धारा-6 कार्यरत महिला द्वारा मातृत्त्व लाभ के दावे के लिए नियोक्ता को सूचना देनी होगी तथा गर्भवती को मातृत्त्व लाभ के लिए अनुपस्थिति की अवधि भी बताना होगा । नियोजक द्वारा 6 सप्ताह की औसत मजदूरी का मातृत्त्व के रूप में भुगतान करना होगा ।

Section 6 Women employed will have to give notice for claim of maternity benefit and in case of pregnancy expected period of absence will have to mention.

धारा 8 प्रत्येक स्त्री चिकित्सा बोनस पाने की भी हकदार होगी यदि नियोक्ता द्वारा जन्म पूर्व या बाद निःशुल्क सुविधा नहीं दी गयी है ।

Section 8 A women is entitled to medical bonus if the employer has not provided pre or post natal care free of cost.

धारा- 11 काम पर वापस आने के बाद से संतान के पन्द्रह माह का होने तक महिला कामगार को सामान्य मध्यान्तर के अतिरिक्त दो मध्यान्तर प्राप्त होगा ।

Section 11 A women employee shall get two additional breaks in course or daily work till 15 months age of child on return to duty.

धारा 12 घोर अनियमिता के आधार पर बर्खास्तगी के अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान अनुपस्थित रहने पर किसी स्त्री को काम से बर्खास्त नहीं किया जाएगा । बर्खास्तगी के विरूद्ध अपील बर्खास्तगी की सूचना से 60 दिनों के अन्दर कर सकती है ।

Section 12 During pregnancy if a women absents her dismissal will be unlawdful except in a case of gross miconduct and an appeal may be preferred against such dismissal within 60 days, from the date of communication of such dismissal.

धारा 14 तथा 17

निरीक्षक की बहाली राज्य सरकार करेगी । निरीक्षक मातृत्त्व लाभ दिलाने तथा गलत तरीके से काम से बर्खास्ती की स्वयं जाँच आदि कर न्याय दिलाने का काम करेगा । निरीक्षक आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर अपील किया जा सकता है ।

Section 14&17

State govt. may appoint Inspection for the Act. Inspector and may direct payment of maternity benefit if withheld. Or dismissed or discharged may order according to the circumstances of the case and against such order may appeal within 30 days by the aggrieved person.

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

Scheduled Castes and Scheduled tribes (prevention of Atrocities) Act, 1989.

कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 366 में वर्णित है, का सदस्य नहीं है जन समुदाय के समक्षः ऐसा पदार्थ जो पीने या खाने योग्य नहीं है को पीने या खाने के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को प्रेरित करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे हानि पहुँचाता है या अपमान करता है या तंग करता है या निर्वस्त्र करता है या ऐसा कर घुमाता है या चेहरा या शरीर रंगता है जो मानवीय प्रतिष्ठा को कम करता है या उसकी जमीन पर कब्जा करता है या आबाद करता है या उससे बेगारी कराता है या बंधुआ मजदूरी कराता है या मताधिकार से वंचित करने, व्यक्ति विशेष को वोट न देने के लिए धमकाता है या उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा करता है या झूठी सूचना लोक अधिकारी को देता है या इनकी महिलाओं को अपमानित करता है या मर्यादा भंग करता है या शारीरिक शोषण करता है या इनके द्वारा उपयोग किये जा रहे झरना या संचित पानी को दूषित करता है या सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोकता है या घर या गॉव छोड़ने के लिए दबाव देता है तो उसका यह कृत्य धारा 3 के अन्तर्गत दण्डनीय है और उन्हें कम से कम छः माह जो पाँच वर्ष

Whoever not being a member of a scheduled caste or tribes as described in A. 366 of the constitution of India if in public view to the member of scheduled caste or scheduled tribes forces to drink or eat any uneatable or obnoxious substance or acts to cause injury, insult and annoyance or wrongfully occupies or cultivates his land or wrongully dispossessed from his land or premises or compels to do begar or forces or intimadates not to vote or to vote a particular candidate or institute a false case or gives any false informatin to any public servant or assaults or uses force to women of schedule castes or tribes or dominates will to exploit her sexually or corrupts or fouls the water of any spring, reservioer or denies right of passage to a public resort or prevent from using or having access to a public resort or forces to leave his house, village such act shall be punishable not less than six months but which may extend to five years and with fine u/s 53 (1) or gives or fabricates false evidence to be convicted for life or seven years or commits mischief by fire to cause damage to projection or causes destruction of any building shall also be punishable.

तक की भी हो सकती है की सजा दी जा सकती है ।

अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध ऐसा झुठा साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए जिससे उन्हें सजा दिलवायी जा सके जो आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उनकी सम्पति को नुकसान करने के लिए या आवासीय परिसर को भी नुकसान करने के लिए करता है तो दण्डनीय होगा (धारा 3(2)) ।

धारा-4 लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है और जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपना कर्त्तव्य करने में उपेक्षा करता है तो वह दण्ड का भागी होगा ।

Section 4 If a public servant not being member of schedule caste or tribes willfully neglects his duties required to be performed under this act shall be punishable.

धारा-7 यदि कोई इस अधिनियम के अन्तर्गत सजा पाता है तो उसकी सम्पति जिसे अपराध करने में इस्तेमाल किया है, को सरकारी सम्पति घोषित किया जा सकता है या मुकदमा के विचारण के दौरान जब्त किया जा सकता है ।

Section-7 If any person is convicted under the provision of this Act his property may be declared forfeited to Govt. or during the period of such trial be attached.

धारा 10 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध करने की संभावना हो तो उसे उस क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है ।

Section 10 If a person is likely to commit an offence in any schedule or tribal area as referred u/A 244 of the constitution may be directed to remove himself beyond the limit of such area.

धारा 17 यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा कोई अपराध कारित किये जाने की संभावना हो तो जिला मैजिस्ट्रेट या अनुमंडलाधिकारी या कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति या समूह के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा सकेगी ।

Section 17 District Magistrate or sub-divisional Magistrate or Excutive Magistrate may take preventive action against such person who is likely to commit or threatens to commit an offence under this act.

धारा 18 इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने वाले को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगा ।

Section 18 An offender under this act shall not be entitled to an anticipatory bail.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (prevention of Atrocities) Rules, 1995.

नियम 3(i) (iii)- आवश्यक होने पर पहचान किये गये क्षेत्र के गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकता है । नियम 3(i)(vi)- अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाएगी ।नियम 3(1)(viii) के अन्तर्गत जागृति केन्द्र की स्थापना की जाएगी और कार्यशाला आयोजित की जायेगी । नियम 3(1)(ix) के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थान को जागरूकता केन्द्र की स्थापना और उसके रख-रखाव के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और आर्थिक सहायता दिया जा सकेगा ।

U/r 3 (1)(iii) Arms licence may be cancelled of a person not being a member of Schedule caste or schedule tribe if necessary. U/s 3(1)(vi) a high power committee may be constituted to assit the Government. U/s 3(1)(viii) workshop may be organized and awareness centre may be set-up. U/R 3(1)(ix) encourage Non-Govt. organisation for establishing awareness centre and organizing workshops and provide them necessary financial and other sort of assistance.

नियम 9 राज्य सरकार एक नोडेल आफिसर, जो सचिव स्तर का होगा, की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी ।जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान तथा जाँच पदाधिकारी के साथ इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करवाने के उद्देश्य से समन्वय स्थापित करने हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी ।

Rule 9 The State Govt. shall nominate a Nodal Officer of the level of a Secreary to the State Govt. preferably belonging to the scheduled castes or scheduled tribes for co-ordinating the functioning of the D.M. and S.P., other officers authorized by them, I.O. for implementing the provisions of the Act.

नियम 11 नियमानुसार पिड़िता और उसके आश्रितों तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, रख-रखाव खर्च का भुगतान किया जायेगा । यह भुगतान तीन दिनों के अन्दर करना है । पीड़ित/ पीड़िता को और उन पर निर्भर व्यक्ति को खुराकी, फल का खर्च एवं चिकित्सकीय खर्च भी देय होगा ।

Rule 11A victim of atrocity and his/her dependent shall be entitled to travelling allowance, daily allowance, maintenance expenses as per provision. It shall be paid/ reimbursed within three days. Diet expenses will also be given. The victim shall also be entitled to reimbursement of payment of medicines, medical consultation, clothing (replacement) meals, fruits etc.

<u>नियम 12</u> जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक अत्याचार से हुई जीवन एवं समपति के क्षति का आंकलन करेंगे तथा जैसा सूची I एवं II में वर्णित है शीघ्र राहत देने हेतु कार्यवाही करेंगे।

<u>Rule- 12</u> D.M. and S.P. shall take step to assess the loss of life and damage and to provide immediate relief as per rule mentioned in Annexure I & II.

<u>नियम 15</u> राज्य सरकार आकस्मिक योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय करेगी:-

नकद या सामग्री या दोनों की तत्काल सहायता, कृषि भूमि एवं घर हेतु जगह का आवंटन करना, पुनर्वास कराना, सरकारी या अर्द्धसरकारी महकमें में पीड़िता के आश्रित या परिवार के एक सदस्य को रोजगार, विधवा मृतक के आश्रित बालक, विकलांग, पीड़ित वृद्व को पेंशन देना, पीड़ितों को आज्ञापक मुआवजा देना, पीड़ित के सामाजिक, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ईंट इत्यादि से निर्मित घर पीड़ित/पीड़िता को देना तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करवाना ।

Rule-15- The State Govt. shall make a plan containing a package of relief measures for immediate cash relief or in kind or both, allotment of agricultural land and house sites, rehabilitation package, to provide employment to the dependent or one of the family members, in Govt. or Govt undertaking pension scheme for widow, dependent children, handicapped or old age victims of atrocity, mandatory compensation, strengthening the socio-economic conditions of the victim, providing bricks/stone masonany house to the victims and other facilities.

नियम 16 एव 17

अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय निगरानी एवं देख-भाल समिति की स्थापना करना ।

Rule 16 & 17
Constitution of State level Vigilance and Monitoriing Committee. For implementation of the provisions of the Act.

अनुसूची I जैसा नियम 12 में दिया गया है

Schedule I as in Rule 12

अपराध की प्रकृति	सहायता राशि
<u>धारा</u> 3(1)(i),(ii),(iv),(v)-	प्रत्येक पीड़ित को रू0 पच्चीस हजार या अधिक तथा जमीन, पानी आपूर्ति बहाल करना।
प्रत्येक पीड़ित को	

<u>Sec.</u> 3(1) (i) (ii) (iv) (v). Rs. 25,000/- or more to each victim and land, water supply shall be restored

(1) (vii)	up to 20,000/- to each victim
3(1)(viii),(ix)	Rs. 25,000/- to each victim
3(1),(xi),(xii)3(2)	Rs. 50,000/- to each victim

एक लाख रूपये या सामान्य स्थिति में लाने की पूरी लागत ।

3(1), (xiii), xiv) 3(2) (i) & (ii) Rs. 1,00,000/- or full cost of restoration of normal facility

क्षति का पूर्ण मुआवजा- लोक सेवक द्वारा उत्पीड़न कारित होने पर

100% असमर्थता- एक लाख प्रत्येक पीड़ित को -जो कमाने वाला सदस्य नहीं है ।

दो लाख प्रत्येक पीड़ित को- जो कमाने वाला सदस्य है ।

अयोग्यता की प्रतिशत के अनुसार न कमाने वाले को रू0 15,000/- और कमाने वाले को रू0 30,000/-। नहीं कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर रू0 1,00,000/- एवं कमाने वाले की मृत्यु पर 2,00,000/- ।

3(2) (vii) Full compensation of damage or loss

100% disability- Non-earning member- 1,00,000/- each victim.

Earning member- 2,00,000/- each victim

On death-

non earning Rs. 1,00,000/- and to earning Rs. 2,00,000/-

इसके अतिरिक्त विधवा को प्रतिमाह रू0 1,000/- पेंशन या एक सदस्य को नौकरी, मुफ्त शिक्षा, तीन माह के लिए अनाज व बर्तन इत्यादि की व्यवस्था तथा घर नष्ट होने पर पुनः बनवाना ।

In addition to that as prescribed pension to each widow Rs. 1,000/- per month or employment to one member of the family,cost of education, maintenance and provision for utensils, grains for three months, Brick / stone masonry house to be reconstructed where it has been burnt or destroyed.

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990

The National Commission for women Act 1990

देश की आधी आबादी को असमानता से बचाने के लिए और देश की प्रगति हेतु यह महसूस किया गया कि महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार की सुरक्षा, समीक्षा एवं अध्ययन करने के लिए, शिकायतों की जाँच और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाय ।

To save the half population of the country and for the progress of the country it was realiazed that a National Commission for women be constituted to study and monitor matters relating to constitutional and legal safeguards andto look into the complaints.

धारा 10 आयोग के कार्य- महिलाओं को संविधान एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त सुरक्षा से संबंधित मामलों की जाँच एवं परीक्षण करना है । केन्द्र सरकार के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना । महिलाओं से संबंधित कानूनों के कारगर ढंग से

Functions of the Commission is to investigate and examine all matters relating to the safeguard provided to women under the constitution and other laws, present anual report to the central Govt. to recommend for the effective implementation of safeguards for improv

अनुपालन करने के लिए सिफारिश करना, कानूनी प्रावधानों पर पुनर्विचार करना तथा सुधार के उपाय सुझाना, शिकायतों पर विचार करना, महिलाओं के विरूद्व कानून के उल्लंघन के मामलों को देखना एवं विचार करना, महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर सलाह देना एवं प्रक्रिया में भाग लेना, जेल, रिमाण्ड होम का निरीक्षण करना आदि ।

-ing the condition, look into the complaints, take up the cases of violation of the provision or constitution and other laws and advise and take part in plan process, inspect Jail, remand home etc.

किशोर न्याय (बालाकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम , 2000

The Juvenile Justice (care and protection of children) Act, 2000

<u>धारा 2 (घ)</u> किशोर जिसे देख-भाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है, से तात्पर्य यह है कि वह किशोर जिसके पास घर या रहने का निश्चित स्थान नहीं है तथा जिसे जीवन निर्वाह का दृश्यमान साधन उपलब्ध नहीं है तथा जो भीख मांगते फिरता है या सड़क का बालक है या कार्यरत बालक है या जो ऐसे आदमी के साथ रहता है जिसने जान से मारने की धमकी दी है या शारीरिक क्षति पहुँचाने की धमकी दी हो या ऐसी संभावना हो या उपेक्षा की हो या ऐसी संभावना हो या बालक मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य हो तथा कोई उसकी देख-भाल करने वाला नहीं हो या अविभावक उसे नियंत्रित करने में अयोग्य हो या बालक का शारीरिक शोषण किया जा रहा हो या वह मानव व्यापार या नशीली दवा का शिकार हो या उसका अनुचित लाभ हेतु दुरूपयोग किया या करने का प्रयास किया जा रहा हो या वह प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया हो ।

Section 2(d)

Child in need of care and protection means a child:

Who has no home or settled place or abode and ostensible means of subsitence or begging or resides with such a person who has threatened to kill or injure the child or is such apprehension or is mentally or physically challanged or no one is to support or parent or gurdian has no control over the child or is tortured or exploited for the purpose of sexual abuse or illegal acts or is likely to be inducted into drug abuse or trafficking or is to be abused for unconscionable gains or a victim of any armed conflict or civil commotion or natural calamity is a such child.

धारा 2(ङ) किशोर गृह से ऐसा संस्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संस्था द्वारा स्थापित किया गया है धारा 34 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अभिप्रमाणित है तथा जिसमें किशोर को जाँच के दरम्यान रखा जायेगा तथा उनके शिक्षा, प्रशिक्षण विकास पुनर्वास एवं चिकित्सा इत्यादि के लिए व्यवस्था होगी ।

Section 2(e) Children's home means an institution established by a State Govt. or by voluntary organisation and certified by that Govt. u/s 34 for reception, care, protection, education and training etc. of a Juvenile.

धारा 2 (ज) योग्य संस्था से मतलब है सरकारी या निबंधित संस्था या स्वैच्छिक संस्था जो किशोर की जिम्मेदारी लेने को तैयार है ।

Section 2(h) Fit institution means a Governmental or registered Non-Governmental or voluntary organisation prepared to own the responsibility of a child.

धारा 2(ट) किशोर या जुवेनाईल से तात्पर्य ऐसे किशोर से है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है ।

Section 2(k) Juvenile or child means a person who has not completed eighteen years of age.

धारा 2(ठ) किशोर जो कानून के विरोध में है से अर्थ है वह किशोर जिसके बारे में यह कथित है कि उसने अपराध किया है पर घटना के दिन उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं की हो ।

Section 2(L) Juvenile in conflict with law means a juvenile who is alleged to have committed an offence and has not completed 18 years of age as on the date of commission of such offence.

धारा 2(ण) संप्रेक्षण गृह जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित तथा स्वैच्छिक संस्था द्वारा सत्यापित हो ।धारा 8 के अन्तर्गत अस्थायी रूप से जो किशोर विधि के विरोध में है, को रखेगा तथा सेवा प्रदान करेगा । इसमें 7 वर्ष से 12 वर्ष, 12 वर्ष से 16 वर्ष एवं 16वर्ष से 18 वर्ष के किशोर को अलग-अलग इकाई में रखेगा ।

Section 2(o) observation home means a home established by a State Govt. or by a voluntary organisation certified by a State Govt. for reception of juvenile in conflict with law of the age of 7 years to 12 years, 12 years to 16 years and 16 years to 18 years in separate unit u/s 8.

धारा-2(स) आश्रय गृह से अर्थ है गृह जो धारा 37 के अन्तर्गत राज्य सरकार या सक्षम एवं साख वाले स्वैच्छिक संस्था द्वारा स्थापित किया गया है । सरकार ऐसी संस्था को सहायता प्रदान करेगा ताकि आश्रय गृह, जितना आवश्यक हो, की स्थापना की जा सके ।

Section 2(4) Shelter home means a home or a drop in centre set up u/s 37 and shall function as drop in centre for the children.

धारा 2(फ) विशेष गृह से अर्थ उस संस्थान से है जो राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संस्था द्वारा स्थापित किया गया है तथा धारा 9 के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रमाणित है तथा जहाँ किशोर, जो विधि के विरोध में है, को लाया जा सकेगा तथा बसाने के लिए कार्य करेगा एवं राज्य सरकार विशेष गृहों के प्रबंधन आदि के लिए नियम बनायेगी ।

Section 2(v) Special home means an institution established by a State Govt. or by a voluntary organisation and certified by the Govt. u/s 9 for reception and rehabilitation of juvenile in conflict with law and the Govt. may by rules made provide management of special homes.

धारा 3 जब किसी किशोर के संबंध में जाँच प्रारंभ की गयी है तो किशोरावस्था की समाप्ति के बाद भी यह जाँच यह मानते हुए जारी रहेगी कि वह अभी भी किशोर है ।

Section 3 When an enquiry has been initiated the same may continue even after he Ceases to be a juveniles as if he is still a juvenile or child.

धारा 4 राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सभी जिलों में किशोर न्याय पर्षद का गठन करेगी जिसके सदस्य मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी एवं दो सामाजिक कार्यकर्त्ता होंगे जिसमें एक महिला सदस्य होगी । न्यायिक दण्डाधिकारी को किशोर के मनोविज्ञान या किशोर कल्याण के बारे में विशेष ज्ञान पर प्रशिक्षण प्राप्त होगा और सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्य ऐसा होगा जिसने 7 वर्ष तक स्वास्थ्य, शिक्षा या किशोर की गतिविधि में भाग लिया हो ।

Section 4 The State Govt. by notification may constitute Juvenile Justice Board in every District and members of Board shall be Matropolitan Magistrate or Judicial Magistrate having spl. knowledge or training in child psychology or child welfare and two social worker as members who have been actively involved in health, education or welfare activities pertaining to children for at least seven years.

धारा 7 यदि किसी दण्डाधिकारी अधिकार को परिषद की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है तो वह इस आशय का मंतव्य अंकित करते हुए अभिलेख एवं किशोर को सक्षम पदाधिकारी के पास भेजेगा ।

Section 7 If any Magistrate has no jurisdiction or power to exercise the power of a Board he may record his opinion and send the juvenile and record to the competent Authority.

धारा 7(क) प्रक्रिया जो किशोर होने का दावा करने पर अपनायी जायेगी -
किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी समय किशोर होने का दावा किया जा सकेगा और कोर्ट घटना घटित होने के दिन की तिथि को अभियुक्त की उम्र क्या थी, इसका निर्धारण करेगा ।

Section 7 (A) Procedure to be followed when a claim of Juvenile is raised-

Before any court at any stage claim of juvenile may be raised and the court shall determine the age on the date of commission of an offence.

धारा 10 किसी भी किशोर को गिरफ्तार करने पर उसे तत्काल बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और किसी भी हालत में उसे जेल में या पुलिस हाजत में नहीं रखा जाएगा ।

Section 10 On apprehension of a juvenile in conflict with law shall be produced befoe a member of the Board immediately and in no case shall be placed in Jail or police lockup.

धारा 12 किशोर को जमानत-
किसी भी विधि विवादित किशोर को प्रतिभू या बिना प्रतिभू के जमानत पर छोड़ा जा सकेगा या प्रोबेशन पदाधिकारी या योग्य व्यक्ति या संस्था के संरक्षण में रखने का आदेश दिया जा सकेगा । लेकिन जमानत पर छोड़ने से यदि किशोर किसी ज्ञात अपराधी की संगत में चला जायेगा या उसे नौतिक या शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा तो किशोर को जमानत पर छोड़ने के बजाय उसे संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा ।

Section 12 A Juvenile may be released on bail with or without surety or may be placed under the supervision of probation officer or under the care of a fit person or institution but shall not be released if a juvenile on release is likely to bring him into association with any known criminal or expose to moral, physical or psychological danger or his release will defeat the ends of justice then a juvenile shall be kept in observation home, if not so released.

धारा 13 किशोर की गिरफ्तारी पर उसके अविभावक या माता-पिता को बोर्ड के समक्ष उपस्थित रहने के संबंध में सूचना दी जायेगी ।

Section 13 On arrest of a juvenile parent or guardian shall be informed to remain present before the Board.

धारा 14 बोर्ड किशोर के विरूद्ध आरोपों के संबंध में जाँच करेगा और इसे चार माह के अन्दर पूरा करेगा ।

Section 14 Board shall hold the enquiry in relation to charges against the juvenile and shall complete it within a period of 4 months.

धारा 15 किशोर के संबंध में निम्नलिखित आदेश पारित किया जायेगा -
उसे घर जाने की सलाह के बाद या चेतावनी के बाद या समुदाय सेवा करने या माता-पिता को जुर्माना देने या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश और माता-पिता के देखभाल में रहने, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा या विशेष गृह में इतनी अवधि के लिए भेजा जा सकेगा ।

Section 15 Order regarding juvenile may be passed-
to go to home on advice or after admonition may be released or for counselling or may order to release on probation of good conduct and placed under the care of parent or guardian, fit person for a period of three years or order to pay fine by parents or order to send special home for three years.

धारा 16 किसी विधि विवादित किशोर को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या जुर्माना भरने में व्यक्तिक्रम पर कारावास की सजा नहीं दी जायेगी ।

Section 16 No juvenile in conflict with law shall be sentenced to death or life imprisonment or commited to prison in default to pay fine.

धारा 29 राज्य सरकार देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक के संबंध में बाल कल्याण समिति का गठन करेगी । समिति धारा 33(3)के अनुसार यदि किशोर को आश्रय नहीं है तो उसके पुनर्वास तक या 18 वर्ष की उम्र तक बालक गृह में रहने के संबंध में अनुमति देगी ।

Section 29 The State Govt. shall constitute a child welfare committee in relation to child in need of care and protection under the Act and u/s 33(3) may allow child to remain in children home till his rehabilitation or till be attains the age of 18 years.

धारा 52 सक्षम प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध सत्र न्यायालय के समक्ष 30 दिनों के अन्दर अपील किया जा सकेगा ।

Section 52 Against the order of a competent Authority an appeal within 30 day may be preferred.

धारा 53 सक्षम प्राधिकार या सत्र न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है ।

Section 53 Against the order of a competent Authority or court of session a revision may be preferred before High Court.

धारा 62(क) राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन हेतु किशोर सुरक्षा इकाई की स्थापना करेगी ।

Section 62A The State Govt. shall constitute a child protection unit for implementation of the Act.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

The Consumer Protection Act 1986

धारा 2(ख) के अन्तर्गत शिकायतकर्त्ता उपभोक्ता या स्वतंत्र उपभोक्ता संघ जो निबंधित हो या केन्द्र या राज्य सरकार हो सकती है ।

शिकायत से मतलब है लिखित शिकायत जो शिकायतकर्त्ता द्वारा अनुचित व्यापार अभ्यास करने के विरूद्ध या किसी वस्तु में विकार (त्रुटि) होने या किसी सेवा में कमी (न्यूनता) के लिए की गयी है (धारा 2ग)।

Section 2B Provides that complainant may be either who is a Consumer or a registered consumer association, Central or State Govt. who make a complaint.

"Complants" means a complaint in writing against unfair trade practice or for defect in goods or defeciency in service for which consideration is paid. A complaint may be filed before District Consumer Forum (Section 2.c).

धारा 2(घ)- उपभोक्ता- जिसने वस्तु का क्रय किया हो या मूल्य (प्रतिफल) के एवज में सेवा लिया हो ।उपभोक्ता वस्तु में त्रुटि या सेवा में कमी के लिए जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष लिखित शिकायत कर सकता है । ऐसा व्यक्ति जो माल पुनः विक्रय या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्राप्त करता है वह उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आयेगा ।

Sec. 2(d)- "Consumer" means any person who buys any goods or hires or avail any services for a consideration. It does not include a person who obtains goods for resale or for any commercial purpose.

धारा 11 के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष 20 लाख रूपये तक के वस्तु या सेवा या मुआवजा के लिए शिकायत की जा सकती है तथा धारा 17 के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष 20 लाख रूपये से अधिक और एक करोड़ तक मूल्य के सेवा या प्रतिकर के संबंध में परिवाद किये जा सकता है । राज्य उपभोक्ता आयोग में जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के विरुद्व तीस दिनों के अन्दर अपील भी दायर किया जा सकता है ।

Under Section 11

District Forum shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of goods or service and compensation, if any, claimed does not exceed rupees twenty lakhs. State Consumer Commission have jurisdiction to entertain complaints where the value exceeds rupees twenty lakhs but does not exceed one crore rupees (S 17). Against the order of the District Consumer Forum an appeal may be filed before State Consumer Commission within 30 days from the date of order.

विवाह संबंधी नियम

Laws relating to Marriage

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

The Hindu Marriage Act, 1955

हिन्दू विधि के अनुसार विवाह एक धार्मिक कृत्य या संस्कार या अनुष्ठान है जो शुद्धता के लिए आवश्यक है और शास्त्र के अनुसार यह जीवन पर्यन्त एवं मृत्योपरान्त भी समाप्त नहीं किया जाने वाला संबंध है ।

विवाह के कई प्रचलित रूप थे पर हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में वैध विवाह की मान्यता के बारे में प्रावधान बनाया गया ।

यह अधिनियम हिन्दू, जो धर्म के अनुसार चाहे किसी रूप के अन्तर्गत आते हो और उनमें विराशैवम, लिंगायत या ब्रह्मो, या आर्य समाज, बौद्ध, जैन या सिख धर्म का मानने वाला हो, पर लागू होता है ।

Hindu Law considers marriage to be a sacrament and according to Hindu religion it is a gift of the bride to the bridegroom and did not permit dissolution of the marriage during the life time and even after the death.

There were several forms of marriage but after Hindu Marriage Act being came into existence, some provisions have been made to recognize the valid marriage.

This Act applies to a Hindu who comes under any form, including Virashiva, Lingayat or Arya Samaj, Buddist, Jaina or Sikh by religion.

धारा- 5

दो हिन्दूओं के बीच वैध विवाह के लिए यह शर्त है कि:-

1. विवाह के समय किसी पक्षकार को जीवित पति/पत्नी न हो
2. विवाह के समय

क. कोई पक्षकार विधि मान्य सहमति देने में मानसिक तौर पर अयोग्य नहीं हो;

ख. या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न हो कि वह विवाह एवं संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो ;

ग. लगातार पागलपन या मिरगी से ग्रस्त न हो

3. वर की उम्र 21 वर्ष तथा कन्या की उम्र 18 वर्ष से कम न हो;
4. वर और कन्या प्रतिबंधित संबंधो के अन्तर्गत न आते हो;

5. सपिन्ड के अन्तर्गत न आते हो ।

धारा -7

(1) हिन्दू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी के भी रिवाज और कर्मकाण्ड के अनुसार किया जा सकता है ।

(2) यदि रिवाज और कर्मकाण्ड में सप्तपदी (अग्नि के चारों ओर सात फेरे) सन्निहित है तो विवाह सातवाँ फेरा लेने पर पूर्ण होगा ।

धारा-8

विवाह होने के प्रमाण स्वरूप राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम के अनुसार निबंधन विवाह निबंधक के यहाँ कराया जा सकता है ।

Section 5

A marriage may be solemnized in between two Hindus, if the following conditions are fulfilled:-

i. neither party has a spouse living at the time of the marriage

ii. at the time of marriage, neither party:-

a) is incapable of giving a valid consent

b) not suffering from mental disorder or is not unfit for marriage and the procreation of children

c) not victim of insanity or epilepsy.

iii) the bridegroom has completed the age of 21 yrs. and the bride the age of 18 yrs. at the time of marriage.

iv) the parties are not within the degrees of prohibited relationship

v) and are not sapindas of each other.

Section -7

1) A hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto

2) where such ceremonies and rites includes saptapadi the marriage becomes complete when the seventh step is taken.

Section -8

For the purpose of proof a marriage it may be entered in the register kept in the office of Marriage Registrar.

धारा-9

जब विवाह का एक पक्षकार दूसरे के साथ से बिना उचित कारण के स्वयं को अलग कर लिया हो तो विवाह का क्षुब्ध पक्षकार जिला न्यायालय में आवेदन देकर वैवाहिक अधिकार के पुनर्स्थापन की प्रार्थना कर सकेगा ।

धारा- 10

विवाह का कोई पक्षकार धारा 13 (1) के आधार पर तथा पत्नी धारा 13(2) के अतिरिक्त आधार पर न्यायिक अलगाव हेतु आवेदन दे सकती है और डिक्री पारित होने के पश्चात् शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं है ।

धारा- 11

धारा 5 के खण्ड (i) , (iv) तथा (v) की शर्तो के विरूद्ध की गयी शादी शून्य समझी जायेगी जिसकी घोषणा कोई पक्षकार डिक्री द्वारा करवा सकता है ।

धारा -12

हिन्दु विवाह का पक्षकार विवाह को शून्यीकरण करार दिये जाने की प्रार्थना कर सकता है यदि (क) वैवाहिक संबंध नपुंसकता के कारण स्थापन नहीं कर पाये या (ख) धारा 5(ii) का उल्लंघन हुआ हो या (ग) अविभावक से बल या धूर्तता से सहमति प्राप्त की गयी हो या (घ) उत्तरवादी पक्षकार शादी के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति से गर्भवती हो ।

आवेदन उपधारा 2 के प्रावधानों के अन्तर्गत होना चाहिए

Section -9

When either the husband or wife without reasonable excuse has withdrawn from the society of the other, the aggrieved may apply to District Court for restitution of conjugal rights.

Section- 10

Either party to a marriage may present a petition for Judicial separation on the grounds specified in section 13(1) and wife on the additional grounds specified in section 13(2) of Hindu Marriage act and on passing a decree wife is not under obligation to cohabit.

Section -11

Any party to a marriage may obtain a decree of nullity if a marriage contravenes any of the conditions specified in clauses (i) (iv) and (v) of section 5.

Section- 12

A party to marriage may present a petition for declaration of marriage voidable if (a) marriage has not been consumated owning to impotence or (b) contravenes clause (ii) of section 5 or (c) consent of guardian has been obtained by force or fraud or (d) the respondent was pregnant at the time of marriage by some other person than petitiner.

A petition should be presented in accordance with the provision of sub-section (2).

धारा -13

विवाह-विच्छेद

पति या पत्नी निम्नलिखित आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करने के आवेदन दे सकतें हैः-

(i) विवाह के बाद स्वेच्छा से एक दूसरे के अलावे अन्य से शारीरिक संबंध स्थापित करने के आधार पर

1(i क) यदि आवेदक के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया हो

(iख) आवेदन देने के ठीक दो लगतार वर्षो से त्यागकर दिया गया हो

(ii) हिन्दू धर्म का त्याग कर दिया गया हो

(iii) असाध्य मानसिक रोग से ग्रस्त हो एवं साथ जीना तार्किक न हो

(iv) उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो

(v) संचारी रूप से रतिज रोग से ग्रस्त हो

(vi) किसी धार्मिक पंथ के अनुसार संसार का परित्याग कर चुका हो

(vii) दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसकी सूचना विगत सात वर्षो से नहीं है ।

Section- 13

Divorce

Either husband or wife may present a petition for dissolution of marriage on the following ground:

(i) Either had voluntary sexual intercourse after the marriage with any other person

(ia) treated the petitioner with cruelty

(ib) has deserted for a continuous period of not less than two years immediately preceding the presentation of the petition.

(ii) has ceased to be a Hindu by conversion to another religion.

(iii) has been incurably of unsound mind or suffering continuonsly or intermittently from mental disorder and can not reasonably be expected to live with.

(iv) has been suffering from a virulent and incurable form of laprosy

(v) suffering from veneral disease in a communicable form

(vi) has renounced the world by entering any religions order

(vii) has not been heard of as being alive for a period of seven years or more.

गया है तो आदेश पारित किया जा सकेगा ।

(1क) यदि न्यायिक अलगाव की डिक्री या वैवाहिक संबंध की पुनर्स्थापन की डिक्री के पश्चात् एक वर्ष तक शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ हो तो भी विवाह विच्छेद हो सकता है ।

Either party to a marriage present a petition on the grounds of:

No resumption of cohabitation for a period of one year or upward after a decree for judicial separation or restitution of conjugal rights.

(2) पत्नी निम्न अतिरिक्त आधारों पर आवेदन देकर विवाह विच्छेद की प्रार्थना कर सकती है यदिः-

(2) A wife may also present a petition for dissolution of marriage on the ground:

(क) पति ने कानून के आने के पूर्व शादी की और बाद में दूसरी शादी कर ली जबकि पहली पत्नी आवेदन के समय जीवित हो या

(i) husband married again after commencement of this Act and wife was alive at the time of petition

(ख) पति विवाह के पश्चात् बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध या पशुगमन का दोषी रहा हो ।

(ii) husband has been guilty of rape, sodomy or bestiality .

(ग) भरण-पोषण के आदेश पारित होने के बाद एक वर्ष या अधिक समय तक शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ हो या पत्नी की उम्र शादी के समय 15 वर्ष से कम की हो और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् परन्तु 18 वर्ष की आयु प्राप्ति के पूर्व शादी का निराकरण कर दिया हो ।

(iii) After passing order of maintenance to wife she was living apart and cohabitation between the parties has not been resumed for one year or upwards (iv) at the time of her marriage wife was below 15yrs and she has repudiated the marriag after attaining the age of 15 yrs. but before attaining age of 18 years.

धारा-13(बी)

आपसी सहमती से विवाह-विच्छेद इस आधार पर होगा कि एक वर्ष या अधिक से पति-पत्नी अलग रह रहे हैं तथा साथ रहने का प्रयास नहीं हुआ तथा आवेदन की तिथि से छः माह पश्चात तथा 18 माह पूर्व यदि आवेदन नहीं लौटाया

Section 13(B)

Divorce by mutual consent on presenting petiton jointly by both the parties may be on the ground if they have been living separately for a period of one year or more and have not been able to live together from the date of presentation of

petition not before six month and not later than 18 month such decree may be passed.

शारीरिक संबंध बनायेगा न्यायालय परिवर्तन कर सकेगा ।

धारा -14

विवाह-विच्छेद का आवेदन शादी से एक वर्ष के अन्दर न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

Section 14

No petition for divorce to be presented within one year of marriage.

धारा-15

विवाह विच्छेद के पश्चात् कोई पक्षकार, यदि अपील करने का अधिकार नहीं है और यदि है तो उसकी सीमा समाप्ति तक अपील नहीं की गई है और यदि अपील की गई थी तो वह खारीज हो गई है, पुनः विवाह कर सकता है ।

Section- 15

Divorced persons may marry again either there is no right of appeal or if there is such right but appeal not presented or if presented but has been dismissed, parties may marry again.

धारा-24

यदि पति या पत्नी को पर्याप्त स्वतंत्र आमदनी नहीं है तो पति-पत्नी के बीच किसी कार्यवाही के दौरान दोनों में से किसी को कार्यवाही के दौरान भरण-पोषण देने का आदेश न्याालय दे सकेगा तथा मुकदमा खर्च देने का भी आदेश पारित किया जा सकेगा ।

Section 24

The Court may grant maintenance during the proceeding either to wife or husband if he/ she has no independent sufficient income to support and may also grant expenses of the proceeding.

धारा-25

न्यायालय कोई डिक्री पारित करने के समय या उसके बाद पति या पत्नी के द्वारा आवेदन दिये जाने के बाद भरण-पोषण का आदेश आवेदनकर्त्ता के पक्ष में देगा और ऐसी एक मुश्त राशि सहायता के रूप में देगा जो जीवन पर्यन्त होगा तथा इस आदेश में पत्नी के विरूद्ध तब जब वह अपना सतीत्व खो देगी और पति के विरूद्ध तब जब वह परनारी के साथ

Section 25

On application made either by husband or wife at the time of passing a decree or subsequent thereto the court shall pay maintenance and support such gross sum for a term not exceeding the life and in the order change may be made if wife has not remained chaste or husband has had sexual intercourse with any woman outside wedlock.

धारा-26

न्यायालय समय-समय पर नाबालिग संतान के अभिरक्षा, भरण-पोषण एवं शिक्षा के संबंध में आदेश पारित कर सकेगा या डिक्री में ऐसी व्यवस्था करेगा ।

हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956

धारा-7

हिन्दू पुरूष जो स्वस्थ चित्त हो और वह नाबालिग नहीं हो तब वह अपनी पत्नी की सहमति से, यदि वह जीवित है या संसार का त्याग नहीं कर दी हो या हिन्दू न रह गयी हो या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ्य घोषित न कर दिया गया हो, पुत्र या पुत्री दत्तक (गोद) ले सकता है । ।

धारा-8

हिन्दू महिला द्वारा पुत्र या पुत्री को गोद लेने के लिए उसे स्वस्थ्य मस्तिष्क, बालिग तथा अविवाहित होना चाहिए और यदि विवाहिता है तो उसका विवाह विच्छेद हो गया हो या पति की मृत्यु हो चुकी हो या पति पूर्ण रूप से संसार का परित्याग कर चुका हो या हिन्दू नहीं रह गया हो या सक्ष्म न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ्य घोषित कर दिया गया हो ।

धारा-9

दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति- पिता या माता या अविभावक को छोड़कर अन्य व्यक्ति को गोद देने की

Section- 26

The Court may pass such interim order or provision in the decree may be made with respect to custody, maintenance and education of aminor.

The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956

Section-7

A male hindu who is of sound mind and is not a minor shall have capacity to take a son or a daughter in adoption with consent of wife if alive and has not renounced the world or ceased to be Hindu or has not been declared by a court of competent Jurisdiction to be of unsound mind.

Section- 8

A hindu female who is of sound mind and not minor and not married or if married, whose marriage has been dissolved or husband is dead or completely renounced the world or ceased to be a Hindu or declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, has capacity to take a son or a daughter in adoption.

Section- 9

Persons capable of giving in adoption:
No person except father or mother or guardian shall have right to give the child in adoption but subject to sub-section (3) and

क्षमता नहीं होगी लेकिन उप धारा (3) तथा (4) के अन्तर्गत दिये प्रावधानों के अधीन यदि पिता जीवित है तो उसे केवल माँ की सहमति से दत्तक(गोद) देने का अधिकार होगा लेकिन यदि माँ पूरी तरह संसार का परित्याग कर दी हो या हिन्दू नहीं रह गयी हो या सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ्य मस्तिष्क का घोषित कर दी गयी हो तो पिता बिना माँ की सहमति के गोद दे सकता है ।

(4) if father is alive he alone can give in adoption but with consent of mother unless she has renounced the world completely or ceased to be a hindu or declared of unsound mind by a court of competent jurisdiction.

माँ गोद तभी दे सकती है जब पिता मृत हो या संसार को पूरी तरह त्याग कर चुका है या न्यायालय द्वारा अस्वस्थ्य मस्तिष्क घोषित कर दिया गया हो ।

Mother may give the child in adoption if the father is dead or renounced the world or declared of unsound mind by a court of competent jurisdiction.

यदि पिता या माँ जीवित नहीं है या दोनो संसार का परित्याग कर दिये हो या सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ्य मस्तिष्क का घोषित कर दिये गये हों या बच्चे की जनकता की जानकारी नहीं हो तो अविभावक न्यायालय की अनुमति से ही गोद में दे सकता है ।

It both the father and mother are dead or they have completely renounced the word or declared of unsound mind or parentage of child is not known the guardian may give the child in adoption with permission of the court.

परन्तु न्यायालय को संतुष्ट होना होगा गोद देना संतान के हित में है।

The Court shall be satisfied that the adoption will be for the welfare of the child.

धारा- 10

Section- 10

किसे दत्तक(गोद) लिया जा सकता है?

Persons who may be adopted.

दत्तक उसे लिया जा सकता है जो हिन्दू हो, पूर्व में उसे गोद नहीं लिया गया हो, वह शादी-शुदा नहीं हो और उसने पन्द्रह वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो ।

A child may be adopted if he/she is a hindu, not already adopted, not married

and has not completed the age of fifteen years.

हिन्दू पत्नी अपने पति से भरण-पोषण पाने की अधिकारी है ।

पत्नी पति से भरण-पोषण पाते हुए निम्नलिखित अवस्था में अलग रह सकती है

धारा- 11

Section- 11

गोद लेने के लिए अन्य शर्ते हैः

Other conditions for a valid adoption

(क) गोद लेने वाले पिता या माता को यदि पुत्र गोद लेना है तो उन्हें पुत्र या पुत्र का पुत्र, या पुत्र के पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए

(i) If a son is being adopted by adoptive father or mother, they must not have a son, or son's, son or son's son's son.

(ख) पुत्री गोद लेने के समय पुत्री, या पुत्र की पुत्री जीवित नहीं होनी चाहिए

(ii) If adoption of a daughter is being made they must not have a daughter or son's daughter.

(ग) यदि गोद लेने वाला पुरूष है और वह पुत्री को गोद ले रहा है तो उसकी उम्र पुत्री से 21 वर्ष ज्यादा होनी चाहिए और महिला द्वारा पुत्र को लेने पर माता की उम्र पुत्र से 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए ।

(iii) If adoption is by a male of a female, the adoptive father should be at least 21 years older than the female to be adopted and if by female of a male then her age should be 21 years older than the male to be adopted.

(ङ) एक साथ एक ही संतान को दो व्यक्ति द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता है ।

(v) The same child may not be adopted simultaneously by two or more.

(च) जन्म के परिवार से दत्तक परिवार में वास्तविक स्थानान्तरण के उद्देश्य से माता-पिता या अविभावक द्वारा, वास्तविक रूप में गोद देना और लेना होना चाहिए और ।

(vi) The child must be actually given and taken in adoption by parents or guardian concerned with intent to transfer the child from the family of its birth to the family of its adoption.

धारा-18

Section 18

A Hindu wife is entitled to be maintained by her husband.

A wife may live separate even during the period when she is getting maintenance if

यदि वह पत्नी को परित्याग करने का दोषी है और उसने बिना कारण एवं उसकी अनुमति या इच्छा के विरूद्ध ऐसा किया है । यदि पति ने क्रूरता का व्यवहार किया हो जिससे उसके मन में यह अशंका हो जाय कि पति के साथ रहना अपहानिकार या क्षतिकारक होगा या लेप्रोसी की ठीक न होने वाली बिमारी से ग्रस्त हो या उसकी दूसरी पत्नी जीवित हो या रखैल रखा हो और या उसके साथ रहता हो या हिन्दू नहीं रह गया हो या अन्य कोई न्यायोचित कारण हो ।

धारा 19- कोई विधवा पुत्र वधु अपने श्वसुर से भरण-पोषण पाने की हकदार होगी परन्तु यह तब जब वह अपने पति, माता-पिता पुत्र या पुत्री की सम्पदा से भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो ।

husband has deserted his wife without reason and against her will or committed cruelty as to cause reasonable apprehention as that she has danger to her life or husband is suffering from incurable leprosy or he has another wife concubine living with her or ceased to be a hindu.

Sec. 19- A Hindu wife shall be entitled to maintain after the death of her husband by her father in law provided that she is unable to obtain maintenance from the estate of her husband or mother or father or son or daughter.

धारा 20

नाबालिग लड़का, लड़की या वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण एक हिन्दू को करना है । लड़की अविवाहित तथा वृद्ध माता-पिता लाचार है तो वैसी स्थिति में भी उनका भरण-पोषण करना है । सौतेली माँ, जिसे संतान नहीं है भी भरण-पोषण की हकदार है ।

धारा 22

मृतक के आश्रितों का भरण-पोषण उसके द्वारा किया जायेगा जिसने मृतक की सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त किया है ।

Section 20

A hindu is bound to maintain his minor son, daughter and aged parents. Unmarried daughter. Infirm parents are also entitled to be maintained.

Childless step mother is also intitled to maintenance.

Section 22

Dependant shall be maintained by the person who has inherited the property of the deceased.

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956

यह अधिनियम सभी हिन्दूओं पर चाहे वह आर्यसमाजी, बुद्ध, जैन, सिख, ब्रह्मों, लिंगायत या वैराशैव का अनुनायी है या जो मुस्लिम, इसाई या पारसी न हो, पर लागू होता है ।

धारा 6

लड़की को लड़के के समान ही 20 दिसम्बर, 2005 के बाद से किसी हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में उत्तराधिकार जन्म से ही हिस्सा प्राप्त होगा जो

The Hindu Succession Act, 1956

This law applies to Arya Samaj, Sikh, Jaina, Budhist, Brahmo, Lingayat or

Virashaiva or who are not Muslim, Christian, Parsi or jew.

Section 6

Daughter shall have the same right as a son has in respect of succession of property in the joint family as coparcener governed by Mitakshra

सहदायिकी सम्पत्ति होगी एवं मिताक्षरा विधि के अनुसार नियंत्रित होगा ।

धारा 8 एवं 9 के अनुसार निर्वसीयत मृत्यु पर किसी हिन्दू की सम्पति प्रथमतः सूची के प्रथम श्रेणी में दिये गये उत्तराधिकारियों को एक साथ और जब उनमें से कोई नहीं है तो सूची के द्वितीय श्रेणी में दिये गये उत्तराधिकारी को क्रम से पहले प्रथम तत्पश्चात दूसरी तत्पश्चात तिसरी प्रविष्ठि के उत्तराधिकारियों को और वे भी नहीं है तो सपिण्ड रिश्तेदारों को और वे भी नहीं है तो सगोत्री रिश्तेदारों को सम्पत्ति उत्तराधिकार के जाएगी ।

धारा-14 के अनुसार स्त्री को विभाजन, भरण-पोषण या क्रय से या शादी के समय उपहार में प्राप्त संपत्ति उनकी खास सम्पत्ति होगी ।

धारा-15 के अनुसार हिन्दू स्त्री की निर्वसीयती मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पति प्रथम उसके पुत्र, पुत्री (पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की स्थिति में उनके पुत्र या पुत्री) एवं पति को मिलेगी । यदि वे नहीं है तो पति के उत्तराधिकारियों को, वे भी नहीं है मृत स्त्री की माँ एवं पिता को और वे भी नहीं है तो पिता के उत्तराधिकारियों को और उनके भी नहीं रहने पर माँ के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारियों में मिलेगा ।

यदि माँ या पिता से किसी स्त्री को सम्पत्ति मिली है तो स्त्री के पुत्र या पुत्री नहीं होने की स्थिति में सम्पत्ति स्त्री के पिता के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में मिलेगी ।

यदि सम्पत्ति पति या श्वसुर से प्राप्त है तो स्त्री के निर्वसीयती मरने पर उसके पुत्र या पुत्री नहीं होने की स्थिति में सम्पत्ति पति के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में प्राप्त होगी ।

School of Law after 20th December, 2005.

Sec. 8 & 9

According to section 8 the property of a male Hindu dying intestate shall devolve first upon the heirs of class I simultaneously secondly upon class II, thirdly upon agnates and if none of them alive then upon cognates.

Sec. 14- If a female gets/ receives property on partition, by way of maintenance, on purchase, gift on the occession of marraige will be her absolute property.

Sec. 15- As per Section 15 the property of a female Hindu dying intestate shall devolve first by upon sons and daughters (including the children of any predeceased son or daughter) and the husband secondly upon the heirs of the husband, thirdly upon the mother and father, fourthly upon heirs of father and lastly upon the heirs of mother.

The property inherited from mother or father shall devolve upon the heirs of father in absence of son and daughter.

the property inherited from her husband or from father in law shall devolve upon the heirs of the husband in absence of son and daughter.

धारा 20 के अनुसार निर्वसतीय की मृत्यु समय कोई संतान गर्भ में थी तो जन्म होने पर उसे उत्तराधिकार का अधिकार उसी प्रकार होगा मानो उसका जन्म निर्वसीयती के मृत्यु के पूर्व ही हुआ हो ।

धारा 22 के अनुसार किसी हिन्दू की सम्पत्ति उसकी मृत्यु पर जब उसके उत्तराधिकारी को मिलती है तो किसी हिस्सेदार द्वारा अपने हिस्से के विक्रय पर दूसरे उत्तराधिकारी को पहले खरीदने का अधिकार होगा ।

हिन्दू अव्यस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956

धारा 4(क)
अवयस्क वह है जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है ।
धारा 4(ख)- संरक्षक वह है जो अवयस्क एवं उसकी सम्पत्ति का ख्याल करता है और उसमें शामिल है:

1) नैसर्गिक अविभावक
2) इच्छा पत्र द्वारा नैसर्गिक अविभावक ने जिसे अविभावक नियुक्त किया हो
3) न्यायालय द्वारा नियुक्त अविभावक
4) जिसे अविभावक के रूप में कार्य करने का प्राधिकार दिया गया हो ।

किसी अव्यस्क एवं उसकी सम्पत्ति का (संयुक्त सम्पति में अविभक्त हित को छोड़कर) नैसर्गिक अभिभावक

1) लड़के एवं अविवाहित लड़की का पिता और तत्पश्चात उसकी माँ ।
परन्तु सामान्यताः माँ को पाँच

Under Section 20 if a child was in the womb at the time of death of an intestate, child born alive shall have right to inherit as if child had born alive before the death of the intestate.

Section 22 provides that when a Hindu dies, his heirs inherit property and any heir proposes to transfer property, other heirs shall have preferential right to acquire the interest.

The Hindu Minority and guardianship Act 1956

Sec. 4(a)- Minor means who has not completed the age of 18 yrs.
Sec. 4(b) Guardian means a person having the care of the person of a minor and his property and includes :

1) Natural guardian
2) A guardian appointed by will
3) A guardian declared by a court
4) A person empowered to act as guardian.

धारा 6

Section 6

The natural guardian of the minor and his property (excluding of undivided interest in the joint property):

1) Father is the natural guardian of a boy and unmarried girl and

वर्ष की उम्र तक बच्चों को अपनी अभिरक्षा में रखने का अधिकार होगा)

2) अवैध (जारज) संतान की अविभावक उसकी माँ और उसके बाद पिता होगा ।

3) विवाहित लड़की का अविभावक उसका पति होगा लेकिन हिन्दू नहीं रह गया हो या संसार का त्याग कर दिया हो तो वह पति अविभावक नहीं रह जाएगा ।

धारा 8

किसी नैसर्गिक अविभावक को वह कार्य करने का अधिकार है जो अव्यस्क के हित के लिए आवश्यक एवं विवेकशील हो या उसकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए जरूरी हो पर निम्नलिखित कार्य न्यायालय से बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये नहीं किया जा सकता है :

1) अवयस्क की सम्पति के संबंध में बंधक, भार, अन्तरण, दान, बदलैन या अन्य कार्य

2) पाँच वर्ष से अधिक या अवयस्क के व्यस्क होने की तिथि के बाद एक वर्ष से अधिक का पट्टा ।

धारा 13

किसी को अव्यस्क का अविभावक घोषित करने के लिए न्यायालय अव्यस्क के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखेगा ।

after him mother provided that the custody of a minor who has not completed the age of five years shall ordinerily be with the mother.

2) Mother will be guardian of an illegitimate child and after her, father.

3) The husband of a married girl if he has not ceased to be a hindu or renounced the world completely.

Section 8

A natural guardian has power to do all acts which are necessary or reasonable for the protection of the property of a minor but without prior permission of the court shall not do the following:

1) morgage, charge, transfer by sale, gift exchange in respect of property of a minor

Lease exceeding five years or one year beyond attaining majority date of minor.

Section 13

To appoint or declare any person as guardian, the welfare of the minor shall be paramount consideration for the court.

विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 (संशोधित 2001)

धारा 4- उच्च न्यायालय द्वारा घोषणा पर केवल अलग रहने का करने का क्षेत्राधिकार है और इसाई की शादी केवल स्थगित रहेगा । अन्य अनुतोष के लिए जिला न्यायालय को क्षेत्राधिकार है ।

भारतीय इसाई विवाह अधिनियम 1872

धर्म एक बंधन है जो ईश्वर से आदमी का संबंध जोड़ता है ।

इसाई धर्म के अन्तर्गत शादी की निम्नलिखित शर्ते हैं:

1) शादी छः बजे प्रातः से संध्या 7 बजे के बीच होनी चाहिये ।

2) विशेष अनुमति प्राप्त होनी चाहिये यदि उपर्युक्त समय के बाद होती है ।

3) सूचना शादी की दो माह के अन्दर होने की होनी चाहिये ।

4) घोषणा करनी होगी कि शादी के बंधन में बधने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है ।

5) दो साक्षी की उपस्थिति में शादी होनी चाहिये

6) वर की उम्र 18 वर्ष से कम और वधू की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये ।

Indian Christian Marriage Act 1872

Religion is a bond uniting man to God.

Conditions for a valid marriage are:

1) marriage between 6 a.m. to 7 p.m

2) Special permission if beyond above hours

3) Notice to marry within two months

4) Declaration I do solemnly declare that I know not of any lawful impediment why (I) may not be joined in matrimony to (B)

5) marriage in presence of two witnesses

Age of Bridegroom should not be less than 18 yrs and of Bride 15 yrs.

Divorce Act 1869
(As amended in 2001)

Section- 4 Jurisdiction now exercised by High Court in respect of divorce a mensa et toro marriage is not dissolved. It results only in separation in bed and bread while the marriage bond is kept suspended of a Christian.

धारा-10

(1) जिला न्यायालय निम्नलिखित आधार पर तलाक का आदेश पारित कर सकेगा :

1) व्यभिचार
2) इसाई नहीं रह गया हो
3) असाध्य मानसिक रोग से 2 वर्षो से ग्रस्त हो
4) सात वर्षो से जीवित रहने की जानकारी न हो
5) जान-बूझ कर संभोग नहीं किया हो या इन्कार किया हो
6) विवाह संबंध पुर्नस्थापना के आदेश के बावजूद 2 वर्षो तक संबंध स्थापित नहीं किया हो
7) आवेदक का पिछले 2 वर्षो से त्याग कर दिया गया हो
8) क्रुरता का व्यवहार किया गया हो

(2) पत्नी बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार या पशुगमन करने के आधार पर भी तलाक का आवेदन दे सकती है ।

10(क) आपसी सहमती के आधार पर भी तलाक हो सकता है ।

धारा 36-38

भरण-पोषण या भत्ता पाने के अधिकार का प्रावधान किया गया है ।

जियू- जो हेब्रू प्रजाति के हैं उनके बीच आपसी सहमति से शादी होती है ।

Section 10

(1) Petition to District Court for dissolution of marriage on the following grounds may be filed.

1) adultry
2) ceased to be christian
3) suffering from incurable unsound mind for two years or virulent and incurable leprocy or curable desease in communicable form for not less than 2 years.
4) Not heard alive for a period of 7 years
5) wilfully refused or not consummated marriage
6) Failed to comply with a decree for restitution of conjugal right for 2 years.
7) Deserted the petitioner for last 2 years
8) cruelty

(2) wife can also seek divorce on the ground of rape, sodomy or bestiality .

10(a) on mutual consent .

Section 36-38

Provides for payment of maintenance and alimony.

Jew- who is a person of the Hebrew race can marry by mutual consent.

आनन्द विवाह अधिनियम 1909 केवल सिखों पर लागू होता है

आर्य विवाह वैधता अधिनियम 1937 के द्वारा आर्य पद्धति में हुई शादी को मान्यता प्रदान करता है ।

भारतीय विवाह विषय वाद (युद्ध विवाह) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत युद्ध के दरम्यान हुई शादी और पति युद्ध के समय भारत के बाहर था और पत्नी भारत में तो उसके संबंध में उत्पन्न विवाद एवं अनुतोष संबंधी प्रार्थना उच्च न्यायालय द्वारा ही सुनी जा सकती है ।

पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936

एक पारसी की शादी पारसी लड़की से होती है तो उसे ''आशीर्वाद'' कहते हैं जो पुजारी द्वारा दो पारसी साक्षियों की उपस्थिति में होती है ।

धारा 6

शादी कार्यवाहक पुजारी द्वारा दो पारसी साक्षियों की उपस्थिति में अनुसूची 2 में दिये गये प्रमाण पत्र में सत्यापित की जायेगी तथा प्रमाण पत्र निबंधक के समक्ष फी के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।

धारा- 7

निबंधक उच्च न्यायालय या राज्य द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

धारा-8

विशेष न्यायालय राज्य सरकार द्वारा गठित किया जायेगा ।

The Anand Marriage Act 1909 apply only to Sikhs

The Arya Marriage validation Act 1937 validates the marriage solemnised by the Arya rite.

The Indian matrimonial causes (War Marriages) Act 1948. Under this Act only High Court can entertain petition in respect of dispute between husband and wife and for the marriage solemnised during war and husband was outside of India and wife in India.

The Parsi Marriage & Divorce Act 1936

Marriage between Parsi is called "Ashirvad" which is performed by a priest in presence of two parsi witnesses.

Section 6

Marriage will be certified by the officiating priest in the form contained in schedule II with two witnesses present before the Registrar.

Section 7

Registrar shall be appointed by the High Court or State.

Section 8

Special Court will be constituted by the State.

धारा 19

पारसी मुख्य वैवाहिक न्यायालय- मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके जज होंगे ।

धारा 20

मध्यवर्ती आवेदन, अभिरक्षा, भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा को छोड़कर पारसी जिला वैवाहिक न्यायालय में पाँच डेलिगेट्स द्वारा निर्णय दिया जायेगा ।

धारा 40

भरण-पोषण आदि की प्रार्थना का अधिकार होगा ।

विशेष विवाह अधिनियम 1954

धारा 4

विशेष विवाह के लिए लड़कें की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये और उनके जीवित पत्नी या पति नहीं होने चाहिए ।

धारा 5

शादी के लिए इच्छा करने वाले में से कम से कम एक पक्षकार को द्वितीय सूची के प्रपत्र में विवाह पदाधिकारी को, जो कम से कम 30 दिनों से क्षेत्राधिकार में रहा हो, सूचना देगा ।

धारा- 6

वैवाहिक सूचना का प्रकाशन होगा ।

धारा 7

सूचना पर आपत्ति दी जा सकती है ।

Section 19

Parsi Chief Matrimonial Courts- Chief Justice or Judge of High Court will be judge of such court.

Section 20

In Parsi District Matrimonial Courts five delegates will decide cases except an interlocutory application or custody, maintenance, education of children and all proceeding, than regular hearing of cases.

Section 40

Maintenance etc matter may be prayed for.

The Special Marriage Act 1954

Section 4

Conditions relating to solemnization of special marriage- male should not be less than 21 years old and girl 18 years and neither has a spouse living.

Section 5

Notice to Marriage officer in second schedule should be given by at least one of the parties to the marriage who intends to marry, resided for a period of not less than 30 days within the jurisdiction.

Section 6
Marriage notice will be published.

Section 7
Objection to notice may be filed.

धारा 8

आपत्ति प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर उसका निष्पादन कर दिया जायेगा । यदि आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है तो उसके विरूद्व जिला न्यायालय में अपील की जा सकेगी ।

धारा 11

पक्षकारों एवं तीन साक्षियों द्वारा घोषणा दी जायेगी ।

धारा 19 एवं 20

विवाह होने पर अविभक्त परिवार से अलगाव हो जायेगा एवं उत्तराधिकार के अधिकार के रूप में उसे सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होगा ।

धारा 27

वैकल्पिक अनुतोष की प्रार्थना की जा सकती है ।

धारा 28

आपसी सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है ।

धारा 29

तीन वर्ष के पूर्व विवाह- विच्छेद का आवेदन नहीं दिया जा सकता है ।

धारा 35

दूसरे पक्षकार द्वारा प्रति दावा किया जा सकता है ।

धारा 36

खोरीस की प्रार्थना मुकदमा के दौरान किया जा सकता है ।

Section 8
On receipt of objection petition, it will be decided within 30 days and if objection is upheld, an appeal may be filed in the District Court.

Section 11
Declaration by the parties and three witnesses will be made.

Section 19 & 20
Effect of marriage of a member of undevided family will be severance from family and end of right of survivorship but he shall have existing right of inheritence.

Section 27
An alternative relief may be sought for.

Section 28
Divorce by mutual consent may be prayed for.

Section 29
No application for divorce can be filed before completion of three years of marriage.

Section 35

Counter claim may be made by other side.

Section 37

Prayer for permanent alimonry and maintenance may be made.

धारा 38

बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में प्रार्थना की जा सकती है ।

मुस्लिम विवाह एवं विवाह-विच्छेद

मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अनुसार विवाह काजी द्वारा दो गवाहों की मौजूदगी में कराया जाता है तय देनमहर के साथ निकाहनामा तैयार किया जाता है एवं शादी के पक्षकार उसे कबूल करते है ।

मुस्लिम विवाह-विच्छेद निम्न आधार पर किया जा सकता है:

1) शौहर की इच्छा पर ''तलाक'' कह कर ।
2) दोनों पक्षों की रजामंदी से ।
3) न्यायिक आदेश द्वारा

तलाक के तीन तरीके हैं:

1) तलाक अहसान- एक बार तलाक की घोषणा कर जब पत्नी के रजस्वला का समय हो और इद्दत के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाया गया हो ।

2) तलाक हसनः तीन बार तलाक की घोषणा कर । ऐसी घोषणा तीन लगातार रजस्वला के दरम्यान हो और इस दौरान शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया गया हो ।

Section 38

Prayer for custody of children may be made under this provision.

Muslim marriage and dissolution

According to Muslim personal law marriage is performed by Kazi in presence of two witnesses on pre-settled Denmaher and Nikahnama is drafted and the parties to the marriage accept it if the girl is not minor.

Dissolution of marriage of a Muslim may be on the following grounds:

1) By the husband at his will e.g. "talaq".
2) By mutual consent
3) By a judicial decree

There are three modes of Talaq:

1) Talaq Ahsan- Single pronouncement of divorce made during a tuhr (period tutmeen menstruation) followed by absence from sexual inter course for the period of Iddat.

2) Talaq Hasan: Three pronouncements made during successive tuhr, no intercourse taking place during any of the three tuhr.

5) दोनों पक्षकार फिर शादी नहीं कर सकते जब तक पत्नी दूसरे से शादी नहीं कर लेती है ।

3) तलाक उल बिदात या तलाक उल बदाई एक ही रजस्वला के दरम्यान तीन बार तलाक की घोषणा कर ।

शिया विधि: तलाक जुबानी होनी चाहिए अगर शौहर बोलने के अयोग्य है तो लिखित रूप में ।

3) Talaq-ul-Biddat or Talaq-ul-Badai- Three pronouncement made during a single tuhr either in one sentence or a single pronouncement made during a tuhr.
Shia Law: must be oral unless husband is incapable then only in writing.

पत्नी भी अपनी इच्छा से विवाह विच्छेद कर सकती है ।

wife may also at her will divorce. Wife may repudiate.

खुला और मुबारत- दोनों पक्षों के बीच सहमती से प्रतिफल की शर्त पर ।

Khula and Mubarat- by agreement between husband and wife for consideration.

खुला में पत्नी द्वारा पहल पर, मुबारत में आपसी सहमती से हो सकता है ।

In khula- by wife initiative. In Mubarat by consent of both.

विवाह-विच्छेद पर उत्पन्न अधिकार एवं दायित्व :

Rights and obligation on dissolution of marriage:

1) अन्य से शादी करने के लिए अनुबंध करने का अधिकार

1) Right to contract another marriage.

2) दैन महर बकाया हो जाता है ।

2) Dower becomes due

3) आपसी उत्तराधिकार के अधिकार की समाप्ति ।

3) Mutual rights of inheritence ceases.

4) शारीरिक संबंध गैर कानूनी हो जाता है ।

4) Cohobitation becomes unlawful

5) The divorce couple can not marry with each other again until wife marries with another person.

मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर संरक्षण का अभिशाप) अधिनियम 1986

इस कानून के तहत तलाक के बाद पत्नी जीविका के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष आवेदन देकर अपने भरण-पोषण का इन्तजाम करवा सकती है और अपना हक पति से प्राप्त कर सकती है जो उसे कानून देय है। कानून में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत स्त्री पति के अतिरिक्त अन्य से भरण-पोषण प्राप्त कर सकेगी ।

विभिन्न अधिनियमों में भरण-पोषण तथा सम्पति के वितरण तथा व्यादेश के प्रावधान

1) विवाह-विच्छेद अधिनियम धारा- 27

2) विशेष विवाह अधिनियम धारा- 37 धारा -21-40

3) हिन्दू विवाह अधिनियम में धारा-25

4) पारसी विवाह एवं विवाह-विच्छेद अधिनियम धारा- 40

5) मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत

6) वैवाहिक हेतुक अधिनियम 1857, 1869, 1886 धारा - 21-40

7) विवाहित महिला सम्पति अधिनियम 1882

8) हिन्दू गोद एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 धारा 18

9) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 125 के अन्तर्गत

The Muslim Women (Protection of right on divorce) Act 1986

Under this Act a wife can claim her due as per personal laws from her husband by filing an application before a Judicial Magistrate and she can also claim for her maintenance from other than husband as provided in the Act.

Provision for Maintenance and Ditribution of property and injunction in different Acts

1) Divorce Act - sec. 27, 40

2) Special Marriage Act Sec. 21-40

3) Hindu Marriage Act Sec. 25

4) Parsi Marriage and Divorce Act- Section 40

5) Under Muslim person Law.

6) Matrimonial causes Act, 1857, 1869] 1886 Sec. 21-40

7) Married Women's property Act 1882

8) Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 Sec. 18

9) U/s 125 of Code of Criminal Procedure.

भरण-पोषण में कुल आमदनी 1/5 का हिस्सा पाने का अधकिार है ।

<u>भरण-पोषण तय करने के लिए निम्न तथ्यों पर विचार किया जायेगा</u> :

1) पक्षकार की हैसियत

2) भरण-पोषण देने की क्षमता

3) पत्नी की सुविधा

4) आमदनी का आंकलन

या विवाह संबंध समाप्त करने के लिए घोषणा के वाद ।

(ख) विवाह की वैधता या वैवाहिक हैसियत के संबंध में घोषण के वाद

(ग) विवाह के पक्षकारों की बीच सम्पति को लेकर उत्पन्न विवाद ।

1/5 th income out of total income may be claimed.

<u>Factors to be considered for grant of maintenance</u>.

1) Status of the parties

2) Capacity to pay

3) Reasonable comfort to the wife

4) Assessment of income

परिवार न्यायालय अधिनियम 1984

वैवाहिक संबंध को सुरक्षित करने के प्रयास को प्राथमिकता देते हुए कार्यवाही को चलाने की व्यवस्था परिवार न्यायालय अधिनियम द्वारा की गयी है ।

धारा 7

(1) परिवार न्यायालय निम्नलिखित विवादों के निष्पादन का अधिकार रखता है

(क) पति-पत्नी के बीच विवाह शून्य घोषित करने हेतु या वैवाहिक संबंध के पुर्नस्थापना या न्यायिक अलगाव

Family Court Act 1984

Main aim of the Family Court Act is to preserve the matrimonial relation and with this purpose the family court has to act.

Section 7

(1) Family court shall have jurisdiction to decide the following dispute:

(a) A suit for a decree of nullity of marriage or restitution of conjugal right or Judicial separation or dissolution of

marriage in between husband and wife.

(b) Suit for a declaration as to validity of a marriage or matrimonial status.

(c) Dispute regarding properties between parties to a marriage.

(घ) वैवाहिक संबंधों से संबंधित किसी आदेश या व्यादेश के लिए ।

(ङ) व्यक्ति के जन्म की धर्मजता के संबंध में ।

(च) भरण-पोषण हेतु कार्यवाही ।

(छ) नाबालिग की अभिरक्षा या नाबालिग तक पहुँच या अविभावक के संबंध में कार्यवाही ।

(2)(क) अन्तर्गत धारा 125 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत भरण-पोषण हेतु ।

(ख) अन्य कार्यवाही जिसके संबंध में किसी विधि द्वारा अधिकार दिया जायें ।

धारा 9

परिवार न्यायालय का यह कर्त्तव्य होगा कि सभी कार्यवाहियों में समझौता करवाने का प्रयास करेगा ।

धारा 11

परिवार न्यायालय की कार्यवाही बंद कमरे में होगी ।

धारा 12

परिवार न्यायालय कार्यवाही के दौरान मेडिकल एवं कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है ।

धारा 13

किसी पक्षकार को कानूनी अधिकार नहीं होगा कि कार्यवाही में अधिवक्ता की सेवा ले । परिवार न्यायालय आवश्यक समझे तो कानून के जानकार की मदद ले सकता है ।

(d) For an order or injunction regarding marital relationship.

(e) For declaration as to the legitimacy of any person.

(f) A proceeding for maintenance.

(g) For custody of or access to minor or in relation to the guardianship.

(2)(a) u/s 125 Cr.P.C. for maintenance

(b) Such other jurisdiction as may be confered on it by any other enactment.

Section 9

In every suit or proceeding Family Court shall make effort for settlement.

Section 11

Proceeding to be held in camera

Section 12

Family Court may secure the services of a medical expert or other person professionally engaged in promoting the welfare of the family.

Section 13

No party before a family court shall be entitled as of right to be represented by a legal practitioner. But family court may seek the assistance of a legal expert as amicus curiae.

बच्चों के संबंध में कुछ विधियों की जानकारी

बच्चे देश के भविष्य है और उनकी विशेष सुरक्षा एवं संरक्षा की जरूरत है ।

सभ्य समाज में सभी का कल्याण आवश्यक तौर पर होना चाहिए पर बच्चों का कल्याण समाज के लिए अधिक आवश्यक है ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गयी है । अनुचछेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खान या अन्य खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है । अनुच्छेद 39 (ङ) तथा (च) के अनुसार किसी बच्चे को आर्थिक लाभ हेतु उसकी उम्र एवं ताकत के प्रतिकूल कार्य करने हेतु व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता हैं ।

संविधान में दिये गये कुछ अन्य प्रावधान

अनुच्छेद-45

राज्य यह प्रयास करेगा कि संविधान के लागू होने के दस वर्षो के अन्दर सभी बालकों के लिए, जिनकी उम्र 14 वर्ष पूरी नहीं हुई है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी ।

Knowledge about laws relating to the children

Children are the future of the country and they need special care and protection.

In a civilized society welfare of entire people is necessary but welfare of the children is more important for the society.

The State has to make special provision for the children U/A 15(3) of the Constitution of India. Article 24 provides that no child of age less than 14 years shall be employed in any factory, mine or hazardous work. U/A 39(e) and (f) children be not abused and citizens are not forced by economic necessity to enter into avocation unsuited to age and strength and the children are given facility to develop.

Some other constitutional provision

Art 45

The State shall endeavour to provide within 10 years from the commencement of the Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years.

अनुच्छेद 47

सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि पोषाहार के स्तर एवं रहन-सहन के स्तर के साथ वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठायें ।

कुछ कानूनी प्रावधान जो प्रभावी है एवं जिसके द्वारा विभिन्न नियोजनों में बाल मजदूरी प्रथा को रोकने के संबंध में व्यवस्था की गयी है:

धारा 67

कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 14 वर्ष से कम की आयु के बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता है ।

धारा 19

मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम 1951 के अनुसार समुद्री कार्य में 14 वर्ष से कम आयु के बालक को नहीं लगाया जायेगा ।

धारा 45

खान अधिनियम 1961 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को खान में जाने की अनुमति नहीं है ।

धारा 21

वाहन ट्रांसपोर्ट कामगार अधिनियम 1961 के अनुसार किसी बालक को काम पर नहीं लगाया जायेगा ।

धारा 3

एप्रेन्टिस अधिनियम 1961 के अनुसार 14 वर्ष से कम के बालक को किसी व्यवसाय के प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

Art 47

Duty of the State to raise the level of nutritition and the standard of living and to improve public health.

Some legislative enactments are in force prohibiting employment of child labours in different occupations:

Sec. 67

Factories Act, 1948- prohibits employment of young children who have not completed age of 14 years.

Sec. 19

Merchant of shipping Act 1951 Prohibits from carrying a child to sea to work who has not completed age of 14 years.

Sec. 45

According to Mine Act 1961- no child below the age of 18 years shall be allowed to be present in any mine.

Section 21

Motor Transport workers Act 1961-
No. child shall be allowed to work in any capacity in any motor transport undertaking.

Section 3

Apprentices Act 1961-

A person less than fourteen years of age shall not be qualified for being engaged as an apprentice to undergo apprenticeship training in any designated trade.

धारा 24

बिड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम 1966 के अनुसार किसी बालक को किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के परिसर में कार्य की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

कारखाना एवं कामगार विधियाँ

बालक श्रम (निरोध एवं नियमन) अधिनियम 1986

धारा 3

कोई बालक जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है अनुसूची के भाग (क) या (ख) में वर्णित उपजीविका या प्रक्रिया में नहीं लगाया जायेगा ।

<u>सूची (क) व्यवसाय</u>

1) रेल द्वारा यात्री, माल या डाक का परिवहन

2) रेलवे परिसरों में अधजला कोयला, चुनना, राख साफ करना या भवन बनाना

3) रेलवे स्टेशन पर खान-पान प्रतिष्ठान में काम करना तथा एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर या चलती ट्रेन में वेंडर के रूप में काम करना ।

4) रेलवे स्टेशन निर्माण या समीप में निर्माण या अन्य कार्य

5) बन्दरगाह पर कार्य करना

6) आतिशबाजी बेचने का काम

7) पशु वधशाला

Section 24

Beedi and Cigar workers (conditions of Employment) Act 1966- No child shall be required or allowed to work in any industrial premises.

Industrial and Labour Laws

The child labour (prevention and Regulation) Act 1986

Section 3

No child of the age below 14 years shall be employed in any occupation or processes as described in part A & B of the schedule.

<u>Schedule 'A' occupation</u>

1) Transport of passangers, goods or mails by Railway.

2) Cinder picking, clearing of an ash pit, building operation in railway permises

3)	Work in catering establishment at a railway station, movement from one platform to another or in a moving train as a vendor.	
4)	Construction of railway station or other work.	
5)	Work on Port	
6)	Selling of crackers and fireworks in shops	
7)	Abattoirs/ slaughter house.	
8)	गैराज में कार्य	8) Automobile workshop and garages
9)	ढलाई कार्य	9) Foundries
10)	विषैले विस्फोटक पदार्थ के कार्य	10) Handling of toxic or ex plosies
11)	हस्तकरघा एवं बिजलीकरण के उद्योग में	11) Handloom and power loom industry.
12)	खदान एवं कोयला खदान में	12) mines and collieries
13)	प्लास्टिक एवं फाइबर ग्लास कार्यशाला में	13) Plastic and fiberglass workshop
14)	घरेलू नौकर	14) Domestic workers or servant
15)	ढ़ाबा, होटल, चाय की दुकान आदि पर	15) Dhaba, Hotels, tea shop etc.
16	गोताखोरी	16) Diving

सूची (ख) (प्रकिया में)

1) बिड़ी बनाने का
2) कालीन बनाने का
3) सिमेंट बनाना या भराई का
4) कपड़ा छपाई, बुनाई तथा रंगाई
5) दियासलाई, विस्फोटक (आयुध) या आतिशबाजी का निर्माण
6) अभ्रक कटाई या तोड़ना
7) प्राकृतिक वस्तु द्वारा सतह पर का कार्य (चपड़ा निर्माण)
8) साबुन निर्माण
9) चमड़ा शोधन
10) इमारत बनाने का कार्य
11) ऊन सफाई
12) स्लेट पेन्सिल का निर्माण (पैकिंग समेत)
13) कड़े पत्थर से सामान बनाना
14) जहरीली वस्तु, शीशा, पारा, कृषि दवाई, एस्बेस्टस आदि चीजों से होने वाली निर्माण प्रक्रिया
15) खतरनाक प्रक्रिया
16) छपाई
17) काजू प्रोसेसिंग
18) विद्युत द्वारा जुड़ाई कार्य
19) अगरबत्ती निर्माण
20) वाहन मरम्मति और रख-रखाव
21 ईट भट्ठा एवं खपड़े बनाने में
22) रूई धुनाई और होजरी उद्योग
23) सर्फ उत्पादन
24) निर्माण कार्यशाला
25) रत्नों की कटाई एवं पालिशिंग
26) क्रोकाइट एवं गैगनीज अयस्क के कार्य
27) जूट के चट एवं रस्सी निर्माण
28) चूने भट्ठे एवं चूना निर्माण
29) ताला निर्माण
30) शीशा उत्पादन प्रक्रिया
31) सीमेंट से संबंधित उत्पाद

Part (B) processes

1) Bidi making
2) Carpet wearing
3) Cement manufacturing including bagging of Cement.
4) Cloth printing, weaving and dyeing
5) Manufacture of matches, explosive, fire works
6) Mica cutting and splitting
7) Shellac manufacture
8) Soap manufacture
9) Tanning
10) Building and construction Industry
11) Wool cleaning
12) Manufacture of Slate Pencils, packing
13) Manufacture of product from agate
14) Manufacturing processes using toxic metals and substance such as lead mercury pesticids, asbestos etc.
15) Hazardous process and dangerous opration
16) Printing
17) Cashew descaling and processing
18) Soldering processes.
19) Agarbatti manufacturing

20) Automobile repairs and maintenance
21) Brick and Root tiles units
22) Cotton ginning and processing and hosiery Industry
23) Detergent manufacturing
24) Fabrication workshop
25) Gem cutting and Polishing
26) Handling of chromite and manganese ores
27) Jute Texttile manufacture and coir making
28) Lime kilus and manufacture of lime
29) Lock making
30) Manufacturing processes having exposure to lead
31) Manufacture of Cement Products
32) शीशा निर्माण एवं अन्य संबंधित उत्पाद
33) रंग निर्माण एवं रंग के समान
34) कीटनाशक के उत्पादन में
35) समकारी एवं जहरीले पदार्थ, धातु आदि सफाई प्रक्रिया
36) जले कोयले एवं कोयले के ब्रेकेट का निर्माण
37) खेल सामग्री निर्माण जिसमें रसायन एवं बेभड़ का प्रयोग हो
38) फाईबर एवं प्लास्टिक ढ़ालने की प्रक्रिया
39) तेल निकालना एवं सफाई
40) कागज निर्माण
41) चीनी मिट्टी एवं सिरामिक उद्योग
42) पीतल के सामान निर्माण
43) कृषि कार्य जहाँ ट्रेक्टर, क्रोसिंग एवं हारवोस्ब्रिंग मशीनों का उपयोग होता है एवं चारा कटाई
44) आरामिल के सभी कार्य
45) रेशम के उत्पादन में
46) चमड़े की सफाई, रंगाई एवं चमड़े के सामान निर्माण में
47) पत्थर तोड़ना एवं पीसना
48) तम्बाकू के संश्लेशण एवं उसके उत्पादन में
49) टायर बनाने, मरम्मत करने और ग्रेफाईट चढ़ाने में
50) धातु शोधन, बर्तन बनाने एवं पालिशिंग में
51) जरी बनाना
52) धातु विलेपन में
53) ग्रेफाईट चूर्ण बनाने एवं अनुशांगिक कार्यो में
54) धातु को पीसना या चमक लाना
55) हीरा कटिंग एवं पालिशिंग
56) खान से प्लेट निकालना
57) कूड़ा चुनना एवं कचरा साफ करना
58) अधिक ताप एवं ठंढ़ युक्त प्रक्रिया में काम
59) यांत्रिक विधि द्वारा मछली पकड़ना
60) खाद्य प्रसंस्करण
61) शीतल पेय उद्योग
62) लकड़ी उतराना एवं चढ़ना
63) यांत्रिक विधि द्वारा लकड़ी काटना
64) भण्डारण
65) सीलिका प्रोसेस, पला, पेंसिल पत्थर, स्लेट खदान तथा गोमेद उद्योग
32) Manufacture of glass and other glass products
33) Manufacture of dyes and dye staff
34) Manufacturig or handling of pesticides and insecticides
35) Manufacturing or processing of toxic substaness
36) Manufacturing of busing coal and coal briquettes
37) Manufacturing of sports goods involving exposure to synthetic materials, Chemicals and leather
38) Moulding and processing of fiberglass & Plastic
39) Oil expelling and refinery
40) Paper making
41) Potteries and ceramic industry
42) Manufacturing of brass goods in all forms
43) Processes in agriculture where tractors, threshing and harvesting machines are used and chaff cutting
44) Saw mill -all processes
45) Sericulture processing
46) Skinning, dyeing and processes for manufacturing of leather and leather products
47) Stone breaking and stone crushing
48) Tobacco processing
49) Tyre making, reparing, retreading
50) Utensils making, polishing and metal butting
51) 'Zari' making
52) Electroplating
53) Grephite powdering and identical processing
54) Grinding or glazing of metals

55) Dimond cutting and Polishing

56) Extraction of slate from mines

57) Rag picking and scavengering

58) Process involving exposure to excessive heat and cold.

59) Mechanised fishing

60) Food processing

61) Beverage industry

62) Timber handing and loading

63) Mechanical lumberring

64) Ware housing

65) Processes involving exposure of free silica such as slate, pencil industry stone grinding, slate stone mining etc.

धारा 7

बालक लगातार 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा । एक घंटे का आराम का समय होगा एवं आराम के समय सहित छः घंटे से अधिक काम की अवधि नहीं होगी । 7 बजे शाम से 8 बजे सुबह के बीच कार्य नहीं करेगा और ओवरटाईम नहीं करेगा ।

धारा 8 सप्ताह में पूरा एक दिन अवकाश रहेगा ।

धारा 14 - सजाएँः

कोई किसी बालक को धारा 3 के उल्लंघन में काम पर लगाता है तो वह कम से कम तीन माह की कारावास की सजा जो एक वर्ष तक की भी हो सकती है का भागीदार होगा तथा कम से कम दस हजार रूपये और अधिक बीस हजार रूपये का जुर्माना का भी भागीदार होगा । दूसरी बाए ऐसा करने पर कम से कम छः माह और अधिक से अधिक एक वर्ष की सजा का भागीदार होगा ।

धारा 16

किसी व्यक्ति या पुलिस पदाधिकारी द्वारा अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है ।

बँधुआ मजदूर पद्धति (समापन) अधिनियम 1976

2.(क) अग्रिम का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया नकद या वस्तु या आंशिक नकद या वस्तु ।

2.(ख) सहमति से अर्थ है कर्ज देने और लेने वालों के बीच लिखित या मौखिक सहमति जिसमें बलात श्रम भी शामिल है ।

Section 7

No child shall work more than 3 hours and there will be a recess of an hour but in no case the working hour should exceed beyond six hours including time for rest. No overtime will be allowed and no work hour will be in between 7 P.M. to 8 A.M.

Section 8

A weekly holiday will be for whole of the day.

Section 14 Penalties

(1) Whoever employs any child or permits any child to work in contravention of the provisions of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but which may extend to one year or with fine which shall not be less than Rs.10000/ but which may extend to Rs.20000/ or with both. (2) Whoever, having been convicted of an offence under section 3, commits a like offence afterwards, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2years.

Section 16

Any person or a Police Officer may file a complaint of the commission of an offence under this Act before a court of competent jurisdiction.

[The] Bonded Labour system (Abolition) Act, 1976

2(a) Advance means whether in cash or kind or partly in cash or kind made by a person to another.

2(b) Agreement means oral or written agreement between creditor and debitor which includes forced labour also.

2.(घ) बँधुआ कर्ज से अर्थ है बँधुआ मजदूर के द्वारा जो अग्रिम प्राप्ति बँधुआ प्रथा के अन्तर्गत प्राप्त किया हो ।

2.(ङ) बँधुआ मजदूर से अर्थ है ऐसी सेवा या मजदूरी जो बँधुआ मजदूरी प्रथा के अन्तर्गत की जाती है ।

2.(च) बँधुआ मजदूर से अभिप्राय है ऐसा मजदूर जिसने बँधुआ ऋण लिया हो या ऐसा समझा जाता हो ।

धारा 4 एवं 6

इस अधिनियम के लागू होने के बाद बँधुआ मजदूरी पद्धति स्वतः समाप्त समझी जायेगी एवं बँधुआ मजदूर सभी बंधन से मुक्त समझा जायेगा ।

धारा 11

जिला दण्डाधिकारी या उसके द्वारा निर्दिष्ट पदाधिकारी मुक्त बँधुआ मजदूरों के कल्याण को बढ़ावा देंगे उनकी आर्थिक हितों की रक्षा करें ताकि दुबारा बँधुआ ऋण लेने या कार्य करने को विवश न हो ।

बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम 1933

धारा (2)

बालक से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो ।

धारा (4)

बालक के पिता-माता या अविभवक यदि किसी समझौते द्वारा बालक को श्रम के लिए गिरवी रखते है तो उसके लिए उसे 50 रूपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

2(d) bonded debt means an advance obtained or presumed to have been obtained by a bonded labour in persuance of the bonded labour system.

2(e) Bonded labourer means any labourer or service rendered under the bonded labour system.

2(f) Bonded labour means a labour that incurs or has or is presumed to have incurred a bonded debt.

Section 4 and 6

On commencement of this Act bonded labour system shall stand abolished and bonded labour shall stand freed and discharged from all obligations.

Section 11

The District Magistrate or the officer specified by him shall try to promote welfare of the freed bonded labour by securing and protecting the economic interest of such bonded labour so that they not do the same as bonded labour.

The children (pledging of Labour) Act, 1933

Section 2
Child means a person who is under the age of 15 years.

Section 4
Whoever, being the parent or guardian of a child, makes an agreement to pledge the labour of that child, shall be punished with fine which may extend to Rs.50

धारा 5
यदि कोई बालक के पिता-माता या अविभावक के साथ बालक के श्रम के लिए बंधक रखता है तो उसे दो सौ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ।

धारा 6
यदि कोई व्यक्ति जानते हुए अपने परिसर या स्थान में बालक के श्रम के बंधक की इजाजत देता है तो उसे दौ सौ रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ।

संविदा श्रम (विनियमन एवं समापन) अधिनियम 1970

जिस किसी प्रतिष्ठान में या ठेकेदार द्वारा 20 या अधिक कामगार का नियोजन किया जाता है या काम लिया जाता है वहाँ यह अधिनियम लागू होगा ।

धारा 7
निर्धारित प्रपत्र में निबंधक पदाधिकारी के यहाँ प्रतिष्ठान का निबंधक कराना आवश्यक होगा ।

धारा 10
कोई सरकार केन्द्रिय या राज्य परिषद के परामर्श से अनुबंध पर कामगार के किसी प्रक्रिया में नियोजन पर अधिसूचना द्वारा रोक लगा सकती है या अन्य किसी काम पर किसी प्रतिष्ठान में नियोजन पर भी रोक लगा सकती है ।

धारा 16, 17,18,19 तथा 20
जहाँ 100 या अधिक अनुबंध कामगार को लगाया जाता है वहाँ कैन्टीन, विश्राम-गृह, अन्य सुविधाएँ प्राथमिक उपचार की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा करना आवश्यक होगा ।

Section 5
If any one makes an agreement with parent or guardian to pledge the labour of a child shall be punished with fine which may extend to two hundred rupees.

Section 6
If any person who has a control over any permises or place, permits a child to be employed shall be punished with fine which may extend to two hundred rupees.

The contract labour (Regulation & Abolition) Act 1970

It applies to every establishment in which twenty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labourto and every contractor who employes or who employed on any day of the preceding twelve months twenty or more workmen

Section 7
In a prescribed manner establishment shall apply to registering officer for registration.

Section 10
An appropriate Government by notification may prohibit employment of a contract labour in any process, operation or other work in any establishment in consultation with control or State Board.

Section 16,17,18,19 & 20
Where 100 or more contract labour are empolyed canteen, rest house, first aid etc. be provided there by the contractor.

जहाँ ठेकेदार कर्त्ता नहीं है वहाँ मुख्य नियोक्ता द्वारा व्यवस्था की जाएगी ।

धारा 21

वह ठेकेदार कामगार को मजदूरी देने के लिए जबाबदेह होगा जिसने उसे काम पर लगाया है । यदि ठेकेदार मजदूरी देने में असफल रहता है तो मुख्य नियोक्ता जबाबदेह होगा ।

धारा 23

किसी के द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन करने पर उसे तीन माह तक की कारावास की सजा या जुर्माना जो एक हजार रूपये तक का हो सकता है या दोनों की सजा दी जा सकती है और निरंतर उल्लंघन की स्थिति में प्रतिदिन एक सौ रूपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है ।

धारा 27

निरीक्षक के द्वारा या उसकी अनुमति से परिवाद प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के समक्ष दायर कर मुकदमा चलाया जा सकता है । यह अपराध की तिथि से तीन माह के अन्दर दाखिल करना होगा ।

कारखाना अधिनियम 1948

धारा 2

(क) बालिग वह है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है ।

(ख) किशोर वह है जिसने 15 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है पर 18 वर्ष का नहीं हुआ है ।

If there is no contractor, Principal employer will provide the same.

Section 21
A contractor shall be liable to make payment of wages to the labourers. In case of failure in making payment by the contractor, the principal employer shall be liable to pay wages.

Section 23

Whoever contravenes any provision of this Act may be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and in case of continuing contravention additional fine of rupees one hundred per day may be awarded.

Section 27

A complaint may be filed, with previous sanction of the Inspector, before a magistrate of the 1st class within three

months from the date of commission of the offence.

[The] Factories Act 1948

Section 2

(a) Adult means a person who has completed his eighteenth years of age.

(b) Adolescent means a person who has completed his fifteenth year of age but not 18 years.

(ग) बालक वह है जो पन्द्रह वर्ष से कम उम्र का है ।

(ठ) कामगार वह है जिसे एजेन्सी द्वारा या सीधे कारखाना में, मुख्य नियोक्ता की जानकारी या उसके बिना, उत्पादन प्रक्रिया या सफाई या अन्य काम में मजदूरी या उसके बिना भी नियोजन पर लगाया जाता है ।

(ड) कारखाना से मतलब उस स्थान से है जहाँ दस/बीस या अधिक कामगार कार्य उत्पादन प्रक्रिया उर्जा के सहयोग से करते हों या किये हो जिसके के अन्दर केन्द्रीय सशस्त्र बल की चलंत शाखा या रेलवे द्वारा संचालित होटल शामिल नहीं है ।

कामगारो के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित उपबंध

प्रत्येक कारखाना में सफाई (धारा -11), कचड़े का निष्पादन (धारा 12), स्वच्छ हवा का प्रवेश तथा तापमान (धारा 13), गर्दा एवं धुआँ से मुक्त (धारा 14), क्षमता से अधिक कामगार को एक कमरा में नियोजित नहीं करना (धारा- 16), समुचित प्रकाश की व्यवस्था करना (धारा 17), पीने के जल की व्यवस्था करना (धारा 18), लघुशंका एवं शौचालय हेतु व्यवस्था (धारा 19), थूकदान (धारा 20), मशीन घेर कर सुरक्षा की व्यवस्था करना (धारा 21), धुलाई की व्यवस्था (धारा 42), कपड़ा सुखाने की व्यवस्था (धारा 43) बैठने की व्यवस्था (धारा 44), प्राथमिक उपचार हेतु सामग्री (धारा 45), कैन्टिन

(l) Child means a person who has not completed his fifteenth year of age.

(e) Worker means a person employed directly or through agency with or without knowledge of the principal employer for remuneration or without remuneration in any manufacturing process or cleaning of any part of machinery or any other incidental work.

(m) Factory means any premises whereon ten/twenty or more workers are working or were working on day of the proceding twelve months but do not include a mobile unit of armed forcess of the Union and a hotel or eating place running by Railway.

Provisions for safty and welafare of the workers

Under Factories Act,1948

In every factory the following arrangement/ provisions should be made: Cleanliness (sec.11), disposal of waste and effluent (sec.12), Ventilation and

temparature (sec. 13), free from dust and fume (sec. 14), no overcrowding in a room than its capacity (sec. 16), proper lighting (sec. 17), drinking water (sec. 18), arrangement of latrine and urinals (sec. 19), spittoons arrangement (sec.20), fencing of machinery (sec. 21) etc. , washing facilities (sec. 42), facilities for drying clothing (Sec. 43), facilities for sitting (sec. 44), first aid facilities (sec. 45), Canteen (sec. 46), rest room (Sec. 47), creches where more than 30 women are working (sec. 48), weekly holiday (sec. 52), intervals for rest (sec. 55) etc. arrangements be made.

(धारा 46), आराम घर एवं भोजन स्थान (धारा 47), बच्चों को रखने के लिए जहाँ 30 से अधिक महिलाएँ कामगार हों, साप्ताहिक छुट्टी (धारा 52) काम से अवकाश (काम के बीच में आराम करने की व्यवस्था (धारा 55) आदि की व्यवस्था करना है ।

धारा 67

कोई बालक जिसने 14 वर्ष पूरी नहीं की है उसे कारखाने में काम करने की अनुमती नहीं दी जा सकती है ।

धारा 68 व 69

कोई बालक जिसने 14 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है उसे काम पर तभी लगया जायेगा जब किसी शल्य चिकित्सक द्वारा काम के योग्य प्रमाण-पत्र माता-पिता या अविभवक के या मैनेजर के आवेदन पर निर्गत करता है ।

धारा 70

कोई किशोर 6 बजे प्रातः और शाम 7 बजे के बीच ही काम करेगा ।

धारा 92

<u>अपराध के लिए सामन्य शास्ति</u>

इस अधिनियम या नियम जो इसके अन्तर्गत बनाये गये के उल्लंघन करने पर प्रबंधक या किसी कारखाना परिसर के उपयोगी को दो वर्ष तक की कारावास की सजा या एक लाख तक के जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है । अपराध जारी रहने की दशा में प्रतिदिन एक हजार रूपये का जुर्माना लगया जा सकता है ।

Section 67

No child, who has not completed his 14 year of age, shall be allowed to work in a factory.

Section 68 & 69

A child who has completed his 14 years of age shall be allowed to work only on issuance of a certificate of fitness to work by a certifying surgeon on application of parent or guardian or manager.

Section 70

No adolescent will be allowed to work except in between 6 A.M. to 7 P.M.

Section 92

General Penalty for offences

On contravention of any provision of this Act or Rule made thereunder by anyone will be liable to be punished by imprisonment which may extend to two year or fine which may extend to one lac or both and for continuing offence fine of one thousand per day.

(भारतीय) प्राणनाशक दुर्घटना अधिनियम, 1855

3(1क) जब कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दोषपूर्ण, उपेक्षा, चूक के कारण होती है तो क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा लाया जा सकता है ।

मुकदमा माता-पिता, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री एवं दादा- दादी द्वारा लाया जा सकता है ।

(The Indian) Fatal Accident Act 1855

S.3(1A)-Whenever death of any person is caused by wrongful act, neglect or default a suit for compensation may be brought by filing a plaint by parent, grand father- mother, Son, daughter, grand son and daugther.

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

धारा 2(ञ)

उद्योग का अर्थ है कोई व्यवसाय, व्यापार, उत्पादन, धंधा, स्वामी का उद्यम, सेवा, किसी कामगार का उद्योग-उद्यम ।

धारा 2(ट)

उद्योगीय विवाद से अर्थ है कोई विवाद या मतभेद जो एक नियोक्ता का दूसरे नियोक्ता के बीच या नियोक्ता एवं कामगार के बीच या कामगार का कामगार के बीच विवाद जो नियुक्ति, या श्रम की शर्त्तो या नियुक्ति से वंचित होने से संबंधित हो ।

धारा 2क

नियोक्ता द्वारा कामगार को काम से मुक्त करना या छंटनी द्वारा या अन्यथा उसकी सेवा समाप्ति किया जाना औद्योगिक विवाद कहलायेगा ।

धारा 3

जिस प्रतिष्ठान में 100 या अधिक कामगार नियोजित किये गये हैं वहाँ

(The) Industrial Dispute Act, 1947

Section 2(j)

Industry means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employer industrial occupation or avocation of workmen.

Section 2(k)

Industrial dispute means any dispute or difference between employer and employees or between employers and workmen or between workmen which is connected with the employment, non employment.

Section 2A

Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the service of an individual workman shall be deemed to be an industrial dispute.

Section 3

If in any establishment 100 or more workmen are employed for a work a

एक कार्य समिति बनायी जायेगी जो मित्रता एवं अच्छा संबंध स्थापित करने एवं उसे सुरक्षित रखने के लिए कार्य करेगी ।

धारा 5

समझौता परिषद

सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद को सुलझाने को बढ़ावा देने हेतु समझौता बोर्ड का गठन किया जायेगा ।

धारा 6

जाँच न्यायालय

किसी विषय जो औद्योगिक विवाद से संबंधित है के उत्पन्न होने पर उसकी जाँच ऐसे जाँच न्यायालय द्वारा की जा सकेगी ।

धारा 7

श्रम न्यायालय

सूची II में वर्णित मामलो से संबंधित औद्योगिक विवाद न्याय निर्णय हेतु एक या अधिक श्रम न्यायालय का गठन समुचित सरकार द्वारा किया जा सकता है ।

धारा 7 (क)

अधिकरण

अनुसची II या III या अन्य अन्य या सौंपे गये मामलों से संबंधित औद्योगिक विवादो के न्याय निर्णयन के लिए समुचित सरकार एक या अधिक अधिकरणों का गठन कर सकती है ।

7(ख) राष्ट्रीय अधिकरण

राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व या दो राज्यों में स्थित प्रतिष्ठान से संबंधित विवाद का निपटारा किया जायेगा ।
Committee will be constituted for securing and preserving amity and good relation.

Section 5

Board of Conciliation

The goverment may constitute a Board of conciliation for promoting settlement of industrial dispute.

Section 6

Court of Inquiry

Any matter connected with industrial dispute may enquire into by the Court of Inquiry.

Section 7

Labour Court

One or more Labour Court may be constituted for adjudication of industrial dispute as specified in 2nd schedule.

Section 7A

Tribunals

Government may constitute one more Tribunals for the adjudication of industrial dispute whether specified in the second schedule or the third schedule or as may be assigned to the tribunal.

Section 7B- National Tribunal

Government may constitute National Tribunal for the adjudication of industrial dispute involving question of national importance or dispute btween industrial establishment situated in more than one State.

धारा 10(क)

औद्योगिक विवाद को हल करने के लिए नियोक्ता एवं कामगार दोनों आपसी सहमती से विवाद को स्वेच्छा से भेज सकता है पंच समान संख्या में होगे ।

अन्तर्राज्यीय कामगार प्रवास (नियोजन नियमन तथा सेवा शर्त्त) अधिनियम 1979

धारा 2(ङ)

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार का अर्थ है उस कामगार से जिसका नियोजन ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से एक राज्य में एकरारनामा तय किया गया हो जिसमें नियोजन दूसरे राज्य के प्रतिष्ठान के लिए हो जो मुख्य नियोक्ता की जानकारी मे या बिना जानकारी के किया गया हो ।

धारा 4

इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ प्रतिष्ठान का निबंधन कराना आवश्यक होगा ताकि प्रावधान के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय कामगार का नियोजन किया जा सकेगा ।

धारा 8

सरकार की अधिसूचना द्वारा ठेकेदार को नियुक्त करेगा ताकि अन्तर्राज्यीय कामगार का नियोजन इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत कर सके ।

धारा 17

मजदूरी भुगतान की जबाबदेही ठेकेदार पर होगी जिसे उसने नियोजन पर लगाया है और वह अन्तर्राज्यीय कामगार है ।

Section 10A

Employer and employee both by mutual agreement may voluntarily refer any industrial dispute to arbitrators of even number for solving the dispute.

(The) Inter State Migrant workmen (Regulation of Employment and conditions of Service Act 1979)

Section 2(e)

Inter State migrant workman means any person who is recruited by or through a contractor in one state under an agreement for employment in an establishment in another state with or without knowledged of the principal employer.

Section 4

For employment of inter state workman certain establishment should be registered under the provision of this Act.

Section 8

Government by notification appoint Contractor for recruitment of inter state employment under this Act.

Section 17

A contractor shall be responsible for payment of wages to each inter state workmen employed by him.

धारा 25, 26 एवं 27

इस अधिनियम के प्रावधान या बनाये गये नियम नियोजन एवं अनुज्ञप्ति उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की कारावास की सजा या एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है और अपराध निरन्तर होते रहने पर प्रतिदिन 100/- रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है । अन्य अपराध के लिए दो वर्ष तक की कारावास की सजा या दो हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है । कम्पनी के प्रभारी भी सजा के हकदार होंगे ।

धारा 28 एवं 29

परिवाद पत्र जो अपराध की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के न्यायालय में दाखिल करने पर ही संज्ञान लिया जा सकेगा ।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923

धारा 3

यदि दुर्घटना के कारण कर्मकार को व्यक्तिगत अपकार (हानि) हो और दुर्घटना से आंशिक या पूर्ण अयोग्यता न हो पर भी तीन दिनों से ज्याद के लिए अपकार निःशक्तता हो जाती है या मृत्यु हो जाती या पूर्ण अयोग्यता होती है तो वह या मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी जो उन पर निर्भर है, क्षतिपूर्ति पाने के हकदार हैं ।

Section 25, 26, & 27

Whoever contravenes any provision of this Act or Rules made thereunder regulating the employment or licence shall be punished with imprisonment which may extand to one year or fine which may extend to one thousand or both and for continuing offence Rs. 100/- per day. For any other offence shall be punished with imprisonment which may extend to two years or fine of which may extend to two thousand. Incharge of company shall be liable to be punished.

Section 28 & 29

On filing a complaint within three months from the commission of offence, a first class magistrate may take congnizance of an offence.

(The) Workmen's compensation Act 1923

Section 3

If personal injury is caused to a workman by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation except any injury which does not result in the total or partial disablement of the workman for a period exceeding 3day, injury caused under the influence of drink or drugs etc.

धारा 4 एवं 5

क्षतिपूर्ति की राशि तथा पगार तय करने का दिया तरीका अधिनियम के उपबंधो के अनुसार होगा ।

धारा 19 एवं 20

क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा तय किया जाएगा ।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

इस अधिनियम का उद्धेश्य केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा योजना बना असंगठित कामगारों को लाभ प्रदान करना है।

असंगठित कर्मकारों के लिए केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित विषयों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को बनाना एवं अधिसूची करना होगा -

(क) जीवन एवं अयोग्यता संरक्षा
(ख) स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ
(ग) वृद्धावस्था सुरक्षा एवं
(घ) अन्य लाभ जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

असंगठित मजदूरों के लिए राज्य सरकार निम्न विषयों से संबंधित कल्याणकारी योजनाये बना सकती है

(क) भविष्य निधि
(ख) रोजगार अपकार (हानि) की दशा में सुविधा
(ग) घर
(घ) बच्चों की शिक्षा योजना
(ङ) कामगारों की कुशलता में वृद्धि के उपाय
(च) अन्त्येष्टि में सहायता
(छ) वृद्धालय

कुछेक सामाजिक सुरक्षा योजना जो असंगठित कामगारों के लिए बनायी गयी है:

1इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना,

Section 4 & 5-Amount of compensation and method of calculating wages would be according to the provisions given therein.

Section 19 & 20

A commissoner appointed by the Government shall settle the question of compensation.

The Unorganised worker's social security Act, 2008

The purpose of this Act is to give benefits to unorganised workers by formulating social security scheme time to time by the Central Government.

The Central Govt. has to forumlate & notify sutaible welfare schemes for unorganized worker's on the following matters:

(a) life and disability cover,
(b) health and maternity benefits
(c) old age protection and
(d) Any other benefit as may be determined by the Central Government.

The State Government may formulate & notify sutaible welfare chemes for unorganized workers including scheme relating to

(a) provident fund
(b) employment injury benefit
(c) housing
(d) educational schemes for children
(e) skill upgradation of workers
(f) funeral assistance
(g) old age homes.

Some Social security schems for unorganized workers:

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, 3.जननी सुरक्षा योजना 4. हस्तकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, 5. हस्त शिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण योजना, 6. जनता बीमा योजना, 7. आम आदमी बीमा योजना 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ।

अधिकारों को प्राप्त करने का तरीका

असंगठित मजदूरों को अपना निबंधन इस कानून के अन्तर्गत करवाना होगा जिसके लिए जिला प्रशासन के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना होगा । जिला प्रशासन निबंधन कर परिचय पत्र निर्गत करेगा जिसके आधार पर विभिन्न लाभों को प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

कामगारो के पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार कर्ममार सहायता केन्द्र स्थापित करेंगे ।

असंगठित मजदूरों की शिकायतें दूर करने के लिए निम्नलिखित फोरम बनाये गये है :

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पर्षद
(ख) राज्य सामाजिक सुरक्षा पर्षद

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार निश्चित् (गारन्टी) अधिनियम, 2005

इस अधिनियम के मुख्यतः दो उद्धेश्य है:

(क) ग्रामीण विकास
(ख) ग्रामीण कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराना ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन की सुरक्षा हेतु प्रत्येक घर के बालिग सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है, को प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा ।

1. Indira Gandhi old age pension Scheme 2. National Family Benefit Scheme 3. Janani Suraksha Yojana 4. Handloom weavers' comperhensive welfare scheme, 5. Handicraft Arlisans' comperhensive welfare scheme, 6. Pension to Mastercraft persons, 7. National scheme for welfare of fishermen and training and extention, 8. Janshree Bima Yojana, 9.Rastriy SwasthyaBima Yojana,10.Am admi Bima Yojana

Way to access to rights

The workers shall apply to District Administration in prescribed format for registration and the District Administration on registration shall issue identity card on the basis of which an unorganised worker shall be entitled to get benefits under the Act.

The State Govt. may setup workers facilitation centre to facilitate the workers for filing application for registration and to assist the workers to obtain benefits of social security schemes.

The following forums for redressal of grievances of unorganized workers have been provided and they are:

(a) National Social Security Board
(b) State Social Security Board

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005

There are two Chief aims of this Act:

(a) Rural development
(b) Provide livelihood security.

The effort is to provide livelihood security in rural areas for which 100 days guaranteed wage employment to every household whose adult member volunteers to do unskilled work.

अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार

(क) वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक की हो और वह ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तथा कार्य करने की इच्छा रखता है उसे यह अधिकार होगा कि वह 100 दिनों का रोजगार प्रतिदिन 144/- रूपये की दर से पाये । यदि सरकार द्वारा उसे रोजगार नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा जो प्रतिदिन की मजदूरों का ¼ होगा ।

(ख) रोजगार के दौरान जख्मी होने पर चिकित्सा सहायता या मृत्यु होने पर मुआवजा पाने का अधिकार होगा ।

(ग) महिला को यदि शिशु है तो उसकी देख-भाल हेतु शिशु-गृह (स्थान) की व्यवस्था होगी ।

कैसे अधिकार प्राप्त किया जाये

(क) काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अपना निबंधन कराकर जॉब-कार्ड (काम का अधिकार-पत्र) प्राप्त करेगा जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का व्योरा अंकित होगा ।

(ख) जॉब-कार्ड (काम का अधिकार-पत्र) प्राप्त करने के बाद वह रोजगार (कार्य) के लिए आवेदन देगा ।

(ग) सरकार काम नहीं दे पाती है तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार भत्ता पाने का अधिकारी होगा ।

(घ) राशि नहीं मिलने या देरी होने पर ब्लॉक या जिला स्तर पर अधिकारी को शिकायत करेगा ।

Rights available under the Act

(a) A person who is 18 years of age and above and is living in rural area and ready to do work, shall have right to minimum 100 days of guaranteed employment at the rate of 144/- rupees per day. If the government is not providing employment, shall have right to get unemployment allowance which shall not be less than ¼ of wage.

(b) On being injured or in case of death during employment, shall have right to medical assistance or compensation as the case may be.

(c) There shall be facility of creches and a women worker having small children; children will be taken care of in creches.

How access to right

(a) A person, who is willing to work, will have to get his name enrolled for obtaining job-card mentioning details of all his family members.

(b) On getting job card he will apply for work.

(c) If the government fails to provide work, such enrolled person will have right to unemployment allowance.

(d) If payment is not made or there is delay in payment, a complaint at Block or District level may be made.

(ङ) वह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज करायेगा यदि उसे कार्य नहीं दिया जाता है या भुगतान नहीं किया जाता है ।

(च) कार्यक्रम पदाधिकारी भुगतान का आदेश विशेष पदाधिकारी को देगा । ब्लॉक विकास पदाधिकारी को भी शिकायत की जा सकती है ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

जीवन निर्वाह मजदूरी और वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में अन्तर है । जीवन निर्वाह मजदूरी वह मजदूरी है मजदूर एवं परिवार की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है पर उद्योग की क्षमता के अनुरूप दी जाती है ।

पर वर्त्तमान धारणा यह है कि उपर्युक्त दोनों आधार को ध्यान में रखते हुए जो उचित पर्याप्त जीवन निर्वाह के लिए एवं सुसंगत मजदूरी हो । इसमें मजदूर एवं उसके परिवार के निर्वाह के लिए एवं उसमें अन्य प्राथमिक आवश्यकता जैसे चिकित्सा, शिक्षा, यात्रा आदि शामिल होता है की पूर्ति हो को ध्यान में रखकर मजदूरी दी जाती है ।

धारा 2(ज)

मजदूरी से अभिप्राय उस पारिश्रमिक से है जो मुद्रा के रूप में, अभिव्यक्त या विवादित तय शर्त्तो को पूरा करने पर, दिया जाता है । इसमें गृह-भाड़ा शामिल होता है पर उसमें निम्नलिखित का मूल्य शामिल नहीं होता है:

(e) A complaint may be lodged with District Programme Officer in case work is not provided or payment is not made.

(f) Programme Officer will order to special officer for payment. The Block Development Officer may also be approached.

The Minimum Wages act 1948

There is distinction between subsistence wages and statutory minimum wages. The former is a wage which would be necessary to cover the bare minimum need of the workers and his family and which has to be paid to the worker irrespective of the capacity of the industry to pay.

The statutory minimum wage may be higher than the bare subsistence minimum wage providing for measure of education medical requirement and amenities. The present concept of minimum wage is a wage which is somewhat intermediate to a wage which is sufficient for bare subsistence and a fair wage in which includes expenses

necessary to meetprimary needs, medical expenses, transport, education of children etc. expenses.

Section 2(h)

Wage means all remuneration, capable of being expressed in terms of money which would, if the terms of the contract of employment express or implied, were fulfulled, be payble to a person employed in respect of his employment or of work done and includes house rent allowance but does not include:-

(i) (क)गृह सुविधा, बिजली आपूर्ति, जल, चिकित्सा उपस्थिति या

(ख) अन्य सुविधा या सेवा

(ii) भविष्य निधि या अवकाश निधि का योगदान, सामाजिक बीमा

(iii) यात्रा भत्ता या रियायती यात्रा

(iv) कार्य को देखते हुए दिये जाने वाली विशेष खर्च की रकम

(v) अनुग्रहदान जो सेवा मुक्त किये जाने पर दिया जाता है ।

2(झ) कर्मचारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे अनुसूची नियोजनमें जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें तय है; कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिकीय काम भाड़े या इनाम पर करने के लिए नियोजित है इसमें वह कर्मचारी भी शामिल है जिसे समुचित के द्वारा सरकार का कर्मचारी घोषित किया गया है । परन्तु इसमें केन्द्रीय सशस्त्र बल शामिल नहीं है ।

धारा 3

न्यूनतम मजदूरी का दर निर्धारण समुचित सरकार निम्नलिखित आधार पर करेगी:-

(क) सूची 1 तथा 2 में निर्दिष्ट कर्मचारी नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर तय करेगी तथा धारा 27 के अन्तर्गत किसी रोजगार सूचीबद्ध नियोजन के लिए भी न्यूनतम मजदूरी तय करेगी ।

(ख) ऐसे अन्तराल पर, जो पाँच वर्ष से अधिक की अवधि नहीं होगी, सरकार तय की गयी मजदूरी की दर का पुनरीक्षण करेगी ।

(i) The Value of-
  (a) any house accomodation, supply of light, water, medical attendance or
  (b) any other amenity

(ii) any contribution paid by the employer to any pension fund or provident fund or scheme of social insurance.

(iii) any travelling allowance

(iv) any sum paid to the person employed to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment

(v) any gratuity payable on discharge.

2(i) Employee means any person who is employed for hire or reward to do any work, skilled or unskilled, manual or clerical in a scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed and includes on employee declared to be an employee by the appropriate Government but does not include any member of the armed forces of the Union.

Section 3

The appropriate government shall fix minimum wage in the manner hereafter provided:-

(a) Fix the minimum rates of wages in respect of employment specified in part I & II of the schedule and also of added employment u/s 27.

(b) At such interval not exceeding five yers, the minimum rates of wages fixed may be revised.

धारा 4

1) न्यूनतम मजदूरी की दर का निर्धारण समुचित सरकार द्वारा जो की जाएगी जो निम्न से मिलकर बनेगीः-

(क) मजदूरी मूल दर तथा ऐसे कर्मकारों को लागू निर्वान व्यय सूचकांक के परिवर्तनों को समायोजित की जाने वाली दर विशेष भत्ता ।

(ख) निर्वाह व्यय भत्ते सहित या रहित मजदूरी की मूल दर और आवश्यकताओं के रियायती दर पर आपूर्ति की बाबत रियायत को नगर मूल्य अथवा

(ग) ऐसी सर्व समावेशी दर जिसमें मूल दर की निवाह व्यय भत्ते की और रियायतों के नकद मूल्य की गंजाईश रखी गयी हो ।

2) उपर्युक्त का निर्धारण सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा ।

धारा 5

न्यूनतम मजदूरी तय करने एवं पुनरीक्षण कराने की जो प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अपनायी जाएगी वह होगीः-

(क) कमिटि या उप कमिटि गठित कर निर्धारण करवा ली जाएगी

(ख) प्रस्ताव का अधिसूचना द्वारा प्रकाशन प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ की जाएगी । तथा अधिसूचना की तारीख से कम से कम दो माह के पश्चात् की विनिर्दिष्ट तारीख पर उन प्रस्तावनाओं पर विचार किया जायेगा ।

Section 4

Mnimum rate of wages shall be fixed or revised by the appropriate Govt. in respect of scheduled employment u/s 3 may consist of:

(i) A basic rate of wages and a special allowance with variation in the cost of living index number applicable to the worker

Or

(ii) a basic rate of wages with or without the cost of living and the cost value of the concession in respect of supplies of essential commodaties at concession rates.

Or

(iii) An all inclusive rate allowing for the basic rate, the cost of living allowance and cash value of concessions.

2) Computation would be made by the competent Authority.

Section 5

Procedure for fixing and revising minimum wages is:-

1) by appointment of committees or such committiees

2) By notification in the official Gazette, publish its proposals for the information of persons likely to be affected affording at least two month time for consideration of the same.

धारा 7 एवं 8

के अन्तर्गत सलाहकार पर्षद एवं केन्द्रीय सलाहकार पर्षद के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारण में संयोजक की भूमिका निभायी जाएगी जो क्रमशः राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा गठित की जाएगी और धारा 5 के अन्तर्गत गठित समिति या उप समिति की मदद करेगा ।

धारा 20

कमिश्नर या लेबर कमिश्नर की बहाली सरकार अधिसूचना प्रकाशित कर करेगी जिसके समक्ष दावा पेश किया जा सकता है और जिसकी सुनवाई और निर्णय उनके द्वारा किया जायेगा ।

धारा 22

कुछ अपराधो के लिए शास्तियाँ

(क) न्यूनतम दर से भी कम मजदूरी दी गयी हो

(ख) धारा 13 (जो काम के समय से संबंधित है) के उल्लंघन पर नियोक्ता को छः मास तक के कारावास की सजा या आर्थिक जुर्माना जो पाँच सौ तक का हो सकता है दिया जा सकता है या दोनों सजा दी जा सकती है । पर पूर्व से लम्बित मुआबजा की रकम को जुर्माना देने के समय ध्यान में रखा जाएगा ।

धारा 22 (बी)

न्यायालय अपराध का संज्ञान तभी लेगा जब इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा परिवाद करने की मंजूरी दी हो तथा अनुमति प्रदान करने की तिथि से एक माह के अन्दर परिवाद लाया गया हो ।

Section 7 & 8

Advisory Board and Central Advisory Board shall be appointed by the State Govt. and Central Govt. respectively to co-ordinate for the purpose of fixing and revising minimum rate of wages to the Committee or Sub-committed constituted u/s 5.

Section 20

The appropriate Government may by notification in the official Gazette, appoint Commissioner or Labour Commissioner to hear and dicide the claim arisen.

Section 22

Penalties for certain offences

(1) For payment of less wage than minimum rate of wage

2) For contravention u/s 13 (relating to working hours) an employer shall be liable to be punished for a term which may extend to six month imprisonment or with fine which may extend to five hundred rupees or both but the Court shall take into consideration the amount of any compensation paid when imposing fine.

Section 22B
No court shall take cognizance of an offence unless sanctioned by appointed officer for complaint and complaint made within a month from the date of sanction.

बंदी से संबंधित विधि

संविधान के अनुच्छेद 22 (i) एवं धारा 50 द0प्र0सं0) में यह प्रावधान बनाया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बंदी बनाने के आधार के संबंध में उसे तुरत पूर्ण जानकारी दिया जायेगा । उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । (संविधान के अनुच्छेद 22 (2) तथा धारा 56/57 द0प्र0सं0)

अनुच्छेद 14(3) अन्तर्राष्ट्रीय समझौता के अनुसार बंदी की उपस्थिति में उसका विचारण होना चाहिए । उसे अपना बचाव अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार हैं । बंदी को यातना नहीं दी जा सकती है । ऐसा प्रावधान दण्ड प्रक्रिया सहिता में भी है ।

धारा 436 द0प्र0सं0 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वह जमानतीय अपराध का अभियुक्त है तो न्यायालय उसे बंध-पत्र पर मुक्त करेगा ।

धारा 437 द0प्र0सं0 के अनुसार गैर जमानतीय अपराध के अभियुक्त को उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष लाया जाता है और यदि वह मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दोषी हो तो वह जमानत पर नहीं मुक्त किया जायेगा । यदि अभियुक्त पूर्व में सात वर्ष या अधिक सजा के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है को भी अपराध मुक्त नहीं करेगा परन्तु न्यायालय 16 वर्ष से कम के व्यक्ति या महिला या बिमार को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दे सकता है ।

Law relating to Prisioners

Under article 22 (i) of the constitution of India and u/s 50 of Code of Criminal Procedure an arrested person has right to be informed about the ground of arrest and he has to be produced within 24 hour of arrest before a court of law (article 22(2) of the constitution and sec. 56/57 Cr.P.C.)

Article 14(3) of International Covenant on Civil Rights an accessed be tried in his presence and he has right to defend himself as also provided in the Criminal Procedure Code. An arrested person can not be tortured.

Section 436 Cr.P.C. If a person is an accused of bailable offence, the court shall release him on bail.

Section 437 Cr.P.C.

In a non-bailable offence if an accused is brought before a court other than High Court or Sessions Court and the offence in which death sentence or life imprisionment may be awarded, or previously convicted by the court above 7 years or more sentence of improsonment shall not be released if the accused in not below the age of 16 years or a woman or a sick or infirm.

धारा 439 द0प्र0सं0

उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी अपराधी को बंध-पत्र पर मुक्त कर सकता है पर धारा 437(3) द0प्र0सं0 की शर्त्तें लगायी जा सकती है ।

धारा 438 द0प्र0सं0

अभियुक्त गिरफ्तारी के पूर्व भी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत ले सकता है ।

बंदी अधिनियम 1990

धारा 31(क)- जिला पौरोल परिषद् का गठन किया जायेगा ।

बंदी को उसे पैरोल पर (न भागने के विश्वास देने पर) शर्त या बिना शर्त मुक्त किया जा सकता है यदि वह एक वर्ष तक कारावास में रहा हो, उसका व्यवहार अच्छा रहा हो और मुक्त करने पर उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं हो । पैरोल पर पहली मुक्ति के बाद दूसरी बार छः माह बितने पर पैरोल मुक्त किया जायेगा पर तीन बार से अधिक पैरोल पर नहीं मुक्त किया जा सकता । सूची में अंकित अपराध को तीन बार कारित करने वाले या अव्यस्थ्य अपराधी को पैरोल पर मुक्त नहीं किया जा सकता है धारा 31(ख) ।

बंदी (कोर्ट के समक्ष उपस्थिति) अधिनियम 1955

न्यायालय के आदेश पर बंदी को उपस्थित न्यायालय के समक्ष किया जायेगा सरकार द्वारा ऐसी उपस्थिति से मुक्त नहीं रखा गया हो ।

Section 439 Cr. P.C.

High Court or Court of Session may release an accusd imposing conditions specified in sub-section 3 of Section 437 Cr. P.C.

Section 438 Cr.P.C.

A person apprehending arrest may apply to High Court or Court of Session for direction for grant of bail (Anticipatory bail).

The prisioners Act, 1990

Section 31(a)- A District Parole Board shall be constituted.

A prisioner may be released on Parole on condition or without condition if he

has served a period of one year, his conduct has been good, there is no probability to commit crime on Parole, for second time may not be released before lapse of six month of first release on Parole. (Sec. 31(B) on Parole may not be released who has committed an offence three times or more as specified in the schedule or who is habitual offender.

The Prisioners (Attendance in Courts) Act, 1955

On order of a Court a prisioner shall be produced before the court unless exempted by the government.

बंदी अधिनियम 1894

इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी बंदी, सजायफ्ता बंदी या दिवानी बंदी के संबंध में प्रावधान बनाये गये है जिनमें उनके स्वास्थ्य या रोजगार की सजा या इच्छानुसार रोजगार मृत्यु पर सूचना उपलब्ध कराना, उपर्युक्त बंदी को अलग-अलग एकान्तवास में रखना और 24 घंटे में चिकित्सक के पास एक बार ले जाना, दिवानी बंदी को निजी स्वयं भरण-पोषण, भोजन की अनुमति, बंदी के पास आगन्तुक को जाने की अनुमति, बंदीगृह में अपराध करने पर अधीक्षक द्वारा उसकी जाँच करने एवं सजा देने का अधिकार और चिकित्सक द्वारा भोजन की जाँच करना, कोड़े मारने की सजा के पूर्व एवं बाद में भी चिकित्सक द्वारा जाँच की व्यवस्था की गयी है ।

राजस्व व अचल सम्पत्ति से संबंधित कुछ खास प्रावधान

शहरी भूमि (हदबंदी एवं नियमन) अधिनियम 1976

इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति खाली जमीन शहरी पिंड (क्षेत्र) में पाँच सौ स्क्वायर मीटर सूची I के (क) II में उल्लिखित, एक हजार वर्ग मीटर सूची I के (ग) में उल्लिखित तथा दो हजार वर्ग मीटर सूची I के (घ) में उल्लिखित से ज्यादा जमीन धारित करने का अधिकार नहीं होगा । अगर दो या अधिक श्रेणी की भूमि धारित करता है तो शहरी पिंड (क्षेत्र) में क, ख, ग एवं घ में क्रमशः दो, तीन, चार वर्गमीटर के बराबर समझा जायेगा । उसी तरह क्रमिक वृद्धि रूप में

The Prisioners Act, 1894

Under this Act provision regarding criminal prisioner, convicted prisioner or Civil Prisioner,health,employment punishment or of his own wish, information about prision death, to keep separately the prisioners of the above category, on solitary confinement be produced once before a medical officer in 24 hours, private prisioner maintenance and his food own arrangement after test, prision offence and its enquiry by the superintendent and giving punishment as prescribed, test by the medical officer on whipping etc. concerning provisions have been made in this Act.

Some Laws relating to revenue and property.

The Urban land (Ceiling and Regulation) Act, 1976

According to this Act no body shall hold vacant land in urban agglomeration more than 500 Sq. meter as specified in schedule I(a), 1000 Sq meter as specified in schedule I(b), 1500 Sq. meter as specified in schedule I(c) and 2000 Sq. meter. If any body holds vacant land of two or more categories, the vacant land in rban agglomeration will be equal to two, three, four sq. meter respectively. Similarly in incremental manner land will be reckoned of other category. One sq. meter vancat land of A category in B Urban agglomeration will be 2 sq. meter, C category will be 4 sq. meter

अन्य श्रेणी में समझा जायेगा से ज्यादा जमीन धारण नहीं करेगा । एक स्क्वायर मीटर खाली जमीन ख श्रेणी की शहरी पिंड (क्षेत्र) में जो श्रेणी ग में होगी वह डेढ़ स्क्वायर मीटर, ग श्रेणी की दो स्क्वायर मीटर, ङ में तथा एक स्क्वायर मीटर खाली जमीन ग श्रेणी की ङ श्रेणी में शहरी पिंड में 1/3 समझा जायेगा ।

खाली जमीन से मतलब है वह जमीन जो मुख्यतः कृषि भूमि के रूप में नहीं इस्तेमाल होता है और वह शहरी पिंड (श्रोत) में है तथा वह शामिल नहीं है जिस पर भवन निर्माण भवन नियम के अनुसार नहीं किया जा सकता है और भवन निर्माण नियम लागू है या निर्माण अधिनियम के लागू होने के पूर्व ही किया गया हो ।

शहरी भूमि का तात्पर्य है वह जमीन जो शहरी पिंड (क्षेत्र) में मास्टर प्लान में दिखाया गया है या मास्टर प्लान में नहीं है तो म्यूनिसिप्लिटी या अधिसूचित क्षेत्र या शहरी कमिटि, या कैटोन्मेट या पंचायत क्षेत्र में हो पर केवल कृषि भूमि के रूप में उपयोग में है तो नहीं आता ।

इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद खाली जमीन जो अधिकतम सीमा से अधिक थी और उस जमीन का अन्तरण किसी प्रकार कर दिया गया है तो उनका चयन पश्चात् वह अन्तरण शून्य समझा जायेगा ।

खाली जमीन जब अधिकतम सीमा से अधिक धारण करता है तो उसे उसकी घोषणा विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी के समक्ष देना होगा ।

B category will be 1½ sq. meter, C category in U.A of D 1/3 sq. meter.

Vacant land means land not being land mainly used for the purpose of agriculture in an urban agglomeration but does not include land on which construction of a building is not permissible under the building regulations or building constructed before enforcement of the Act.

Urban land means any land situated within the limits of an urban agglomeration and as referred in master plan and if not in master plan, situated within local limit of municipality, a notified area committee, town cantonment board or a panchayat and entered in revenue record except agricultural land.

After commencement of the Act any person holding vacant land excess to ceiling limit transfers land, the said transfer on selection shall be deemed to be null and void.

Every person who holds land in excess of ceiling limit shall have to file statement in a prescribed format before the competent Authority.

खाली जमीन जो अधिकतम सीमा से अधिक है का अर्जन सरकार द्वारा कर ली जायेगी और सूचना देने पर दावा किया जा सकता है जो सक्षम पदाधिकारी के पास करना होगा ताकि भुगतान किया जा सके । इसके विरूद्व अधिकरण के समक्ष और अपील भी किया जा सकेगा ।

सरकार अधिकतम सीमा से अधिक की जमीन को अर्जन के पश्चात् आवंटन कर सकेगी ।

इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत जो घोषणा करनी है का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की कारावास या पाँच हजार रूपये का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है । फिर भी घोषणा नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन पाँच सौ रूपये का जुर्माना देना होगा ।

यदि घोषणा गलत देता है तो दो वर्ष तक के कारावास की सजा या एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है ।

कम्पनी द्वारा उल्लंघन पर भी सजा मिलेगी ।

न्यायालय लिखित शिकायत-पत्र सक्षम पदाधिकारी या अधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल करने पर ही संज्ञान लेगा ।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950

इस अधिनियम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर घोषणा की गयी है कि स्वत्वधारी या भूधारक की सम्पदा या भूधृति सरकार में निहित हो गयी ।

Vacant land in excess of ceiling limit shall be acquired by the Government and on notice by notification, claim may be made before a competent Authority for payment against acquisition and an appeal may be preferred against acquisition.

The government may allot the vacant land acquired found more than ceiling limit.

If any one violates the provision of the Act regarding filing of statement shall be punished with imprisonment which may extend to two years or fine upto five thousand or both. If thereafter fails to file statement, he will have to pay fine of Rs. 500/- per day.

If false statement is filed, for this punishment which may extend to two years or fine of Rs. 1000/- or both may be awarded.

On violation by company, it shall also be lable to punishment.

No Court shall take cognizance of an offence unless written complaint is filed by the competent Authority or authorised person.

The Bihar Land Reforms Act, 1950

The Government by notification declares that the estates or tenures of a proprietor or tenure holder passes to and becomes vested in the State.

सम्पदा लगान वाले हो या बेलगान सभी सरकार में निहित हो गयी । जिसका परिणाम यह होता है सरकार स्वामी का स्थान ले लेती है एवं सरकार में बिना भार सभी हित निहित हो जाता है और उसका उपभोग करने का धारक का अधिकार पूर्ववत रहता है । (धारा 3 एवं 4) । पर वह रैयत समझा जायेगा ।

मध्यवर्ती के लिए व कुछ अन्य मामलों में मुआवजा का प्रावधान भी किया गया है ।

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885

जागीर (सम्पदा) - से अभिप्राय है वह भूमि जो राजस्व प्रदायी या राजस्व मुक्त भूमि के संबंध में सामान्य रजिस्टर की एक ही प्रविष्टि में दर्ज हो ।इसमें सरकारी खास महाल और राजस्व मुक्त ऐसी जमीन भी है जो किसी रजिस्टर में प्रविष्ट न हो ।

काश्तकार - से अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरे के अधीन भूमि धारण करता है ।

स्वत्वधारी- वह व्यक्ति जो स्वयं के लिए या न्यास के रूप में जागीर का स्वामित्व धारण करता हो ।

लगान- से अर्थ है काश्तकार द्वारा धारित भूमि के उपयोग के बदले में स्वामी को विधिवत दिया जाने वाला नकद या जिन्स ।

The estate may be revenue paying or revenue free and its consequeses is vesting absolutely in the State fee from all incumbrances, (Section 3 & 4) and the holder will be deemed tenant.

For intermediary and in some other case compensation shall be paid.

The Bihar Tenancy Act, 1885

Estate means land under one entry in any one of the general registers of revenue paying or revenue free lands and includes Govt. khas mahal and revenue free land not entered in any register.

Tenant- means a person who holds land under another person.

Proprietor- Aperson owing, whether in trust or for his own benefit, an estate or a part of an estate.

Rent- means whatever is lawfully payable or deliverable in money or kind by a tenant to his landlord on account of use or occupation of the land.

जोत- से अर्थ है रैयत द्वारा धारित वैसे भूमि का कोई खण्ड एक अलग काश्तकारी का विषय हो ।

अधिभोगी रैयत

जो लगातार बारह वर्षो तक रैयत के रूप में या पट्टा पर या अन्यथा जमीन को धारण किया है वह प्रत्येक व्यक्ति उक्त अवधि के बीतने पर अधिभोगी रैयत समझा जायेगा । वह बन्दोबस्त रैयत का अधिकार प्राप्त कर लेगा ।

अनधिभोगी रैयत-
जो रैयत अधिभोगी रैयत नहीं है और उसे जमीन धारण करने दिया जाता है तो वह स्वामी को, दोनों के बीच में समझौता के अनुसार, लगान का भुगतान करेगा ।

स्वामी और दररैयत के बीच यदि कब्जा संबंधित या अन्य विवाद उत्पन्न होता है तो दररैयत गैर कानूनी ढंग से बेदखल नहीं किया जायेगा । दररैयत को गैर कानूनी ढंग से बेदखल किये जाने पर पुनः कब्जा पाने का अधिकार होगा ।

दररैयत, जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, के दररैयत के अधिकार के विषय के संबंध में डिक्री या आदेश, उससे संबंधित लगान वसूल के अतिरिक्त, पारित नहीं किया जायेगा ।

राज्य सरकार खतियान केा तैयार करने का आदेश देगी जिसके प्रकाशन के विरूद्ध पुनरीक्षण एवं अपील दाखिल किया जा सकता है । खतियान में पूर्ण विवरण होगा ।

Holding- means a parcel or parcels of land held by a raiyat and forming the subject of a separate tenancy.

Occupancy- Raiyats
Every person who has continuously holds land as raiyat in a village for twelve year on lease or otherwise shall be deemed to have become a settled raiyat.

Non- Occupancy Raiyats
When a non-occupancy raiyat is admitted to the occupation of land he shall become laible to pay such rent as may be agreed on between himself and his land lord at the time of his admission.

Under raiyat will not be ejected unlawfully from the land in case of

dispute over possession or any other kind of dispute when crops up and if ejected, possession may be restored.

No decree or order shall be passed for sale of the right of under raiyat who is a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe except for an arrear of rent which has accrued in respect of tenancy.

The State Government may order for preparation of record of rights and on its final publication revision or appeal against it may be filed.

बिहार रैयत भूखण्ड (अभिलेख रखाव) अधिनियम 1973

इस अधिनियम के अन्तर्गत अंचलाधिकारी का कार्य क्रमिक खतियान, रैयत बही तथा ग्राम का नक्शा तैयार करवाना एवं उसका रख-रखाव करना है ।

किसी भी बिक्री या सम्पत्ति अन्तरण पर निबंधन पदाधिकारी द्वारा सूचना अंचलाधिकारी को देनी है ।

न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय, सर्टिफिकेट पदाधिकारी या जिलाधिकारी अन्य पदाधिकारी द्वारा सम्पत्ति पर कब्जा परिवर्त्तन के संबंध में भी अंचलाधिकारी को सूचना देनी है ।

नामान्तरण (दाखिल खारीज) के मामले में अंचलाधिकारी सूचना पाने के बाद सार्वजनिक सूचना निर्गत कर प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जमीन के संबंध दाखिल खारीज का आदेश देगा ।

लैण्ड रिर्फाम्स डिप्टी कलक्टर के यहाँ अपील, कलक्टर के यहाँ रिविजन दाखिल होगा । प्रमण्डल के कमिश्नर द्वारा दाखिल खारीज आदेश के बाद अभिलेख को मंगा कर अधिनियम में दिये गये आधारों पर आदेश पारित कर सकेगा ।

शहरी क्षेत्र में दाखिल खारीज

पटना नगर निगम या नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र के गृह के संबंध में विधि के अन्तर्गत असेसमेंट रजिस्टर तैयार करने की व्यवस्था है तथा इसके द्वारा गृह स्वामी को कर निर्धारण के

(The) Bihar Tenants' Holding (Maintenance of Records) Act 1973

Anchal Adhikari has to prepare and maintain continuous khatian, tenant's ledger register and village map.

Registering Authority has to give notice of sale or any kind of tranfer of land or transaction to the Anchaladhikari.

On Court decree, certificate officer, Collector and other officers have to give notice to Anchaladhikari on change/ delivery of possession of land.

Anchaladhikari on receipt of notice shall issue general notice and on report may order for mutation.

An appeal to Land Reforms deputy Collector, revision before the Collector will be filed and Divisional Commissioner may call for the records and may pass order on the certain grounds as provided in the Act.

Mutation of a holding

Under Patna Municipal corporation Act or Municipality or Notified Area assessment register in connection with a holding is prepared and maintained and tax payable is assessed. On amendment, alteration or division of a holding fresh

आधार पर गृह टैक्स का भुगतान करना होता है । संशोधन, परिवर्त्तन या विभाजन के आधार भी गृह के संबंध में नामांतरण करते हुए गृह टैक्स का अलग-अलग निर्धारण किया जाता है ।

शहर- 130	पंचायत की संख्या- 8463	पंचायत समिति का सदस्य- 11622
प्रमंडल- 09	पंचायत समिति- 531	जिला परिषद 383 उसके सदस्य- 1162
	नगर पंचायत- 85	

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006

त्रिस्तरीय पंचायती राज्य यथा जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत स्तर पर शासन की व्यवस्था है ।

यह अधिनियम सम्पूर्ण बिहार में लागू होगा केवल बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल अधिनियम 1922, पटना नगर निगम अधिनियम 1951 या कैन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 जहाँ लागू है के क्षेत्रों को छोड़कर

<u>परिषाएँ</u>

2(ग) प्रखण्ड- किसी जिला का वह स्थानीय क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार प्रखण्ड के रूप में गठित करें ।

2(ड) ग्राम सभा - ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ।

assessment of a holding is made and the name is mutated.

Bihar Panchayat Raj Act, 2006

Three tier Panchayat Raj Naemely Zila Parishad, Panchayat Samiti & Gram Panchayat has been provided.

It extends to the whole of the State of Bihar excepting the areas to which the provisions of the Patna Municipal Corporation Act 1951, Bihar & Orissa Municipal Act 1922 or Cantonment Act, 1924 apply.

Definitions

Block- Such local area in a district as the State Government may constitute to be a block.

2(m) Gram Sabha - A body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of the Panchayat at the village level.

2(द) ग्राम कचहरी - धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ग्राम कचहरी

2(थ) ग्राम पंचायत का सदस्य- से अभिप्रेत है उस पंचायत का निर्वाचित सदस्य

2(द) मुखिया- किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया

2(फ) ग्राम कचहरी का पंच- ग्राम कचहरी का निर्वाचित पंच ।

2(ब) पंचायत- ग्रामीण क्षेत्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 243(ख) के अधीन गठित स्वशासी संस्था

2(म) पंचायत समिति- इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड के लिए गठित पंचायत समिति ।

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत की संरचना में निर्वाचित मुखिया तथा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उतने सदस्य जितनी संख्या जिला दण्डाधिकारी निर्धारित करें और प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र की 500 या निकटतम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा । यह ग्राम पंचायत पाँच वर्ष के लिए होगी जबतक कि भंग न हो । ग्राम पंचायत की दो महीनें में एक बैठक होगी ।

ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य

वार्षिक योजना तैयार करना, लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना कृषि संबंधी कार्य, बंजर भूमि विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्यपालन विकास, वृक्षारोपण, खादी एवं

2(n) Gram Katchaery- A Gram Katchery established under sub-section (i) of section 90 of the Act.

2(q) Member of Gram Panchayat- means an elected member of that Panchayat.

2(r) Mukhia- Means a Mukhia of Gram Panchayat elected of that Panchayat.

2(v) Panch of a Gram Katchery- An elected Panch of that Katechery.

2(w) Panchayat- An institution of self government constituted u/A 243B of the Constitution of India.

2(y) Panchayat Samiti- A Panchayat Samiti Constituted for every block under the Act.

Gram Panchayat

Composition of Gram Panchayat will be the Elected Mukhia and such number of directly elected members as may be notified by the D.M. and each of such members representing as nearly as possible a population of five hundred of the Panchayat Area. Its duration shall continue for five years unless disolved and meet of least once in two months.

Main functions of Gram Panchayat

Preparation of annual plan Removal of enchroachment from public properties, Agriculature extension, Development of waste land, Animal Husbandry, Dairy, Poultry, Fisheries development, planting promotion of rural khadi and cottage

कुटीर उद्योग, ग्रामीण गृह निर्माण, पेयजल, सड़क, भवन, पुलिया, सेतु, जलमार्ग विद्युतीकरण, उर्जा स्त्रोत, गरीबी उपशमन, शिक्षा, बाजार, मेले, धर्मशालाओं, छात्रावास, पार्क, खेलकूद मैदान झोपड़ी, शेड निर्माण वगैरह

पंचायत समिति

प्रत्येक प्रखण्ड के लिए एक पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य, उस क्षेत्र के लोक सभा एवं राज्य सभा के सदस्य राज्य सभा एवं विधान परिषद के सदस्य जो क्षेत्र के हो एवं क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत के मुखिया से होगा तथा कार्य-काल पाँच वर्ष का होगा । निर्वाचित सदस्य में से एक प्रमुख एवं एक उप-प्रमुख होंगे । निर्वाचित सदस्य लगभग 5000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे । पंचायत समिति के भी लगभग वहीं कार्य होगा जेा ग्राम पंचायत के है एवं जिला परिषद द्वारा सौपा गया कार्य होगा । दो महीना में एक बैठक होगी । इसका क्षेत्राधिकार पूरे प्रखण्ड पर होगा ।

जिला परिषद

प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद होगी । जिला परिषद का गठन जिला के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्य, सभी पंचायत समिति के प्रमुख, लोक सभा, राज्य सभा के सदस्य जो जिला का प्रतिनिधित्व करते हों से मिलकर होगा । लगातार प्रति 50,000 की जनसंख्या के लिए एक सदस्य सीधे निर्वाचन से चुने जायेंगे । इसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी । परिषद की बैठक कम से कम तीन महीने में एक बार होगी ।

Industries Drinking water Roads, building, Culverts, bridges, waterways Rural electrification Energy sources proverty alleviation Education Markets and Fairs regulation construction and maintenance of Dharamshal, Hostel, Park, Play grounds, construction of sheds, etc.

Panchayat Samiti

For every block there shall be a Panchayat Samiti having jurisdiction over entire block and it shall consist of directly elected member, representing about 5000 people, members of Lok Sabha, Legislative assembly, members of Rajya Sabha, State legislative council registered as electors within the panchyat Samiti area and all the Mukhias of the area of Samit. Out of elected members there shall be one Pramukh and one Up-Pramukh and will continue for five years and its function

would be the same as allocated to Gram Sabha by the Government and Zila Parishad. Meeting will be convened once in two months

Zila Parishad

For every district there shall be a Zila Parishad. Zila Parishad shall consist of:
The members directly elected from territorial constituencies of the district, the Pramukhs of all Panchayat Samitis in the District, members of the Lok Sabha, State Legislative Assembly represent covering the area of the constituencies of the district also members of Rajya Sabha and Legislative Council registered as electors within the district. Its duration will be for five years and elected members will represent about 50,000 of population and will hold meeting once in three months.
इनके कार्य भी वही होंगे जैसे ग्राम सभा के हैं ।

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

1951 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति की संख्या 2 करोड़ थी, 1991 में 5.7 करोड़ और 2001 में 7.6 करोड़ हो गयी । जीवन प्रत्याशा 1947 में 29 वर्ष थी अब लगभग 63 वर्ष के नजदीक है ।

संतान

में पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है पर अवयस्क नहीं ।

भरण-पोषण-में भोजन, कपड़े, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज के लिए व्यवस्था सम्मिलित है ।

संबंधी- से तात्पर्य संतानहीन वरिष्ठ नागरिक के कोई विधिक उत्तराधिकारी से है जो अव्यस्क नहीं है और जिसे वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति या व्यवसाय उत्तराधिकार में प्राप्त होगा ।

वरिष्ठ नागरिक- का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक है और साठ वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर लिया है ।

अधिकरण- से तात्पर्य धारा 7 के अन्तर्गत गठित भरण-पोषण अधिकरण है ।

कल्याण से तात्पर्य है भोजन, स्वास्थ्य देख-रेख, मनोरंजन केन्द्र एवं वरिष्ठ नागरिक के लिए अन्य आवश्यक सुविधा की व्यवस्था करना ।
Function will be the same that of Gram sabha.

The Maintenance and welfare of parents and senior Citizens Act, 2007

In 1951 number of older persons was 2 crore above 60 years old, in 1991 5.7 crore and in 2001 it has become 7.6 crore and life expectancy in 1947 was 29 years and now about 63 years.

Children

Includes son, daughter, grandson and grand daughter but does not include a minor.

Maintenance includes provision for food, clothing, residence and medical attendance and treatment.

Relative- means a legal heir of the childless senior citizen who is not a minor and is in possession of or would inherit his property after his death.

Senior citizen- means a person, being a citizen of India, who has attained the age of sixty years or above.

Tribunal- means the maintenance tribunal constituted u/s 7.

Welfare means provison for food, health care, recreation centres and other amenties for the senior citizens.

धारा- 4 के अन्तर्गत माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, धारा 5 के अनुसार संतान के विरूद्ध भरण-पोषण हेतु आवेदन दे सकते हैं । आवेदक के संतानहीन होने की अवस्था में संबंधी के विरूद्ध, जो सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होगें, आवेदन दे सकते है ।

अधिकरण स्वयः संज्ञान ले सकता है ।
धारा 6 के अर्न्तगत जिला में अधिकरण के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है । राज्य सरकार अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से छः मास की अवधि के भीतर एक या अधिक अधिकरण का गठन करेगी।

धारा 9 के अन्तर्गत अधिकरण संतुष्ट होने पर भरण-पोषण का आदेश पारित करेगा या आवेदन को अस्वीकृत करेगा । आदेश में परिवर्त्तन भी किया जा सकता है ।

धारा 13 के अनुसार अधिकरण भरण-पोषण की राशि को निक्षेप (जमा) करने का आदेश दे सकता है । ब्याज के लिए भी आदेश दे सकता है (धारा 14) ।

अपील अधिकरण का गठन प्रत्येक जिला के लिए होगा (धारा 15) । 60 दिनों में अपील किया जा सकेगा ।

अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष विधि व्यवसायी द्वारा पक्षकार का प्रतिनिधित्व नहीं किया जायेगा । (धारा 17) पर भरण-पोषण अधिकारी प्रतिनिधित्व करेगा (धारा 18) ।

राज्य सरकार प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था गृह की स्थापना

Under section 4 parents and senior citizens who are unable to maintain them selves can apply u/s 5 for maintenance against children and in case of childless against the relatives who will be entitled to inherit the property and parents shall be entitled even having no property.

Tribunal may take cognizance suo-motu.

Under section 6 an application may be filed before tribunal in the district.

U/s 6 State Government shall constitute tribunal in each sub-division or more.

U/s 9 Tribunal may pass order for maintenance or order of refusal on being satisfied. Order may be altered.

U/s 13 Tribunal may order to deposit the amount of maintenance. A tribunal may order for interest.

The State Government may constitue Appellate Tribunal. (sec. 15) An appeal may be filed within 60 days.

No. party to a proceeding shall be represented by a legal practitioner (Sec. 17)
But the parents shall be represented by the maintenance officer.

करेगी । जिसमें 150 वरिष्ठ नागरिकों, जो अकिंचन हैं, का समायोग किया जा सकेगा (धारा 19) ।

राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित करेगी । (धारा 20)

राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रचार-प्रसार के लिए उपाय करेगी (धारा 21) ।

यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात वरिष्ठ नागरिक द्वारा सम्पत्ति का शर्त्त के साथ दान या अंतरण किया जाता है और अंतरिती सुविधाओं को प्रदान करने से इन्कार करता है तो अधिकरण अंतरण शून्य घोषित कर सकेगा । (धारा 23)

यदि कोई वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करता है तो उसे तीन मास तक का कारावास या पाँच हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है । (धारा 24) इसका विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा (धारा 25) ।

बिहार भूमि सुधार (सीमा निर्धारण, क्षेत्र तथा अतिरिक्त भू अर्जन) अधिनियम, 1961

परिवार का अर्थ है व्यक्ति, उसकी पत्नी या उसका पति और अव्यस्क संताने ।

भूमि से तात्पर्य है भूमि जो कृषि, बागवानी, बगीचा या चारागाह, वन के रूप में प्रयुक्त किये जाने योग्य हो या भूमि जो पानी में हो ।

एक परिवार जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं है, के लिए भूमि धारण करने की अधितम सीमा है:
The State government may establish and maintain old age homes one in each district to accomodate 150 senior citizens who are indegent. (sec. 19)

The State government shall ensure medical support for senior citizens. (sec. 20).

The State government shall ensure/ take all measure for publicity. (Sec. 21)

If a senior citizen gift or transfer property with condition and the transferee refuses or fails to provide ameneties the said transfer may be declared void. by tribunal. (Sec. 23)

If any one abandone a senior citizen shall be liable for punishment up to three months or tine which may exetend to five thousand rupees. (Sec.24). A magistrate shall try.

The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling area and Acquisition of surplus Land) Act, 1961

Family means person, his or her spouse and minor children.

Land means land which is used or capable of being used for agriculture or horticulture, orchard, Pasturage or forest or land submerged under water.

For one family consisting of not more than five members shall have right to possess land as prescribed hereunder:

(क) पन्द्रह एकड़ (6.0705 हेक्टेयर) सरकार नियन्त्रित ट्यूवेल, नहर आदि से सिंचित भूमि या सिंचन योग्य भूमि ।

(ख) अठारह एकड़ (7.2846 हेक्टेयर) भूमि जिसकी सिंचाई निजी ट्यूवेल आदि से की जाती है ।

(ग) पच्चीस एकड़ (10.1175 हेक्टेयर) भूमि जो केवल एक मौसम के लिए परिश्रम से सिंचित की जाती है ।

(घ) तीस एकड़ (12.141 हेक्टेयर) भूमि जो बागवानी या बागीचा के रूप में व्यवहार किया जाता है ।

(ङ) साढ़े सैंतीस एकड़ (15.368 हेक्टेयर) दियारा या चौर भूमि ।

(च) पैंतालिस एकड़ (18.211 हेक्टेयर) पहाड़ी, बालुआही, वन की भूमि या ऐसी भूमि जिसके धान, सही या नकद जिन्स पैदा होता हो ।

सार्वजनिक सूचना द्वारा भूधारक को रिर्टन दाखिल करने को कहा जा सकता है ।

अतिरिक्त जमीन को राज्य सरकार सार्वजनिक उद्धेश्यों के लिए अर्जित कर सकेगी पर सरकार उसके लिए मुआवजा देगी ।

बिहार ऋणदाता अधिनियम 1974

इस अधिनियम के अन्तर्गत ऋणदाता का पंजी अंचलाधिकारी या अन्य नियुक्त पदाधिकारी रखेंगे । ऋणदाता का निबंधन आवश्यक है

(a) Fifteen acres (6.0705 hectares) of land irrigatd or capable of being irrigated by flow irrigation work or tube wells or lift irrigation controlled by central or state government.

(b) Eighteen acres (7.2846 hectares) land irrigated by private lift irrigation, tube-well or diesel/ electic power.

(c) Twenty five acres (10.1175 hectares) land irrigated by work for only one season .

(d) Thirty acres (12.141 hectares) land which is an orchard or used for any other horticultural.

(e) Thirty seven and half acre (15.368 Hectares) land of Diara or Chaur.

(f) Forty five acres (18.211 hectares) of hilly, sandy, forest land or yields no paddy, rahi, cash crops.

By public notice certain land holders may be asked to submit return.

The State government shall acquire surplus land for public purpose for which the government shall pay compensation.

Bihar Money lendors Act 1974

Under this Act Anchal Adhikari or such officer appointed shall maintain register of money lender. Registration of money

अन्यथा उनका ऋण देना विधि विरूद्ध होगा ।
सुरक्षित ऋण के विरूद्ध 12% प्रतिशत से अधिक सालाना सूद नहीं वसूला जायेगा चाहे संविदा में ही क्यों न हो । असुरक्षित ऋण के लिए सालाना सूद 15% प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । सूद (ब्याज) दो गुना होगा यदि नकद रूप में लिया गया है और वस्तु रूप में डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा ।

दखली रेहन, जो कृषि भूमि की की जाती है, के मामले में 7 वर्ष पूरा होने पर धारा 12 के अन्तर्गत मुख्य ऋण एवं अन्य बकाया जो उससे संबंधित है अदा किया गया समझा जायेगा और भूमि की वापसी हो जायेगी ।

यदि ऋणदाता रूपया अदा करने की रसीद नहीं देता है तो ऋणग्राही उसे न्यायालय में जमाकर सकता है ।
अपील एल.आर.डी.सी. के यहाँ दाखिल होगा ।

निबंधन अधिनियम 1908

धारा 17 के अनुसार अचल सम्पत्ति का दान या ऐसा कोई विलेख (दस्तावेज) जिसके द्वारा स्थावर (अचल) सम्पत्ति के संबंध में निहित हित, स्वत्व या किसी प्रकार अधिकार उसमें उत्पन्न, अन्तरित, समाहित या निर्दिष्ट करता हो और अचल सम्पत्ति का मूल्य 100/-रूपये या अधिक का हो या ऐसी सम्पत्ति के संबंध में उपर्युक्त अनुसार किये गये कार्य के पश्चात् भुगतान प्राप्ति दस्तावेज या एक वर्ष से अधिक के पट्टे या
lender will be necessary without which it shall not be lawful for lending money.

No interest more than 12% percent per annum shall be recovered on secured loan even if in contract so agreed and 15% percent per annum on unsecured loan.
If in cash is realised the same will not be more than double amount and in kind will not be more than one and half.

In respect of usufructuary mortgage relating to agriculture land on expiry of seven years the principal amount and all dues shall be deemed to have been satisfied.

If on repayment of Loan money lender does not grant receipt, the loanee may deposit in the court.

An appeal may be filed before LRDC.

The Registration Act, 1908

Under Section 17 registration of gift of immovalble property, other non testamentary instrument which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish any right, interest, title, of the value of one hundred rupees or upwards to or in immovable property or non testamentary instraments which acknowledge the receipt or payment, limitation or extinction of any such right, title or interest or leases of immovable property from year to year or reserving a yearly rent or non testament-

किराया सुरक्षित रखने का दस्तावेज का निबंधन आवश्यक होगा तथा न्यायालय एवार्ड या डिक्री के द्वारा भी अचल सम्पत्ति में उपर्युक्त हित, अधिकार या स्वत्व उत्पन्न करता है तो उसका निबंधन भी आवश्यक होगा ।

वर्ष 2001 में निबंधन अधिनियम में किये गये संशोधन के बाद उस दस्तावेज का भी निबंधन आवश्यक है जिसके द्वारा धारा 53-ए, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार अचल सम्पत्ति के अन्तरण का करार किया गया है ।

दस्तावेज का निबंधन उसके निष्पादित होने के चार माह के अन्दर कराने के लिए निबंधन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है (धारा 23) अन्यथा स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

यदि किसी दस्तावेज का निबंधन आवश्यक है और निबंधन हो चुका है पर वह निबंधन हेतु वैसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया हो जो अधिकार नहीं रखता है या प्राधिकृत नहीं था तो दस्तावेज मान्य नहीं होगा और पुनः उसी व्यक्ति के नाम निबंधन संतुष्ट होने पर कर दिया जायेगा (धारा 23क) यदि जानकारी के चार माह के अन्दर दावा किया जाता है ।

नये प्रावधान धारा 32(क) के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला तथा खरीदार अपना-अपना छायाचित्र और अंगुलियों के निशान दस्तावेज पर लगायेगा ।

-ary instruments transferring or assigning any decree or order or any award by which purport or operate to create, declare, assign or extinguish of the value of one hundred rupees or upwards shall be compulsorily registrable.

The documents containing contracts to transfer for consideration any immovable property for the purpose of sec. 53-A of the transfer of property Act shall be registered if they have been executed on or after the commencement of the Registration (Amendment) Act, 2001.

A documnet on its execution shall be accepted unless presented within four months. (sec. 23)

जिलाधिकारी धारा 5 के अन्तर्गत सुनवाई करेगा तथा धारा 6 के अन्तर्गत अन्तिम आदेश पारित करेगा ।

If any document has been registered of which registration is compulsory but not presented by duly authorised person or person competent for it may be registered on claim being made within four months from the date of knowledge (Sec. 23-A)

तृतीय लिंग से संबंधित व्यक्ति

सामान्यतः प्रकृति ने दो लिंग पुरूष और नारी बनाया गया है पर प्राकृतिक विरूपता के परिणाम स्वरूप उपर्युक्त दोनों लिंगों का अर्धरूप किसी-किसी व्यक्ति में पाया जाता है । कभी-कभी पूर्ण विकसित नहीं होने के कारण भी पूर्णरूपेण पुरूष या नारी का रूप नहीं हो पाता है । ऐसे ही व्यक्ति को तृतीय लिंग धारी के रूप में समाज पाता है पर उन्हें समाज में उचित दर्जा नहीं मिलता है जो निन्दनीय है । इसमें उस व्यक्ति का अपना कोई दोष नहीं होता है ।

प्रायः ऐसे व्यक्ति को पूर्व में तिस्कार की दृष्टि से या फिर समाज से अलग कर देखा जाता है जबकि कानून सभी के लिए बराबर है । सामान्यतः 15

Under new provision sec. 32-A both the seller and purchaser shall have to affix their photograph and finger prints on the document.

सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम,1956

किसी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने पर जिलाधिकारी द्वारा नोटिस भेज कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी (धारा3)। सार्वजनिक भूमि से अभिप्रायः है वह भूमि जो केन्द्रीय या राज्य सरकार में या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, रेलवे, ग्राम पंचायत में निहित हो या वह भूमि जिस पर आमजन या समुदाय का अधिकार हो । अतिक्रमण से तात्पर्य बिना अधिकार के भूमि पर भवन निर्माण, या कोई निर्माण, झरोखा, छज्जा बनाया हो या निर्माण सामग्री किया हो या अन्य रूप से व्यवहार करना ।

Public Land Encroachment Act, 1956

The Collector may initiate a proceeding causing notice against encroachment upon a public land (Sec. 3). Public land means any land vested in Central or State Government or any local authority recognized educational institution, Railway, Gram Panchayat or any land over which the public or the Community has got right and encroachment means the erection of a building or any structure, Projection, balconies or occupation for stocking building materials etc.

The Collector shall make hearing u/s 5 and shall pass final order u/s 6 of the Act.

मौलिक अधिकार को बिना भेद-भाव के समान रूप से लागू करने की जरूरत है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य को विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिये ।

People Belonging to the third sex

Normally by nature two types of sex are found namely male and female. But due to some deformity third sex takes place which is noticed normally after attaining fifteen years of age by a person and the person is neither male nor female in complete sense and such person is called eunuch, transgender or hijara who are either biologically or psychologically do not exhibit the established traits of either sex. The society does not accept or look at such person with proper respect which is condemnable.

Generally such person finds no social respect and virtually such person is not socially accepted.

ऐसे व्यक्तियों की पहचान निश्चित तृतीय लिंग के रूप में की जानी चाहिए । मातदाता सूची में बदलाव एक संकेत भर है । कमजोर वर्ग की सूची में इन्हें रखा जाना चाहिए ।

सरकार की ओर से भत्ता देना चाहिए। अपनी अलग पहचान के लिए नामांतरण पर विचार न हो ।

परिवार की सम्पत्ति में समान अधिकार मिले ।

वर्ष की उम्र के बाद ही तृतीय लिंगधारी के बारे में स्पष्टतः पता चलता है ।

अभी कुछ बदलाव आया है पर अपेक्षानुसार नहीं । ऐसे वर्ग को वर्गीकृत कर केवल बच्चों के जन्मदिन या अन्य उत्सव पर उनके द्वारा नृत्य-गान या अन्य रूप से इस्तेमाल योग्य समझा जाता है । जबकि सार्वजनिक स्थलों पर उन्हें आज भी बराबर का अधिकार नहीं मिलता है ।

Recently some changes have taken place in the thinking of the society but not up to the mark. Such people are classified and they are treated as merry making people on the occassion of birth of a child or used otherwise on other occassion or platform whereas at public places they do not get equal right/ status similar to other.

ऐसे व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से किसी भी रूप में कम नहीं है । अतएव समान अधिकार पाने के अधिकारी है ।

They are no less than a normal person. So they should be counted with equity as component of civil society.

तृतीय लिंग के लिए अलग कानून बनाने की आवश्यकता है ।

There is need for separate law for TGs (third genders).

Fundamental rights must be enforced equally and the State should make special provision for these TGs keeping in view of Article 29(2) of the Constitution.

Such person should be identified as "Third Gender". Recently change in voter list has been made. These person should be in marginalized group.

Government should provide allowance. The practice of change of name for separate indentity should not take place.

TGs should get equal right in family property.

सरकारी योजनाओं में, जो कमजोर वर्ग के लिए चलाये जाते हैं, इन्हें सुरक्षित अंश मिले ।

सबसे बढ़कर समाज के सोच में परिवर्तन आवश्यक है । उन्हें दूसरे सामान्य लोगों के अनुरूप बराबर का सामाजिक दर्जा दिया जाना चाहिए ।

स्वच्छ व्यवहार दिया जाना चाहिए ।

उन्हें भी अन्य रूप से योग्य समझना चाहिए ।

सबसे बढ़कर हर स्तर पर समाज में जागरूकता आवश्यक है । उनके लिए वर्तमान कानूनी प्रावधानों को समान रूप से लागू करना तथा नये विधि का बनाना जरूरी है ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा

धारा 140 के अन्तर्गत दावा करने पर बिना दोष को विचारे मृत्यु होने पर पचास हजार और स्थायी शारीरिक अयोग्यता पर पच्चीस हजार रूपये मुआवजा स्वरूप दिया जायेगा ।

धारा 166 के अन्तर्गत मृत्यु या शारीरिक या सम्पत्ति की क्षति मोटर वाहन दुर्घटना के कारण होती है तो आवेदन देकर क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकेगा ।

मोटर वाहन दुर्घटना प्राधिकरण धारा 168 या 163ए के अन्तर्गत मुआवजा देने का अधिकार रखता है ।

In Government schemes for marginalized people and other such TGs should be provided certain reserved percentage.

Change in perception of the society is essential. Social dignity at par with other common people should be given.

Fair treatment should be given.

TGs be understood differently abled person.

Moreover awareness in the society at all the levels is necessary, so that present provisions of law may be enforced

equally and new provision should be made for TGs.

Compensation under Motor vehicle Act

Under section 140 on the principle of no fault liability in case of death fifty thousand and on account of permanent disability twenty five thousand shall be awarded by way of compensation.

Under section 166 on death or causing permanent disablement or loss to property on account of motorvehicle accident, compensation may be claimed by filing an application.

Motor vehicle accident claim tribunal will award compensation u/s 168 or 163A

वर्तमान में प्राधिकरण के अस्तित्व में नहीं होने के कारण मुआवजा दावा आवेदन जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल किया जाता है और दुर्घटना एवं वाहन संबंधी जानकारी निर्धारित शुल्क देकर पुलिस पदाधिकारी या जिला परिवहन पदाधिकारी से धारा 160 के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है ।

रेल से दुर्घटना या क्षति होने पर मुआवजा

रेल दुर्घटना से हुई मृत्यु या क्षति या रेल सेवा के कारण सामानों को क्षति या गायब होने पर रेल प्राधिकरण के समक्ष मुआवजा के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिया जा सकता है । पर रेल सेवा में चूक के कारण सामानों को क्षति होने पर पहले इसकी सूचना दावा जताते हुए संबंधित प्राधिकारी को देना चाहिए तब मुआवजा के लिए आवेदन दिया जा सकता है ।

सरकार, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे कुछ योजनाओं की जानकारी

आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का चयन जिला परिषद अपनी सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से करेगी तथा पोषाहार वितरण एवं चिकित्सीय जाँच का कार्य भी उन्हें करना है ।

पंचायत समिति, शहरी क्षेत्र को छोड़कर, उच्च विद्यालयों के वर्ग 7 से 10 तथा ग्राम पंचायत वर्ग 1 से 6 वर्ग के छात्र-छात्राओं, जो विकलांग हैं, का चयन कर छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करती है ।

An application for compensation may be filed in the court of District Judge in absence of claim tribunal and all information regarding vehicle involved may be obtained either from the Police Officer or District Transport Officer on payment of prescribed fee u/s 160.

Claim against railways

In case of death/ injury or damage or loss to property on account of rail accident a claim may be made before the Railways Claim Tribunal and in case of

loss or damage to the property or goods, a notice be first served to the authority concerned before filing claim application before the railways tribunal.

Information regarding some schemes launched by the Government Directorate of Social Security & social Welfare Department

Selection/ Appointment of Anganbadi Sevika and Sahayika by Zila Parishad through its Social Justice Committee will be made and nutritious food and medical test also be made by them.

Panchayat Samiti, except in urban area, on selection provides stipends to students of class 7 to 10 and Gram Panchayat gives stipends to students of class 1 to 6 who are physical disabled.

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना है साथ ही इसका प्रचार-प्रसार भी करना है।

अनुबंध पर शिक्षा मित्रों का चयन पंचायतों द्वारा 11 माह और अधिकतम 33 माह के लिए किया जायेगा ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (क) के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है ।

राष्ट्रीय वृद्धापेंशन- 65 वर्ष या अधिक की उम्र के लोगों को जिनकी वार्षिक आय 5000/- (ग्रामीण में) तथा 5,500/- (शहरी क्षेत्र में) से ज्यादा नहीं है उन्हें 100/- प्रतिमाह अनुग्रह राशि दी जायेगी ।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत यदि परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और परिवार गरीबी रेखा के अन्दर हो तो 10,000/- रूपये अनुदान में दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की गर्भवती महिला को 500/- रू0 एक मुश्त भुगतान प्रसव के 12 से 8 सप्ताह पहले दिया जायेगा पर गर्भवती की उम्र 19 से कम न हो ।

योजना		लाभ
गर्भवती को	-	पोषाहार
डिलवरी के समय	-	1,500/-
पुत्री जन्म पर	-बौण्ड	2,000/-
बच्चों को	-आंगनबाड़ी में पोषहार	

Social Security Pension under three tiers Panchayat Raj is provided and its advertisement is also made.

Shikshamitras will be selected by Panchayat on contract for 11 months and maximum for 33 months.

Under article 21(a) children of the age group of 6-14 have their fundamental right to education.

National old age pension- persons who have attained the age of 65 years or more will get pension Rs. 100/- per month if such person has no income more than

5,000/- per annum (rural area) and 5,500/- (in urban area).

Under National family benefit scheme Rs. 10,000/- is granted on death of head earning member of a family under poverty line.

Under National maternity benefit a pregnant woman of the family of below poverty line will be granted 500/- in one instalment if she is not less than 19 years of age.

Scheme	Benefit
To pregnant	- Nutrition
On Delivery	- 1,500/-
On Girlchild birth-	Bond for 2000/-
To children	- Nutrition at Anganbadi

प्राथमिक शिक्षा - निःशुल्क व पोषाहार
माध्यमिक शिक्षा- साईकिल वास्ते 2500/-
+ पोशाक वास्ते
कक्षा 1-2 -400/-
कक्षा 3-5 -500/- सभी को
कक्षा 6-8 -700/-
कक्षा 9-12-1000/-
केवल छात्रा को
आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को- 250/-
विद्यालय के छात्रों के परिभ्रमण हेतु- 10,000/-
छात्रवृत्ति योजना - कक्षा के अनुसार
आम आदमी बीमा - दुर्घटना में 75 हजार
सामान्य स्थिति में मौत 30 हजार रूपये
बीमारी से बचाव को - 30 हजार रूपये
रोजगार - मनरेगा में 100 दिन काम
राशन - सरकारी दर पर गेहूँ और चावल
इंदिरा आवास - 45 हजार रूपये नकद
भूमिहीन दलितों को - 20 हजार रूपये जमीन
कन्या सुरक्षा - 18 वर्ष में 25 हजार
कन्या विवाह योजना - 5 हजार नकद
राजीव गाँधी ज्योति - एक बल्ब मुफ्त
मृत्यु पर - कबीर अंन्त्येष्टि- 15000/-
वृद्धा पेंशन - 400 रूपये मासिक
विकलांग पेंशन - 200 रूपये मासिक
विधवा पेंशन - 200 रूपये मासिक

एच.आई.वी. तथा एड्स के संबंध में कुछ जानकारी

एच.आई.वी. एक वपयरस है जो एड्स का कारण है । एड्स मनुष्य में बिमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है और धीरे-धीरे यह बिमारी मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती है ।

अर्थात एच.आई.वी. का अर्थ है मनुष्य में बिमारी (विषैला तत्त्व) से लड़ने

Primary education- Free+Nutrition
Middle School Education- For Bicycle 2500/-
+ Dress
Class 1-2 Rs. 400/-
Class 3-5 Rs. 500/- For All
Class 6-8 Rs. 700/-
Class 9-12 Rs. 1000/-
only for girl student

Anganbadi children Rs. 250/-
Travelling allowance to school student- 10,000/-
Stipends scheme- According to class
Generala people Insurance- on accident- 75,000/-
On normal death - 30,000/-
For protection from desease - 30,000/-
Employment under Manrega - 100 days

Ration - On Govt. Price wheat+Rice

For Indra Awas - 45,000/- Cash

Landless Dalit worth - 20,000/- Land

Kanya Suraksha - on attaining 18yrs. 25,000/-

Kanya VivahYojana -Cash 5000/-

Rajiv Gandhi Jyoti- One bulb free

On death - for kabir cremation - 15,000/-

Old age pension- 400/-

To disabled (pension) 200/-

Widow pension - 200/-

Some Information about HIV/AIDS

Human immunodeficiency virus (HIV) is a lentivirus (a member of the retrovirus) that causes acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), a condition in human in which progressive failure of the immune system allows life threatening opportunistic infection.

HIV infection in humans is considered pandemic by the World Health Organiza

की शक्ति की कमी और एड्स का अर्थ है उस कमी को धीरे-धीरे प्राप्त कर लेना जो केवल मनुष्य को अन्जान घटने की प्रतिक्षा करवाता है ।

एच.आई.वी. के आने के चार कारण है जिसकी वजह से आदमी रोगग्रस्त होता है ।

प्रथम- असुरक्षित यौनाचार

द्वितीय- दूषित सूई से खून लेना या देना या सलाइनवाटर (दवायुक्त पानी) का चढ़ाया जाना ।

तृतीय- माता द्वारा जो एच.आई.वी. से रोगग्रस्त है बच्चे को अपना दूघ पीलाना तथा

चतुर्थ- माता जो इस रोग से रोग ग्रस्त है से बच्चे का जन्म होना ।

ऐसी बिमारी पूरे समुदाय या बड़ी तादाद में लोगों को प्रभावित करती है ऐसा विश्व स्वाथ्य संगठन की मान्यता है । ऐसी बिमारी में सुस्ती या लापरवाही दिखाना एक बड़े खतरे को निमंत्रण देना है । जो बिना इलाज के ऐसे व्यक्ति रहते हैं वे अन्जान घटना को बढ़ावा देते है । ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति केवल अन्जान घटना को धीरे-धीरे निमंत्रण देते हैं और शिकार हो जाते है ।

विषैले तत्त्व से लड़ने की शक्ति में ह्रास ही अन्जान घटना की ओर बढ़ाता है और एड्स का शिकार हो जाता है जो 10 वर्षो में कभी-कभी इससे ज्यादा समय में भी इसका पता होता है और बढ़ते हुए शिकार बनाता है ।

tion (WHO). Nevertheless, complamency about HIV may play a key role in HIV risk.

There are four reasons for acquiring the said deficiency:

Firstly- by unsafe sex

Secondly- by using contaminated needle,

Thirdly- by breast feeding by an infected mother

Fourthly- A baby acquired the disease at the time of birth from an infects

Most untreated people infected with HIV-1 eventually develop AIDS. These individuals mostly die from opportunistic infections associated with the progressive failure of the immune system.

HIV progress to AIDS at a variable rate affected by virus within 10 years of HIV infections. Some will have progressed much sooner, and some will take much longer.

इलाज के कारण जीवन अवधि बढ़ती है ।

लक्षण और पहचान

इस रोग से प्रभावित व्यक्ति के रक्त में मौजूद विषैले तत्त्व के स्तर में कमी या बढ़ोतरी के आधार पर पता होता है ।

प्रारंभिक समय में तीव्र रूप से प्रभावित करता है पर छुपा रहता है और विषैले तत्त्व से लड़ने की शक्ति की कमी (एच.आई.वी.) जो एड्स का रूप लेता है और कई सप्ताह तक चलते हुए बुखार, फूली गाँठ, रंगहीन स्त्राव लिए होता है, गले का जख्म, मांसपेशी में दर्द, मुँह में पीड़ा आदि उजागर होता है । छुपा हुआ रहने पर दो सप्ताह से बीस वर्ष तक ऐसा चल सकता है एवं यह व्यक्ति पर निर्भर करता है । एच.आई.वी. की ही अन्तिम सीमा या रूप एड्स है ।

शिक्षण संस्थानों में रैगिंग

शैक्षणिक संस्थानों में लगातार रैगिंग (कष्ट देना) की शिकायत मिल रही थी जो आत्महत्या का कारण भी बन रही थी और इसी वजह से माननीय उच्चतम न्यायालय में विश्व जागृति मिशन द्वारा पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन (सार्वजनिक हित का मुकदमा) दाखिल किया गया और मई 2001 में माननीय न्यायालय द्वारा बहुचर्चित निर्णय दिया गया । उसके बाद डा0 आर0 के0 राधवन की अध्यक्षता में गठित कमिटि द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया फिर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिवानी अपील संख्या 887 वर्ष 2009 केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल में निर्णय दिया गया । उसी के आधार पर

Treatment with antiretrovirals increases the life expectancy of people infected with HIV.

Signs & symptoms

Infection with HIV-1 is associated with a progressive decrease and increase in viral load; the level of HIV in the blood.

The stages of HIV infection are acute infection (also veron as primary infection), tatency and AIDS. Accute infection lasts for several weeks and may include symptoms such as fever, lymphadenopathy (swollen lymph nodes), pharyngilis (sore throuat), rash, myalgia (muscle pain), malaise and

mouth, sore. The latency stage involves few or no symptoms and can last anywhere from two weeks to twenty years or more, depending on the individual AIDS the final stage of HIV infection is defined by low cell counts various opportunistic infections, cancers and other conditions.

Ragging in educational institutions

On repeacted report of ragging in educational institutions led to suicide (death) of students, therefore, PIL (Public Interest Litigation) was filed by the vishwa Jagriti Mission and Hon'ble Supreme Court of India in May 2001 passed a landmark judgement. Then Dr. R. K. Raghavan Committee submitted report. Further hon'ble S.C. in Civil appeal No. 887 of 2009 University of Kerala Vrs. Council passed judgement.

यू. जी. सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा ''यू जी सी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध विनियम 2009 बनाया गया और सभी महाविद्यालयों को रैगिंग रोकने की जिम्मेदारी दी गयी तथा रैगिंग को रोकने के उपाय करने को कहा गया, जैसे नये विद्यार्थी को अलग हॉस्टल में रखना, शपथ पत्र द्वारा वरिष्ठ छात्रों तथा उनके अविभावक द्वारा घोषणा करना कि रैगिंग में लिप्त नहीं होंगे, रात्रि में औचक निरीक्षण करना ।

रैगिंग का अर्थ है किसी विद्यार्थी को केाई करने के लिये उकसाना या मजबूर करना जो किसी मनुष्य के सम्मान को प्रभावित या कम करता है या किसी विधिपूर्ण कार्य करने के दरम्यान हँसी उड़ाना या धमकाना या गलत तरीके से रोकना या बंद करना या जख्म पहुँचाना । ये सभी रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, चाहे कार्य ठिठोली/ हँसी में किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में भूतपूर्व सी.बी.आई. निर्देशक डा0 आर0 के0 राघवन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गयी जिसके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए सिफारिशें की गयी जिसके आधार पर 16-05-2007 अन्तरिम आदेश पारित करते हुए शिक्षण संस्थानों पर यह बाध्यकारी बनाया गया कि किसी भी रैगिंग की शिकायत पर उनके द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी जायेगी ताकि पुलिस औपचारिक रूप से जाँच करेगी । संबंधित संस्थान स्वयं पहले जाँच नहीं करेंगे ।

By UGC (University Grant Commission), on the basis of judgement passed, "UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009" was made. The regulation mandates every college responsibilities to curb the menance of regging including strict pre-emptive measures, like loging freshers in a separate hostel, surprise raids especially at nights by the anti-ragging squad and submission of affidavits by all senior students and their parents taking oath not to indulge in raggaing.

Ragging is defined as causing, inducing, compelling or forcing a student, whether by way of practical joke or otherwise, to do any act which detracts from human dignity or violates his/ her person or exposes him/ her to ridicule from doing any lawful act. By intimidating, wrongfully restraining or confining or injuring or by using criminal force on him/her or by holding out to him/ her any threat of intimadation, wrongful confinement, injury by the use of criminal force. Ragging in all its form is totally banned.

The Ministry of Human Resources Development (MHRD), following the directives by the Hon'ble Supreme Court of India, appointed a seven member panel headed by ex. CBI director Dr. R. K. Raghavan to recommend anti-ragging measures and the Hon'ble Supreme Court of India in its interim order on 16.05.2007 makes it obligatory for academic institutions to file official First Information Report with the Police in any instance of a complaint of ragging. This would ensure that all cases would be formally investigated under criminal justice system, and not by the academic institutions own ad-hoc bodies.

अभी तक केन्द्र द्वारा रैगिंग के संबंध में कोई विधि नहीं बनाया गया है । इन सबके बावजूद रैगिंग पर रोक की गति धीमी है ।

Till the date Central Act has not come. But inspite of these entire curb on the ragging incident is very slow.

लोक अदालत तथा योजनाओं द्वारा लम्बित वादों को घटाने में उनके महत्त्व

न्यायालय में वादों की लम्बित सूची में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए तथा गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने एवं कानूनी सहायता प्रदान करने की कोशिश बहुत दिनों से की जा रही है । पहले गरीब बंदी को सहायता के प्रयास किये गये तत्पश्चात भारत में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 1940 के आस-पास प्रयास किया और 1945 में बाम्बे उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री एच.एन.भगवती की अध्यक्षता में और 1949 में गुजरात तथा कलकत्ता के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हेरिस की अध्यक्षता में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी सहायता प्रदान करने की बात की गयी । फिर 1962 में कानून मंत्रियों की बैठक बुलायी गयी ताकि गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान की जायें । 1973 में माननीय न्यायमूर्ति श्री वी0आर0 कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में कमिटि ने प्रतिवेदन दिया । लॉ कमीशन ने भी 14वें प्रतिवेदन में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 में संशोधन की बात कही और माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती (जैसा कि उस समय थे) द्वारा भी समिति के माध्यम से की कानूनी सहायता प्रदान करने की ओर पहल की गयी ।

Importance of Lok Adalat and Schemes in reduction of backlog of cases

Keeping in view the increase in long list of pending cases and to provide cheap and easy justice to the poor several efforts have been made. First of all an effort was made to help the poor prisoners but later on stress was given on providing legal aid and service. In India around 1940 effort was made to give

legal aid and in 1945 hon'ble Mr. Justice H.N. Bhagati of Bombay High Court (as the then) and in 1949 in Gujarat and in Calcutta Hon'ble Mr. Justice Harries (the then Chief Justice of Calcutta High Court) under their Chairmanship advocated for providing legal aid. In 1962 a meeting of all law ministers of the State was convened to ponder upon such effort. In 1973 Hon'ble Mr. Justice V.R. Krishna Iyer (as the then he was) submitted report and Law Commission in its 14th report proposed for amendment in order 33 of the Code of Civil Procedure 1908 and Hon'ble Mr. Justice P.N. Bhagwati (as the then he was) also took initiative in this regard through the Committee.

इसी के आलोक में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 को बनाया गया जिसके द्वारा निम्न प्रावधान बनाये गये ताकि गरीब जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या अन्य कारण से सक्षम नहीं है उन्हें विधिक सहायता एवं सेवा प्रदान की जा सके एवं न्याय प्राप्त कर सके तथा लोक अदालत की स्थापना कर वादों को सुलह के आधार पर निष्पादन किया जा सके । यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि लोक अदालत या अन्य प्रावधानों जैसे मध्यस्थता, कन्सिलियेसन, आर्बिट्रेशन के द्वारा परम्परागत न्यायालयों के अलावा अन्य अतिरिक्त फोरम उपलब्ध कराया गया है और इसके दो मुख्य कारण है:-

(क) वादों के निपटारे के लिए सहज, सुगम फोरम उपलब्ध कराना ।

(ख) लम्बित वादों के भार को न्यायालयों पर से कम किया जा सके ।

इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के संविधान में 1976 में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 39-क जोड़ा गया एवं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 बनाया गया ।

Consequent upon all efforts made in 1976 Article 39-A was inserted by amendment in the constitution and in 1987 Legal Services Authority Act was enacted.

अनुच्छेद 39-क द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि विधि प्रणाली के द्वारा न्याय को बढ़ावा देने का कार्य राज्य करेगा ताकि आर्थिक एवं अन्य कारणों से कमजोर व्यक्ति समान अवसर एवं न्याय पाने से वंचित नहीं रह जायें । विधि बनाकर इन्हें उचित मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाये ।

Under Article 39-A it has been provided that the State shall secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity, and also shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

In this context Legal Services Authorities Act, 1987 has been brought into operation by which the following provisions have been made to provide free legal aid and service to the poor who are by reason of economically or otherwise disabilities not able to get justice and Lok Adalat may be established for disposal of case on the basis of compromise. It is pertinent to clarify here that other than traditional courts establishment of Lok Adalat and forum like mediation, arbitration and conciliation have been made available for two counts:-

a) Easy accessible forum for disposal of cases

b) To reduce the backlog of the cases from the traditional courts.

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 के प्रावधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति का गठन क्रमशः धारा 3, 8-क, 6, 9 एवं 11-क के अन्तर्गत किया गया है ।

अनुमंडल, जिला, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों या राजस्व न्यायालय या अन्य फोरम में लम्बित वादों या वादों को संस्थित (दाखिल) करने के पूर्व विवादों को लोक अदालत के माध्यम या अन्य उपलब्ध फोरम के द्वारा निष्पादन करवाया जा सकता है । अन्य फोरम स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, कन्सिलियेशन या न्यायिक निपटारा हैं ।

मामले से अर्थ है न्यायालय में लम्बित कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ । न्यायालय से अर्थ है दिवानी, अपराधिक, राजस्व या प्राधिकरण या कोई प्राधिकार जो न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो ।

विधिक सेवा से अर्थ है किसी भी न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष लम्बित किसी मामले या कार्यवाही के संचालन में विधिक सहायता और सलाह देना ।

वादों को या विवादों को शीघ्र सुलझाने के लिए लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत किया जाता है और धारा 20 के अन्तर्गत लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाता है ।

Under the provisons of Legal Services Authoriteis Act 1987, National Legal Services Authority, Supreme Court Legal Services Committee, State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority and Sub-divisional Legal Services Committee are constituted u/s 3, 8-A, 6,9 and11-A respectively.

Cases pending or cases to be filed in both cases disputed matters are disposed of on the basis of amicable compromise or settlement pending before the Supreme Court, High Court, District Court, Sub-divisional Court or revenue court or tribunal or before any authority

by Lok Adalat or other forum available. Other forum are permanent Lok Adalat, mediation, conciliation, abitration or through judicial settlement.

भी आर्बिट्रेशन, कन्सिलियेशन, लोक अदालत, न्यायिक सुलह तथा मध्यस्थता के द्वारा भी विवादों का निपटारा सुलह के आधार पर किया जाता है । आर्बिट्रेशन में मामले का निर्णय के द्वारा निपटारा किया जाता है ।

Case includes suit or any proceeding before a court. Court means a Civil, Criminal or revenue court and includes any tribunal or any authority constituted under any law for the time being in force to exercise judicial or quasi-judicial functions.

Legal Service includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other authority or tribunal and the giving adevice on any legal matter.

सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग से संबंधित विवादों को मुकदमा के पूर्व निपटाने हेतु स्थायी लोक अदालत का गठन धारा 22-ख के अन्तर्गत किया गया है । स्थायी लोक अदालत द्वारा धारा 22 (ग) के अन्तर्गत संज्ञान लेकर सुलह के आधार पर सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से संबंधित मामले का निपटारा किया जाता है । सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं में माल ढ़ोने या सवारी को ले जाने के कार्य से संबंधित सड़क, हवाई, रेल या जल मार्ग से ट्रांसपोर्ट सेवा डाक, टेलीग्राफ, दूरभाष, पानी उर्जा या बिजली आपूर्ति या सफाई, अस्पताल या डिस्पेन्सरी, बीमा संबंधी सेवाओं से जुड़ा विवाद शामिल हैं । केन्द्रीय या राज्य सरकार अधिसूचित कर अन्य सेवायें जोड़ सकती है ।

For quick disposal of case or dispute Lok Adalat is constituted u/s 19 of legal services Authorities Act 1987 and cognizance is taken u/s 20 on two level disposal of cases and disputes are settled

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसे मुफ्त विधि सेवा या सहायता दी जायेगी, इसके संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत प्रावधान है जो निम्न है-

विशेष लोक अदालत विशेष तिथियों और समय पर विशेष मामले के लिए गठित किया जाता है जबकि निरन्तर लोक अदालत द्वारा आपसी सहमती से न्यायालय द्वारा भेजे गये वादों को पक्षकारों को अपने ही द्वारा तय किये गये शर्तों पर निष्पादित किया जाता है । मुकदमा करने के पूर्व भी विवाद सुलझाये जाते हैं । लोक अदालत में सभी तरह के दिवानी, राजस्व या अपराधिक जो धारा 320 द0प्र0संहिता के अन्तर्गत, या अन्य विधि के अन्तर्गत सुलहनीय है, का सुलह के आधार पर निष्पादन होता है ।

by holding Speical Lok Adalat on a particular date with information to the parties and another by holding continuous Lok adalat. In continuous Lok Adalat cases referred by the courts or cases/ disputes before filing a case are disposed of on the basis of settlement/ compromise on own terms and conditions. Cases of all types of Civil nature, revenue or criminal cases. Which are compoundable u/s 320 Cr.P.C. or under any other law are disposed of on the basis of compromise or sttlement.

दिवानी प्र0 संहिता की धारा 89 तथा आदेश 10 नियमन (क) व (ख) के अनुसार

U/s 89 C.P.C. and order X R 1 (A)&(B) C.P.C. through Arbitration, Conciliation, Lok Adalat, Judicial settlement or

mediation disputes are settled on the basis of compromise or settlement. In arbitration matter is decided through adjudication.

Disputes related to public utility services are disposed of constituting permamnent Lok Adalat u/s 22-B of Legal Services Authorities Act 1987 and cognizance of the same is taken u/s 22-C of the said Act. Public Utility Services of which disputes are disposed are transport service for the carriage of passangers or goods by air, road or water or postal, telegraph, telephone, supply of water, power or light, system of public conservancy of sanitation or service in hospital, dispensary or insurance service. Central Government or State Government may by notification include any public utility service:

Under provisons of Legal Services Authorities who are entitled to get free legal aid & services, in this regard u/s 12 lists have been given and they are:

(क) अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य या

(ख) मनुष्यों का अवैध व्यापार किये जाने से पीड़ित व्यक्ति या

(ग) स्त्री व बच्चे या

(घ) मानसिक व अन्य रूप से अक्षम (लाचार) व्यक्ति या

(ङ) सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्ग विशेष पर अत्याचार, बाढ़, भूकम्प,अकाल अथवा औद्योगिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति या

(च) एक औद्योगिक कामगार या

(छ) सुरक्षा गृह में किशोर अपराधी के साथ-साथ वह अपराधी जो केस के विचारण के दरम्यान काराधीन है, मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या

(ज) कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय रू0 100,000/- (एक लाख) से कम है

विधिक सहायता सभी तरह के दिवानी, अपराधिक वाद में दी जाती है ।

पर मानहानि, अदालत अवमानना, न्याय प्रणाली में झूठ बोलने से संबंधित कार्यवाही, चुनाव या सामाजिक कानूनों के विरूद्ध अपराध जैसे छुआ-छूत अथवा जातीय आधार के विरूद्ध शिकायत के मामले में विधिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है ।

a) A member of a scheduled caste or scheduled tribe or

b) A victim of trafficking in human beings or

c) A woman or child or

d) A mentally ill or otherwise disabled person or

e) A victim of mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster or

f) An industrial workman or

g) An undertrial in custody, Juvenile upto the age of 18 years in a protective home or a mentally ill person in a psychiatric hospital or psychiatric nersing home or

h) A person who has annual income less than Rs. 100,000/- (One lac)

Legal Services are provided in all types of Civil cases and criminal cases

But in cases relating to defamation, Malicious prosecution, a person charged with contempt of court proceeding or perjury, election, proceeding in respect of economic offences, against social laws such as untouchablity or caste basis or prejudices, no legal aid could be provided.

कानूनी सहायता के लिए आवेदक द्वारा लिखित आवेदन या अनपढ़ है तो प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा तैयार करवा कर आवेदन संबंधित प्राधिकार या समिति के सचिव या जिला प्राधिकार के अध्यक्ष या सचिव को जिला में या अनुमंडल में दिया जा सकता है ।

सहायता के रूप में कानूनी प्रक्रिया में होने वाले सभी खर्च जैसे तलबाना, टाईपिंग, प्रारूप तैयार करना व बनाने तथा प्रस्तुत करने और विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व के खर्चे वहन किया जायेगा । आदेश या निर्णयों की प्रतिलिपि व अन्य विविध खर्चो को वहन किया जायेगा ।

लोक अदालत द्वारा निष्पादित मामले में यदि कोई न्याय शुल्क दिय गया है तो वह न्याय शुल्क वापस होगा ।

लोक अदालत अवार्ड के विरूद्ध अपील नहीं होगी ।

For Legal Aid & service a writen application and if the applicant is an illiterate person then by the officer of the Authority he will get prepared and submit before the concerned authority or Secretary, Chairman or Secretary of the District authority or Sub-divional authority.

All relevant charges payable in connection with any legal proceedings, charges of drafting, filing, representation by a legal practitioner in a legal proceeding, cost of obtaining certified copy of judgement and other miscellaneous expenses will be born.

If any court fee has been paid, the same would be refunded.
No appeal lies against an award by Lok Adalat.

लोक अदालत द्वारा अवार्ड का प्रारूप

लोक अदालत के समक्ष
स्थान का नाम .....

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के अधीन ..... प्राधिकरण/ ..... समिति द्वारा आयोजित)

याची/ वादी/ परिवादी :
प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी :
..... न्यायालय/ प्राधिकरण समिति की कार्यवाही संख्या .....
उपस्थिति :

न्यायिक अधिकारी/ सेवा निवृत न्यायिक अधिकारी का नामः
सदस्यों का नामः
(1)

(2)

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किये गये हैं और पक्षकारों ने मामले/ विषय पर समझौता/ परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धाण के शर्तो के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता हैः

.....
.....
.....

..... पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय को यदि कोई फीस, उनमें से किसी पक्षकार द्वारा संदत्त की गयी है तो वह वापस की जायेगी ।

याची/वादी/परिवादी प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी

न्यायिक अधिकारी
तारीख सदस्य सदस्य

(प्राधिकरण/ समिति की मुहर)

Before the Lok Adalat

Held At _____
Organised by _____ Authority/ _____ Committee u/s 19 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act)

Petitioner/ Plaintiff/ Complainant :
Defendant/ Respondent :
No. of proceedings of the _____ Court/ Authority/ Committee present:
Preent:

Name of Judicial Officer/ :

Retired Judicial Officer :

Name of the members :

(1)

(2)

AWARD

The dispute between the parties having been referred for determination to the Lok Adalat and the parties having compromised/ settled the case/ matter, the following award is passed in terms of the settlement:

.....
.....
.....
.....

The parties are in formed that the court fee, if any, paid by any of them shall be refunded.

Petitioner/ Plaintiff/ Complainant Defendant/ Respondent

Judicial Officer Member Member

(Seal of the Authority/ Committee)

Proforma

Disposal of cases in Lok Adalat

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बनीय गयी कुछ सहायतार्थ योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 बनाकर यह प्रावधान बनाया गया कि प्रारूप में लिखित आवेदन देने पर या मौखिक निवेदन पर विधिक सहायता प्रदान की जायेगी ।

नियम 3

विधिक सेवा के लिए आवेदन प्रपत्र (1) में देना होगा जो क्षेत्रीय या अंग्रेजी भाषा में रहेगा ।

यदि आवेदक निरक्षर है तो विधिक सेवा संस्थान (प्राधिकार) आवेदन तैयार करवाने की व्यवस्था करेगा ।

विधिक सेवा संस्थान द्वारा मौखिक प्रार्थना को भी स्वीकार करेगा ।

ईमेल या अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर भी सत्यापन के पश्चात् विचार किया जायेगा।

नियम 4

सभी विधिक सेवा संस्थाओं के प्रबंध कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान पैनेल अधिवक्ता तथा एक या अधिक पारा लीगल भॉलन्टियर उपलब्ध होगा ।

नियम-5

आवेदक एक शपथ पत्र कि वह धारा 12 के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों में आता है प्रस्तुत करेगा जो कि साधारणतया पर्याप्त होगा ।

Information about some schemes for legal aid and services made by the National Legal Services Authority

Persons entitled to legal aid and service u/s 12 of Legal Services Authority Act 1987 (Central Act) will get free and competent legal services and for this National Legal Services Authority (Free and competent Legal Service) Regulation, 2010 has been framed under which it has been provided that an application in form 1 or oral request may be made for legal services.

Rule 3

For legl service an application may be presented in form (1) in the local or English language.

If the applicant is an illiterate person, the legal services institution may make arrangement to fill up the form.

Legal Services Institution may also entertain the oral request.

Request made through E-mail or otherwise may also be considered on verification.

Rule 4

All Legal Services Institutions shall have a front office to be manned by a panel lawyer and one or more Para Legal Volunteers available during office hour.

Ruel 5

An affidavit of the applicant that he falls under the calegories of person entitled to free Legal Services under section 12 shall ordinarily be sufficient.

नियम 7

एक कमिटि जो अनुमंडल, जिला, राज्य एवं अन्य स्तर पर होगी जो धारा 12 बि0से0प्रा0अ0 1987 के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन तथा जाँच करेगी ।

कमिटि का गठन कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष विधिक सेवा संस्थान के द्वारा किया जाएगा और कमिटि में (i) सदस्य सचिव या सचिव कमिटि के अध्यक्ष के रूप में होंगे तथा (ii) दो अन्य जिसमें एक न्यायिक पदाधिकारी होंगे तथा (iii) एक विधि व्यवसायी या सरकारी अधिवक्ता सहायक सरकारी अधिवक्ता या पब्लिक प्रोसेक्यूटर या सहायक पब्लिक प्रोसेक्यूटर होंगे जिसे कम से कम 15 वर्ष का विधिज्ञ अनुभव हो । कमिटि दो वर्ष के लिए होगी जिसकी अवधि एक वर्ष और बढ़ायी जा सकती हे ।

नियम 8

विधि व्यवसायी से आवेदन आमंत्रित कर माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय या अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरकारी अधिवक्ता एवं बार (अधिवक्ता संघ) के अध्यक्ष से मशविरा कर उसकी जाँच कर विधि व्यवसायिओं की सूची तैयार करेंगे ।अधिवक्ता के विधि व्यवसाय का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

दिवानी, अपराधी, संवैधानिक, पर्यावरण, कामगार, वैवाहिक मुकदमों का संचालन करने वाले अधिवक्ताओं की अलग-अलग सूची तैयार की जायेगी । सूची तैयार होने पर कार्यकारी अध्यक्ष महोदय से विमर्श कर ''रिटेनर'' के रूप में अधिवक्ता नामित किये जायेंगे जो सूची से ही होंगे ।

Rule 7

There shall be a Committee to scrutinise and evaluate the application for legal services at the level of Taluk (Sub-Division**)** District, State and above. U/S 12 L.S. A. Act, 1987.

The Committee shall be constituted by the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution and shall consists of; (i) the Member Secretary or Secretary of the Legal Services Institution as its Chairman and (ii) two members out of whom one may be a judicial officer and (iii) a legal professional having at least 15 years standing at the Bar or Govt. Pleader or Assitant Govt. Pleader or Public

Prosecutor or Assistant Public Prosecutor. The tenure of the members of the Committee will be for two years which may be extended for one year more.

Rule 8

Panel of lawyers shall be prepared inviting applications and scrutinzing them by the Chairman on consultation with Govt. Pleader and President of Bar Association(s). The advocate should have at least three year of experience.

Separate panel of lawyers dealing with Civil, criminal, constitutional labour and matrimonial cases may be prepared. On preparation of panel chairman of DLSA may consult the Executive Chairman and designate as "retainer" from amongst the panel lawyers

In the district Legal Services Authority 10, in sub-division 5 and in the High Court 15 "Retainer" will be designated from the panel lawyers turn by turn. The panel will be for three years. Panel lawyer shall not ask for or receive fee.

The honorarium payable to retainer lawyer shall be:

a) Rs. 7,500/- per month in the case of High Court Legal Services Committee

b) Rs. 5,000/- per month in the case of DLSA

c) Rs. 3000/- per month in the case of Taluk (Sub-division) Legal services Committee.

The above honorarium will be in addition to the prescribed fee for a case.

Rule 10

Monitoring Committee shall be constituted for close monitoring of the court based legal services rendered and progress of the cases.

जिला एवं अनुमंडल में कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा निगरानी कमिटि गठित की जायेगी जिसमें उच्च न्यायिक सेवा का वरिष्ठ न्यायिक पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे तथा सचिव एवं पन्द्रह वर्ष से अधिक के वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता, जिसे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से परामर्श कर नामित किया जायेगा, सदस्य होंगे ।

जिला में 10, अनुमंडल में 5 तथा उच्च न्यायालय में 15 ''रिटेनर'' होगें जो पारी-पारी से सूची में से नामित होंगे । पैनल तीन वर्ष तक कार्य करेंगा । सूची अधिवक्ता फी नहीं वसूल करेंगे ।

रिटेनर का मानदेय जिला में 5,000/- (पाँच हजार) अनुमंडल में 3000/- (तीन हजार) एवं उच्च न्यायालय में 7,500/- (सात हजार पाँच सौ) प्रतिमाह देय होगा जो मुकदमा में निर्धारित देय शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

नियम- 10

न्यायालयों में दी जाने वाली विधिक सेवाओं की निगरानी निगरानी समिति बनाकर की जायेगी ।

In district & Sub-division the Executive Chairman shall constitute monitoring Committee consisting of Senior most member of H.J.S. as Chairman of Commttee, Secretary of DLSA and a senior advocate having at least fifteen years of practice, nominated in consulation with the president of the Bar, as member.

प्रपत्र-I

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010

विधिक सेवा हेतु आवेदन प्रपत्र-I

(इसे क्षेत्रीय भाषा में तैयार किया जाय)

निबंधन संख्या :

1. नाम :

2. स्थायी पता :

3. फोन नं0 के साथ सम्पर्क का पता, यदि कोई हो, ईमेल आई.डी. यदि कोई हो :

4. क्या आवेदक अधिनियम की धारा 12 में वर्णित व्यक्ति की श्रेणी में आता हैं :

5. आवेदक की मासिक आय :

6. क्या अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आय/ अर्हता के समर्थन में शपथ पत्र/ सबूत पेश किया गया है :

7. मांगी गई विधिक सहायता या सलाह की प्रकृति :

8. न्यायालय में लम्बित मुकदमे का संक्षिप्त

विवरण जिसके संबंध में विधिक सेवा चाहिए :

स्थानः

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि :

Form 1
National Legal Services Authority
(Free and competent legal services) Regulation, 2010
The Form of Application of Legal Services
(This may be prepared in the regional language)

Registration No.

1. Name :

2. Permanent Address :

3. Contact Address with phone no. if any, e-mail ID, if any :

4. Whether the applicant belongs to the category of persons mentioned in section- 12 of the Act :

5. Monthly income of the applicant :

6. Whether affidavit/ proof has been produced in support of income/ eligibility u/s 12 of the Act :

7. Nature of legal aid or advice required:

8. A brief statement of the case, if court based legal services is required. :

Place:

Signature of the applicant

Date:

पप्रत्र II

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार
(मुफ्त एवं समर्थ विधिक सेवा) विनियम 2010
(विनियम 11 देखें)

संचालन समिति को दी गई विधिक सेवा के संबंध में सूचना

1. विधिक सेवा संस्था का नाम :

2. विधिक सेवा हेतु दी गई आवेदन की संख्या तथा दिये गये विधिक सेवा की तिथि :

3. विधिक सेवा प्राप्त आवेदक का नाम :

4. मामले की प्रकृति (दिवानी, अपराधिक, संवैधानिक विधि इत्यादि) :

5. आवेदक को दिये गये अधिवक्ता का नाम एवं क्रमांक :

6. उस न्यायालय का नाम जहाँ वाद दायर किया जाना है/बचाव करना है :

7. सूची के अधिवक्ता को नियुक्त करने की तिथि :

8. क्या कोई मौद्रिक सहायता यथा न्याय शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, नकल फीस अग्रिम में दी गई है ? :

9. क्या वाद में अंतरिम आदेश या कमीशन नियुक्ति की आवश्यकता है? :

10. अभिलेखों को प्रस्तुत करने तथा साक्षियों को समन हेतु अनुमानित खर्च :

11. न्यायालय में वाद के निष्पादन हेतु संभावित अवधि :

तिथि सदस्य सचिव/ सचिव

Form-II

National Legal Services Authority
(Free and Competent Legal Services) Regulation, 2010

Information furnished to the Monitoring Committee about the legal Services Provided

1) Name of the Legal Services Institution :

2. Legal Aid application number and date on which legal aid was given :

3. Name of the legal aid applicant :

4- Nature of case (Civil, criminal, constitutional law etc) :

5) Name and roll number of the lawyer assigned to the applicant :

6) Name of the Court in which the case is to be filed/ defended :

7) The date of engaging the panel lawyer :

8) Whether any monetary assistance like court fee, advocate commission fee, copying charges etc. has been given in advance? :

9) Whether the case requires any interim order or appointment of commission? :

10) Approximate expenditure for producing

records, summoning of witnesses etc. :

11) The expected time for conclusion of the proceedings in the Court. :

Dated: Member Secretary/ Secretary

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवा) योजना, 2010

असंगठित कामगार देश की अर्थ व्यवस्था में 60% प्रतिशत का योगदान देते हैं पर अपनी सुविधा एवं योजना के तहत लाभ के लिए आगे आकर अपनी मांग नहीं रखते । चूंकि वे एक निश्चित जगह पर न तो कार्य करते हैं न एक समान प्रकृति का कार्य ही करते हैं । उनकी अज्ञानता, गरीबी तथा रोज के लिए भोजन के प्रबंध में लगे रहने के कारण लोक कल्याणकारी विधानों के लाभों को छोड़ देते हैं । ऐसे में विधिक सेवा प्राधिकार को उन तक पहुँच कर उन्हें लाभ दिलवाने के लिए कार्य करना चाहिए ।

विधिक सेवा प्राधिकार निम्नस्वरूप सहायता कर सकती है:-

(1) प्रत्येक विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में असंगठित कामगारों की पहचान विधि-छात्र, स्वयंसेवी संगठन, पारा लीगल भॉलेन्टियर की सहायता से सर्वेक्षण द्वारा करवाया जा सकता है और प्रयत्न कर असंगठित कामगारों को लाभ उपलब्ध करवाना चाहिये ।

(2) विधिक जागरूकता कार्यक्रम चिह्नित असंगठित कामगारों के लिए करना चाहिए ताकि उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा के उपलब्ध उपायों की जानकारी हो सके ।

(3) कल्याणकारी विधानो, योजनाओं एवं नियमों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित व सहायता करना ताकि असंगठित कामगारों को गलत रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सके ।

National Legal Services Authority (Legal Services to the Workers in the Unorganised sector)

The workers in the unorganised sector contribute 60% percent of the national economy. But for their benefit they do not come forward to demand their benefit. Because such workers are not confined to any particular area and they do not always work for similar nature of Job. Thier illiteracy, poverty and anxiety for earning daily livelibood do not persuade to ask for the benefit under the law provided. Threfore Legal Services Auhority should come forward for unorganised workers for getting benefit.

Legal Services may help in the following manner:

1) Every Legal services Authority in their jurisdiction should identify the unorgainised workers by condiucting suveys with the help of law student, NGO, Para Legal Volunteer and by effort should get the benefit made available to the unorganised workers.

2) Legal awareness programmes for the identified groups of unorganised workers be conducted to create awareness amongst them about the different welfare schemes and social security measures available.

3) To persuade and assist the unorganised workers to avail of the benefits under the different social welfare legislations and schemes.

4) असंगठित कामगारों को उनकी अपनी बात कहने की क्षमता में वृद्धि कर लाभकारी योजनाओं और नियोक्ता से लाभकारी योजनाओं को लागू करवाने में मदद करना ।

5) असंगठित कामगारों को कानूनी सहायता देने की आवश्यकता है ताकि भिन्न-भिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करवाकर मदद की जा सके ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (विधिक सहायता क्लिनिक) योजना 2010

1) इस योजना के तहत गरीब एवं पिछड़े समुदाय के लोगों को सुगमता से कानूनी मदद पहुँचायी जा सके इसकी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गयी है ।

2) विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना ऐसी जगह की जाये जहाँ लोग आसानी से पहुँच सके ।

3) विधिक सहायता क्लीनिक स्थानीय संस्था की मदद से प्राप्त स्थान पर खोला जायेगा तथा बोर्ड लगाया जायेगा ताकि लोग आसानी से पहुँच सके ।

4) विधिक सहायता क्लीनिक सभी गाँवों में स्थापित किया जायेगा तथा इसका प्रचार-प्रसार किया जायेगा ।

5) विधिक सहायता क्लीनिक में पारा लीगल भॉलेन्टियर्स तथा पैनेल के अधिवक्ता को विधिक सहायता के लिए प्रतिनियुक्त करना ताकि वे लाभकारी योजनाओं के बारे में बता सके तथा सरकारी कार्यालयों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण करवा सके ।

4) Bargaining capacity should be increased to tackle with the empoyers to get the beneficial schemes implemented.

5) Legal assistance should be provided to get the beneficial provision of laws for them implemented.

National Legal Services Authority (Legal aid clinics) scheme, 2010

1) By framing this scheme it has been intended that legal relief may be provided to the indigent and backward section of the society very easily by local machinery.

2) Legal aid Clinics should be located at such place where the people may reach without any trouble.

3) For legal aid clinics local institution should be persuaded to provide space and sign board should be displayed or hanged.

4) Legal aid clinics should be established in all the villages and publicity be made .

5) In legal aid clinics Para Legal Volunteers and panel lawyers should be deputed for rendering legal service and to liaise with the Govt. Officers to get the grievances redressed.

6) जो अधिवक्ता विधिक सहायता क्लीनिक में सेवा प्रदान करेंगे उन्हें कम से कम प्रतिदिन 500/- रूपये तथा पारा लीगल भॉलेन्टियर्स को 250/- रूपये प्रतिदिन अदा किया जायेगा ।

7) विधिक सहायता क्लीनकि में बही का रख-रखाव होगा जिसमें अधिवक्ता का तथा सहायता प्राप्त करने वाले का नाम,पता लिखना होगा । अधिवक्ता स्थानीय स्तर पर विवाद को सुलझाने का भी प्रयत्न करेंगे । पारा लीगल भॉलेनटियर्स अधिवक्ता की मदद करेंगे तथा सहायता चाहने वालों को भी सहायता करेंगे । विद्यार्थी भी सेवा प्रदान कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (मानसिक रूप से बिमार तथा मानसिक रूप से लाचार को विधिक सेवा) योजना 2010

मानसिक रूप से बिमार या मानसिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है । केवल समाज तथा राज्य के भरोसे उनके अधिकार तथा सहायता की जिम्मेदारी छोड़ देने से कर्त्तव्य पूरा नहीं होगा । चूंकि भारत यू.एन. कन्भेन्श्न 2008 का हस्ताक्षरी है, जो ऐसे लोगों को अधिकार एवं सहायता देने की बात कहता है। अतः यह हमारे विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करें।

इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य दिशा-निर्देश दिये गये है:

मानसिक रूप में बिमार व्यक्ति इलाज से ठीक हो सकता है । ऐसा व्यक्ति मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार रखता है जिसको उन्हें उपलब्ध कराना है । उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना है । उनको

6) Advocate who will render his service at legal aid clinic will not be paid less than Rs. 500/- per day and para legal volunteers Rs. 250/- per day.

7) In legal aid clinics register will be maintained with discription of the advocate and the recepient of the legal service and the advocate shall try to resolve the dispute at local level. Para Legal Volunteers shall assist the lawyers and the seekers of the legal services. The students may also render their service.

National Legal Services Authority (Legal Servicesto the Mentally ill prsons and persons with mental disabilities) Scheme, 2010

For mentally ill person or person with mental disability there is need to give proper atention. For protection of rights of such person and to extend co-operation to them they should not be lest on the mercy of society and the Government. Since India is also signatary of U.N. Convention 2008 for such persons, it is obligatory for ones legal system to ensure the protection of rights of such disabled person.

In this connection some given guide-lines are as follows:

Mentally ill person may be cured by treatment. Such persons have human rights and fundamental freedom which be made available to them. Their prestige be protected and no discrimination be shown with them. They have right to treatment.

इलाज का अधिकार है ।

विधिक सेवा प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि इलाज के लिए सहमति प्राप्त कर लिया गया है । न्यायालय में जब ग्राह्यता आदेश पारित किया जायेगा रिटेनर अधिवक्ता उपस्थित रह कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेगा तथा संबंधित परिवार एवं पदाधिकारी से सम्पर्क करेगा ।

विधिक सेवा संस्था मनोरोग नर्सिंग होम या अस्पताल में ऐसे लोगों के इलाज के दरम्यान बार बार जाने का प्रंबंध करवायेगा तथा सूचनाएँ प्राप्त करेगा ।

ऐसे मानसिक बिमार व्यक्तियों की सम्पत्ति का गलत तरीके से दुरूपयोग करने या उसके संबंध में अन्यथा डील करने की जानकारी होने पर मेंट्ल हेल्थ एक्ट अध्याय IV के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकार कदम उठायेगा एवं उसकी धारा 91 के तहत भी भूमिका निभायेगा । उनके अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता सभा आयोजित कर करेगा । न्यायिक पदाधिकारियों को भी संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम करना ।

जिला विधिक सेवा ऐसे व्यक्तियों के परिवार को संवेदनशील बनाने के लिए विशेष लिगल एड क्लीनिक स्थापित करगी। ऐसी बिमारी से ठीक हुए लोगों को पुनर्वास में मदद करना । ''विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस'' 10 अक्टूबर को मनाना ।

मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को विधिक सेवा प्रदान करने के समय निम्न बातों पर ध्यान देना:

Legal Services Authority shall ensure that prior consent for treatment has been obtained from the concerned family or any other else that are competent.

Retainer advocate should remain present to obtain details while reception order for such persons are being passed and liaise with the family and persons treating or hospital etc.

Legal Services Authority/ institution shall organise frequent visit to psychiatric home/ hospital to gather information.

Such person's property be not misappropriated or dealt with for that step be teken to prevent on getting informatin as per chapter VI and u/s 91.

Legal awareness for mental ill persons

be organized and to sensitize the Judicial Officers training programme be organized.

शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाना ।

न्यायिक पदाधिकारियों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजना करना ।

पारा विधिक स्वयंसेवक योजना 2009-10

पारा विधिक स्वयंसेवक का चयन कर प्रशिक्षण देना ताकि वे आम लोगों एवं विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का काम करें और लोगों की पहुँच न्याय तक हो सके ।

Special Legal aid clinic be established for sensitizing the family members of metally ill persons and to assist in rehabilitation. "World Mental Health Day" be observed on every 10th October.

कार्यक्रम को कैसे पूरा किया जायेगा?

Matters to be cosidered while rendering legal services to metally retarded person are:

1) जिला विधिक सेवा प्राधिकार 50 भॉलेन्टियर्स एवं तालुक (अनुमंडल) स्तर पर 25 भॉलेन्टियर्स की पहचान करेगा जिसे स्थानीय भाषा पढ़ना और लिखना आता हो ।

यह ध्यान में रखना है कि मानसिक रूप से बिमार व्यक्ति एवं एक अक्रमिक विकास के कारण मानसिक रूप से अक्षम में अन्तर है ।

There is distinction in between the mentally ill persons and mentally retarded persons due to developmental disorder.

स्थायी रूप से मानसिक अक्षम व्यक्ति का चिकित्सा से उचार नहीं हो सकता है

Permanent mentally retarded persons are not curable.

विधिक सेवा संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार के समाज कल्याण विभाग की योजनाओं एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति तथा उनके माता-पिता को उपलब्ध कराने के संबंध में प्रत्यन्न करना ।

Legal Services Institution will effort to make available benefits of scheme of Social Welfare Department of Govt. and others scheme to the MRS and their family members.

उनके अधिकारों, सम्पत्तियों को सुरक्षा प्रदान करना ।

Their rights and properties be protected.

Legal awareness compaigns be organized among the educational institutions.

Sensitization programme for judicial officers be organized.

Para Legal Volunteers Scheme 2009-10

On selection of Para Legal Volunteers they may be trained to act as harbingers of legal awareness and legal aid and to bridge the gap in between the justice seekers and Legal Services Authority.

How to implement the project?

1) District Legal Services Authority shall identify volunteers who can read and write vernacul language.

यह कार्य योजना तैयार की गयी है कि प्रत्येक पंचायत से दो पारा विधिक स्वयं सेवकों को पहचान एवं चयन के बाद प्रशिक्षित किया जायें ।

पहले चरण में पारा विधिक स्वयं सेवकों की पहचान एवं चुनाव करना जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है ।

प्रशिक्षण हेतु पारा विधिक स्वयं सेवकों पहचान निम्न लोगों में से किया जाना है:

i) अधिवक्त, शिक्षक, प्रवक्ता
ii) आंगनबाड़ी सेविका
iii) चिकित्सक तथा अन्य सरकारी कर्मचारी
iv) फिल्ड पदाधिकारी जो विभिन्न सरकारी विभागों में से हो सकते हैं
v) स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी चाहें विधि या अन्य विषय के हों ।
vi) स्वयंसेवी संस्था के सदस्य
vii) सहकारी समिति के सदस्य, महिला संगठन या शिक्षित सजायाफ्ता कैदी
viii) ट्रेड यूनियन (व्यवसाय संघ) के सदस्य
ix) अन्य कोई व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार या अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार या अनुमंडल विधिक सेवा समिति उपयुक्त समझे ।

पहचान के पश्चात स्वयंसेवकों का नाम, पता, सम्पर्क नम्बर बही में अंकित किया जायेगा जिसका रख-रखाव संबंधित प्राधिकार या समिति करेगी ।

पहचान किये गये पारा विधिक स्वयंसेवकों को पहचान-पत्र निम्न प्रपत्र में दिया जायेगा:

This has been planed that from each panchayat two para legal volunteers should be trained on their identification and selection.

At the first phase to identify and select Para Legal Volunteers to train up.

Para Legal Volunteers will be identifed from the following categories for trainning.

i) Advocate, Teachers & Lecturer
ii) Anganwadi Workers
iii) Doctors and Govt. employees

iv) Field Officers of Govt. Department
v) Students of Graduation, Post Graduation in law or of other faculties
vi) NGOs members
vii) Members of co-oprative society women organization or educated prisioners serving long term sentences
viii) Members of trade Unions

ix) Any other persons to whom DLSA deems fit as Para Legal Volunteers.

After identitication of the volunteers, their names, addresses, telephone numbers (if any) shall be entered in a separate register maintained by DLSA.

Each identified Para Legal volunteers is to be given an identity card by the Secretary of the DLSA in the following proforma:

1) महिला
2) बच्चें
3) विद्यार्थी
4) किसान
5) कारखाना एवं कृषि के कामगार
6) कैदी
7) प्राकृतिक विपदा से ग्रस्त/प्रभावित व्यक्ति
8) शारीरिक व मानसिक रूप से बिमार व्यक्ति या अक्षम व्यक्ति
9) मानव दुर्व्यापार, संपीड़ित महिला, बच्चे या एच.आई.वी. या एड्स से प्रभावित व्यक्ति
10) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य
11) बंधुआ मजदूर
12) उपभोक्ता
13) वरिष्ठ नागरिक
14) अन्य लाभार्थी

..... विधिक सेवा प्राधिकार
पारा लिगल भोलेन्टियर्स निबंधन सं0 .....

फोटो

नाम .....
पिता/पति का नाम ....
ग्राम/शहर .....

पारा लिगल भोलेन्टियर्स का हस्ताक्षर

ह0 सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार

..... Legal Services Authority
Para Legal volunteer Reg. No. .....

Photo

Name .....
Father/Husband Name.....
Village/Town.....

Signature of Para Legal Volunteers

Signature of Sectetary DLSA

पारा लीगल भॉलेन्टियर्स को निम्न से संबंधित संवेधानिक एवं वैधानिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों, दिवानी, अपराधिक विधि की जानकारी दी जानी चाहिए:-

Para Legal Volunteers should be given exposure to constitutional and statutory rights and duties, Civil and Criminal laws releated to the followings:

1) Women
2) Children
3) Students
4) Farmers
5) Industrial and Agriculture labourer
6) Prisoners
7) Victim of natural disaster
8) Physically challenged, persons suffering from mental disorder & mentally retarded person
9) Victim of trafficking i.e. women, children and persons suffering from HIV/AIDS
10) Members of scheduled castes and scheduled tribes
11) Bonded labour
12) Consumers
13) Senior Citizens
14) Other beneficiaries

पारा लीगल भॉलेन्टियर्स का कार्य विधिक सेवा प्राध्किार एवं लाभार्थी के बीच समन्वय स्थापित करना है ।

उन्हें बिना शुल्क या वेतन या पारितोषिक के सेवा प्रदान करनी चाहिये ।

पारा लीगल भॉलेन्टियर्स के प्रशिक्षण हेतु विषयः

1) हिन्दू, इसाई, मुस्लिम एवं विशेष विवाह अधिनियम
2) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम
3) परिवार न्यायालय अधिनियम 1994
4) अविभावक एवं संरक्षक अधिनियम 1890
5) हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम
6) मातृत्व लाभ अधिनियम
7) चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम
8) दहेज प्रतिषेध अधिनियम
9) दहेज अत्याचार
10) धारा 125 द0प्र0सं0
11) कामकाजी महिला पर अत्याचार
12) महिलाओं का घरेलू हिंसा से बचाव अधिनियम 2005
13) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार से बचाव) अधिनियम
14) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
15) मजदूर कल्याण संबंधी अधिनियम
16) मुआवजा संबंधी (वाहन दुर्घटना, कामगार या रेल) अधिनियम एवं प्रक्रिया
17) बंधुआ मजदूर (समापन) अधिनियम 1976
18) प्रथम सूचना रिपोर्ट
19) गिरफ्तारी- जमानत

Para Legal Volunteers to act as co-ordinater in between the Legal Services Authority and beneficiaries.

They should not expect fee, remuneration or salary for doing service.

Training topics for Para Legal Volunteers:

1) Hindu, Christian, Muslim and Special Marriage Act
2) Child Marriage Restraint Act
3) Family Court Act 1994
4) Guardian and wards Act 1890

5) Hindu Minority and Guardianship Act
6) Maternity Benefit Act
7) Medical Termination of Preguancy Act
8) Dowry Prohibition Act
9) Dowry harassment
10) Section 125 of Cr. P.C.
11) Harassment of working women
12) Protection of women from Domestic Violence Act 2005
13) Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act
14) Consumer Protection Act
15) Labour Welfare Laws
16) Procedure for claiming compensation under Motor Vehicle Accident,Workemen compensation Act and Railway Accident Claims Tribunal
17) Bonded Labour (Abolition) Act 1976
18) F.I.R.
19) Arrest - Bail

20) कैदी के अधिकार
21) अभियुक्त, कैदी मौलिक अधिकार
22) निबंधन तथा स्टाम्प ड्यूटी
23) प्रामिसरी नोट्स
24) राजस्व विक्रिया
25) विभिन्न सरकारी योजनाएँ
26) लोक अदालत, एडीआर प्रणाली

पारा लीगल भॉलेन्टियर्स के कर्त्तव्य

नागरिकों को उनके अधिकार एवं मानवयी सम्मान के साथ जीने के अधिकार के बारे में शिक्षित करना ।

समस्याओं के प्रकृति की जानकारी देते हुए उसका समाधान विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से करवाने की पहल करना ।

विधान के उल्लंघन पर नजर रखना तथा उसे तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जानकारी में लाना । विधिक जागरूकता कैम्प लगाना।

विधिक सेवा प्राधिकारों के बारे में नागरिकों को जागरूक करना ।

एडीआर के लाभ के बारे में बताना ।

यह प्रचार करना कि प्राधिकार के माध्यम से शुल्क का भुगतान किये बिना विवादों का निपटारा किया जा सकता है ।

यह प्रचार करना कि लोक अदालत के माध्यम से वादों के निपटारे में कोई कोर्ट फी नहीं लगता और पूर्व में भुगतान किया गया शुल्क वापस हो जाता है ।

सार्वजनिक उपयोग सेवा से उत्पन्न विवाद का स्थायी लोक अदालत द्वारा सुलझाने का प्रचार ।

एडीआर (वैकल्पिक विवाद-हल फोरम) की व्यवस्था

दिवानी प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2002 में संशोधन करते हुए नया प्रावधान धारा 89 तथा आदेश 10 में 1(क) एवं (ख)

20) Rights of Prisioners
21 Fundamental, rights of accused prisoners
22) Registration & Stamp Duty
23) Promissory notes
24) Revenue Laws
25) Various Govt. Schemes.
26) Lok Adalat & ADR System

Duties of Para Legal Volunteers

To educate citizens about their rights and right to live with dignity.

To make aware of the nature of the problems and help them to resolve the problem through Legal Services Authority.

To keep watch on transgressions of laws and bring them into notice of DSLSA. To organize legal awareness camp.

To create awareness among citizens about Legal Services Authorities.

To make aware about benefits of A.D.R.

To propagate about the settlement of dispute through LSA at prelitigation stage without paying any court fee.

To propagate that court fee is refundable if matter is settled in Lok Adalat

To propagate about settlement of dispute arising out of Public Utility Services through permanent Lok Adalat

ADR (Alternative Dispute Resolution) Forum

By amending in the code of Civil Procedure new section 89 and order 10 rule 1(A) & (B) have been inserted in the year 2002. By this provision cases/ dispute are disposed of on the basis of settlement/compromise so that quick disposal may be possible. There are

जोड़ा गया । इसके माध्यम से मुकदमों/ विवादों को सुलह के आधार पर एवं अन्य प्रक्रिया के द्वारा शीघ्र निष्पादन की व्यवस्था की गयी है ताकि न्यायालयों में लम्बित वादों का शीघ्र निष्पादन हो सके । इसके दो मुख्य कारण है-

क) विवादकारी को एक सुगम, सहज, योग्य फोरम उपलब्ध कराना जहाँ वह बिना परेशानी के शीघ्र पहुँच मामले का निस्तारण करा सके ।

(ख) न्यायालयो पर मुकदमों के बढ़ते दबाव को कम किया जा सके ।

ये चार तरह के फोरम हैः

1) पंचाट (माध्यस्थम)
2) मेल-मिलाप
3) न्यायिक समझौता या लोक अदालत
4) मध्यस्थता

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विवादों या मुकदमों का निपटारा दो माध्यम से होता है । एक गुण-दोष के आधार पर निर्णय द्वारा जिसमें बंधनकारी प्रक्रिया अपनाते हुए विवाद/ वाद का निष्पादन किया जाता है जबकि दूसरा अबंधनकारी प्रक्रिया द्वारा सुलह या आपसी समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाता है ।

बंधनकारी प्रक्रिया में गुणदोष के आधार पर निर्णय परम्परागत न्यायालयों द्वारा या प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और वहाँ पक्षकार की

two reasons for inserting the new provisions and they are:

1) To make available an accessible easy forum to the litigants.

2) To reduce the backlog of cases pending in the court.

There are four types of such forum and they are:

1) Arbitration
2) Conciliation
3) Judicial settlment or Lok Adalat
4) Mediation

It is necessary to clarify here that dispute can be resolved by following either types of process and they are adjudicatory- a binding process and another is non adjudicatory- non binding process. Binding processes are two types and they are public forum and private forum.

Public forums are regular courts and tribunals where cases/ dispute is decided on merit whereas by private forum such as arbitral forum where under the provisions of Artbitration and

इच्छानुसार निर्णय कर्ता का चयन नहीं होता है जैसे सभी न्यायालय या प्राधिकरण/ बंधनकारी प्रक्रिया भी दो तरह के फोरम है । एक सार्वजनिक दूसरा निजी । एक न्यायालय या प्राधिकरण जैसा कि उपर कहा गया जो सार्वजनिक फोरम है तथा दूसरा पंचाट जो निजी फोरम है तथा जिसकी कार्यवाई आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सिलियेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों से क्रियान्वित होती है ।

अबंधनकारी प्रक्रिया भी दो तरह के है ।

पहला- पक्षकारों द्वारा जो अपने द्वारा तय किये शर्त्तो के आधार पर आपसी विवाद को हल करते हैं जो कन्ट्रेक्ट एक्ट 1872 के प्रावधानों से नियंत्रित होता है तथा दूसरा क्षकार द्वारा चयन किये गये तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवादों को हल करते हैं ।

अब उपर्युक्त चारों फोरम के बारे में समझने के लिए संक्षिप्त चर्चा करेंगे ।

1) पंचाट (माध्यस्थम)

पंचाट के अन्तर्गत वाद/विवाद न्यायालयों में दाखिल करने पर या उसके पूर्व यदि किसी विवाद को सुलझाने के लिए पहले से पंचाट से विवाद सुलझाने की शर्त्त/ करार पक्षकारों के बीच में तय किया गया है तो उसे न्यायालय या पक्षकार द्वारा चयन किये गये पंच के समक्ष भेजा जायेगा और विवाद का निष्पादन आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सिलियेशन एक्ट 1996 में दिये गये प्रावधान के अनुसार किया जाता है ।

conciliation Act 1996 a dispute is decided on the basis of compromise/ settlement may be got resolved/ disposed of.

Non-binding processes (non-adjudicatory) are also of two types.

First is direct negotiation between the parties on the basis of own terms and condition which is covered by the Provisions of Contract Act 1872. Second is by selecting third person by the parties with whose help the parties get their dispute resolved.

Now brief discussion about all four forums:

1) **Arbitration**

If a case is filed or before filing a case parties have agreed to settle the dispute through arbitration, in that case either the court or the parties them selves refer the case or dispute to the Arbitrator appointed/ selected by them who will decide in accordiance with the provisions of Arbitration and conciliation Act, 1996.

2) मेल-मिलाप एवं (3) मध्यस्थता

मेल-मिलाप में पक्षकार स्वयं रजामंदी से मेल-मिलाप कर्त्ता (कन्सिलियेटर्स) की नियुक्ति कर उसकी सहायता से विवाद को हल करते हैं और यह आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सिलियेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत दिये प्रावधान के अनुसार किया जाता है ।

जबकि मध्यस्थता में यदि पक्षकार तैयार नहीं है या एक पक्ष ही तैयार है और न्यायालय को यह लगता है कि पक्षकारों को किसी तीसरे निष्पक्ष या मध्यस्थता केन्द्र की सहायता से विवाद को हल किया जा सकता है तो न्यायालय वाद को मध्यस्थता केन्द्र या निष्पक्ष तीसरे पक्ष के पास भेज देगा । मध्यस्थता में न्यायालय का नियंत्रण बना रहता है क्योंकि लिखित शर्त्त/ करार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर जयपत्र उसके आधार पर तैयार किया जाता है ।

4) लोक अदालत तथा (5) न्यायिक समझौता

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के अन्तर्गत विवादों को सुलझाया जाता है ।

लम्बित विवाद या न्यायालय में दाखिल करने के पूर्व भी विवाद को लोक अदालत में भेज कर विवादों को आपसी समझौता के आधार पर निष्पादित किया जाता है ।

जबकि न्यायिक समझौता की प्रक्रिया के अन्तर्गत लोक अदालत में न भेज कर किसी संस्था या व्यक्ति के पास भेजकर उसकी सहायता से पक्षकार स्वयं अपनी शर्त्तों पर सुलह के आधार पर विवाद को हल करवाते हैं ।

2) Conciliation and (3) Mediation

When both the disputing parties agree to or give their consent to get the dispute/ case settled with the help of a third party and appoint a conciliator who decides under the provisons of Arbitration and conciliation Act 1996 then the process is started by negotiation.

Whereas in a mediation when both the parties agree or not or even one party agree or in absence of consent of both the parties if the court is of the view that parties should attempt the settlment

by negotiation with the assistance of a neutral third party and the court refers the matter to an institution or a third party for that purpose. The court has still control over the matter and if the parties agreed to their mutual terms and condition, then a decree is passed on that basis by the Court.

4) Lok Adalat and (5) Judicial Settlment

When a suit is pending in a court or before filing a case a matter or case is referred to a Lok Adalat where the parties on their own terms agree to get the dispute/ case disposed of/ settled whereas through judicial settlment a matter is either referred to an institution or a third party to get a dispute settled with the help of third party is a judicial settlement process.

Disputes are settled under the provisions of Legal Services Authorities Act 1987.

मध्यस्थता हेतु वाद को रेफर करने के लिए पारित आदेश का प्रपत्र- 1

Referral order how will be passed by a court forma given hereunder-1

REFERRAL ORDER

Next Date of Hearing in the Referral Court ....

Court Case ID:_____

Name of the Referral Judge with Stamp_____

NUMBER OF THE CASE _____

NAME OF THE PARTIES _____

(Attach first page of the plaint) _____ Vs. _____

DATE OF INSTITUTION THE CASE _____

NATURE OF SUIT _____

STAGE OF THE CASE AT TIME OF REFERRAL _____

NO OF HEARINGS AT TIME OF REFERRAL _____

MEDIATION REFERRAL ORDER

This Court, having conferred with the parties and having determined that this matter could benefit from mediation, and pursuant to Section 89 of the CPC, Orders that the partier shall attend mediation as provided by the Court at the cost to the parties.

The above parties and advocates will report at Mediation Centre on ..... at ..... a.m./ p.m. If it is not possible to mediate this case on the date fixed, the Mediation Centre will arrange a future date for mediation convenient to the parties.

The Mediation will be conducted by a specially trained Mediator.

If a settlement agreeable to the parties is reached, the terms shall be recorded by the Mediator and signed by the parties/ their counsel and retuned to this Court for further appropriate orders.

If no settlement is reached, neither the parties, the advocates, nor the mediator may disclose to this Court anything that was discussed at the mediation.

Signature of the referral Judge with date: _____

_____ _____

Signature of Plaintiff/ Complainant

Phone No. of the party: _____

Name of the advocate: _____

_____

Phone No. of the advocate _____

_____

Signature of Respondent/ Accused

Phone No. of the party: _____

Name of the advocate: _____

_____

Phone No. of the advocate _____

_____

मध्यस्थता के पश्चात् अपेक्षित सूचना का प्रपत्र-2

Mediated case information form-2

MEDIATED CASE INFORMATION FORM

1. Suit/ Case Number _____
2. From the court of Sh./Ms. _____
3. Case Type: **CIVIL** : __ Recovery ___ Damages___ Possession___ Breach of Contract ___Injuction ____Partition ___ Probate ____ Other Civil Suit

   MATRIMONIAL : ___ Petition of Divorce ____ Petition for Maintenance _____ custody ___ U/s 498A/406IPC_____ Other Matrimonial Case

   Rent :____ Recovery of Rent ____ Landlord/Tenant _____ Suit for possession of Premises ____ Other Rent Case

   OTHER TYPES: ____ Section 138 ____ Electricity Act ____ Labour/ Management ___ Motor Accident ____ House Tax Disputes ____ Compounding ____ Other (SC/HC) ____ Criminal Others.
4. Date of filing the case _____
5. Date of referring the case for mediation _____
6. Stage of the case at time of referral:

   ____ Filing of Petition ____ Consideration ____ Notice ____ Filing of written statement ___ Filing of Documents _____ Admission/ Denial of Documents ____ Framing of issues ___ Evidence ____ Arguments
7. Name of Parties : _____ Vs. _____
8. Name of the advocates, if any
   For Plaintiff _____ Phone no. _____

   For Defendant _____ Phone No. _____
9. Number of mediations held in this case _____
10. Total time spent in all mediations _____ (in minutes or hours)
11. Did case settle? _____ yes _____ No
12. If settled, how many related cases (in other courts) were settled as a result? _____

13. If not settled, what was primary reason?

_____ (Not fit for mediation)
_____ One or more parties could not obtain authority to negotiate
_____ One or more necessary parties never appeared
_____ Parties did not participate refused/declined to participate
_____ Parties appeared and participated but later refused/ declined
_____ Could not reach agreement on terms

14. Dated of settlement or return of case to referring Judge _____

15- Did any party object to referral to mediation ? Yes _____ No _____

16. Name of the Mediator _____

17. Number of hearings at time of referral _____

_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____